



सत्यमेव जयते

वर्ष 2019-2020 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित
**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH
AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2019-2020**



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2019-2020**



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Consolidated Balance Sheet.....	1-2
2.	Schedules forming the part of Balance Sheet.....	3-13
3.	Consolidated Income & Expenditure Account.....	15-17
4.	Schedules forming the part of Income & Expenditure Account.....	18-20
5.	Details of Fixed Assets and Investment Schedules.....	21-23
6.	Receipt and Payment Account, EPS, 1995 (Contribution Account)	24
7.	Receipt and Payment Accounts, EDLI, 1976 (Contribution Account)	25
8.	Receipt & Payment Accounts, EDLI, 1976 (Administration Account)	26
9.	Schedule forming part of the Accounts.....	27-43
10.	Audit Report.....	44-57
11.	Audit Certificate.....	58-61
12.	Management Letter.....	62-71

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2020			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS A/C			
Members Operative A/c	1	75,27,15,84,00,486.83	64,40,20,64,19,430.79
Members Inoperative A/c	2	28,27,29,46,166.68	16,38,36,65,325.00
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	4,05,97,23,375.17	3,74,18,90,992.53
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	2,45,44,68,93,649.74	2,65,90,15,63,838.12
Investment Fluctuation Account		2,70,07,98,358.13	2,70,07,98,358.13
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	7,83,67,54,64,390.49	6,79,20,31,17,662.55
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		85,91,31,42,26,427.03	74,08,13,74,55,607.12
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	52,78,64,75,12,008.07	45,43,58,17,10,682.08
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	29,81,63,57,301.84	12,65,33,19,353.50
SUB -TOTAL - PENSION FUND		53,08,46,38,69,309.91	45,56,23,50,30,035.58
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	3,07,65,37,72,282.81	2,72,18,02,34,626.98
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	16,35,72,129.13	16,64,03,853.74
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		3,07,81,73,44,411.94	2,72,34,66,38,480.72
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	2,61,23,59,77,065.22	2,41,15,15,82,327.64
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	3,13,61,66,600.30	2,74,41,16,520.00
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	15,79,73,87,988.55	14,90,11,94,336.62
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	1,03,34,63,97,235.84	84,96,93,46,174.62
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	3,29,12,81,818.47	3,42,29,67,098.18
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		3,95,67,97,52,605.42	3,56,06,17,48,354.10
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	33,74,80,24,098.46	31,32,62,67,220.65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	59,08,20,781.62	59,00,34,526.48
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		34,33,88,44,880.08	31,91,63,01,747.13
GRAND TOTAL		1,46,37,61,40,37,634.40	1,26,24,69,71,74,224.70

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2020			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
ASSETS			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	83,99,53,98,46,346.70	72,34,34,21,52,194.79
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	1,91,77,43,80,080.33	1,73,79,53,03,412.32
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		85,91,31,42,26,427.03	74,08,13,74,55,607.11
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	50,90,00,95,03,745.40	43,77,62,54,33,646.33
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	2,18,45,43,65,564.51	1,78,60,95,96,389.25
SUB -TOTAL - PENSION FUND		53,08,46,38,69,309.91	45,56,23,50,30,035.58
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS	22	3,02,75,31,30,718.22	2,67,54,96,66,933.53
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	5,06,42,13,693.72	4,79,69,71,547.19
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		3,07,81,73,44,411.94	2,72,34,66,38,480.72
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
FIXED ASSETS	24	4,67,84,73,223.47	4,61,38,84,118.11
CAPITAL WORK IN PROGRESS		8,66,81,97,981.90	7,84,17,45,235.40
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	25	2,53,85,02,67,395.25	2,34,96,19,35,438.53
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTMENTS	26	18,52,81,02,491.98	17,13,74,94,479.57
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMENTS	27	1,02,27,86,09,221.92	83,05,95,00,428.24
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	7,67,61,02,290.90	8,44,71,88,654.26
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		3,95,67,97,52,605.42	3,56,06,17,48,354.11
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	29	32,73,42,61,738.28	30,33,23,14,301.48
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	1,60,45,83,141.80	1,58,39,87,445.65
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		34,33,88,44,880.08	31,91,63,01,747.13
GRAND TOTAL		1,46,37,61,40,37,634.40	1,26,24,69,71,74,224.70

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
SCHEDULE No. 1			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS OPERATIVE A/C			
	Opening Balance	64,40,20,64,19,430.79	50,07,09,23,69,582.36
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received	12,35,97,59,36,339.05	10,51,26,32,67,725.65
2.	Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	1,53,56,84,341.02	1,74,26,80,704.40
3	Interest credited to members Account	5,18,73,06,20,015.00	4,19,71,14,01,073.10
4	Transferred from Inoperative A/c during the year	-5,29,19,79,90,114.45	5,29,19,79,90,114.45
5	Other Receipts	47,75,42,53,001.16	61,10,35,71,489.66
6	Past Accumulations (A/c No. 1)	29,20,05,80,346.85	5,03,65,60,852.17
	Total	77,44,20,55,03,359.42	70,75,14,78,41,541.79
Less:			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	3,36,93,75,44,397.78	3,52,43,53,35,985.24
2.	Premia paid on members life insurance policy	15,77,71,590.00	16,90,82,467.00
3.	Withdrawals / Loan paid during the year to the members	3,23,68,97,66,654.00	2,34,16,86,27,767.00
4.	Transferred to Inoperative A/c during the year	-4,76,07,04,32,909.77	27,81,82,50,370.00
5.	Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	32,33,24,53,140.58	20,35,01,25,521.76
	Total	2,17,04,71,02,872.59	6,34,94,14,22,111.00
	Balance as on 31st March	75,27,15,84,00,486.83	64,40,20,64,19,430.79
SCHEDULE No. 2			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS INOPERATIVE A/C			
	Opening Balance	16,38,36,65,325.00	5,46,57,86,67,858.45
Add :			
1.	Amount transferred from Operative A/c during the year	-4,76,07,04,32,909.77	27,81,82,50,370.00
2	Interest credited to members Account	0.00	0.00
	Total	-4,59,68,67,67,584.77	5,74,39,69,18,228.45
Less:			
1	Amount transferred to Operative Members A/c during the year	-5,29,19,79,90,114.45	5,29,19,79,90,114.45
2	Payment made during the year to Members on settlement	41,23,82,76,363.00	28,81,52,62,789.00
	Total	-4,87,95,97,13,751.45	5,58,01,32,52,903.45
	Balance as on 31st March	28,27,29,46,166.68	16,38,36,65,325.00
SCHEDULE No. 3			
Special Reserve Fund :			
	Balance as per last Balance Sheet	3,74,18,90,992.53	3,44,44,58,771.67
Add :			
1.	Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2.	Interest on S.R.F. Account	31,80,60,734.37	29,79,45,683.75
	Total	4,05,99,51,726.90	3,74,24,04,455.42
Less:			
1.	Amount paid from Special Reserve Fund	67,198.73	4,19,569.89
2.	Amount transferred to Death Relief Fund	1,61,153.00	93,893.00
	Total	2,28,351.73	5,13,462.89
	Balance as on 31st March	4,05,97,23,375.17	3,74,18,90,992.53

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
SCHEDULE No. 4			
Interest A/c - EPF Contribution Fund			
	Opening Balance	2,65,90,15,63,838.12	2,70,06,83,12,307.99
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	-20,45,46,70,188.38	-4,16,67,48,469.87
	Balance as on 31st March	2,45,44,68,93,649.74	2,65,90,15,63,838.12
SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	TDS Payable-deducted on claim settlements	23,12,91,212.00	25,27,68,603.00
2	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	70,91,86,903.85	-41,64,55,986.26
b	Irregular payments	7,68,56,270.46	7,36,47,819.06
c	Over Payments	3,09,86,405.25	3,10,11,924.01
	B. Central :		
a	Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
b	Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	1,50,07,89,794.56	1,39,75,48,338.09
c	Excess credits in EPF investment A/c	0.00	0.00
d	Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	44,06,975.00	44,06,975.00
e	Recovery of PMRPY Benefits during 2019-2020 [A/c No. 01]	9,21,74,387.00	0.00
3	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	30,64,67,82,313.05	14,73,09,77,810.39
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00	9,05,83,57,996.54
4	EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	4,49,96,55,961.60	
5	Others	0.00	0.00
	Total	37,91,34,43,561.77	25,25,35,76,818.83
II - PROVISIONS			
a	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2019-20	6,10,54,31,00,000.00	5,36,04,31,00,000.00
b	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	1,35,21,89,20,828.72	1,17,90,64,40,843.72
	Total	7,45,76,20,20,828.72	6,53,94,95,40,843.72
	Balance as on 31st March	7,83,67,54,64,390.49	6,79,20,31,17,662.55
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 6			
EPS Contribution Fund			
	Opening Balance	45,43,58,17,10,682.08	39,31,13,04,38,910.28
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	7,35,06,58,01,325.99	6,12,45,12,71,771.80
	Balance as on 31st March	52,78,64,75,12,008.07	45,43,58,17,10,682.08
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	77,01,88,763.19	32,01,74,397.63
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	1,42,90,43,138.84	1,70,49,41,109.84
b	Recovery of PMRPY Benefits payable to PMRPY A/c	42,97,73,366.00	
3.	EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	99,99,17,814.97	0.00
	Cash Book Balance		
4.	State Bank of India (Over Draft)		-
	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	4,61,63,307.84	3,52,59,53,055.44
	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	8,82,00,25,228.00	40,76,86,505.59
6	Amount payable to EP Fund (PMRPY)	17,32,12,45,683.00	6,68,99,25,339.00
7	Others (Excess credit of PMRPY)	0.00	46,38,946.00
	Balance as on 31st March :	29,81,63,57,301.84	12,65,33,19,353.50

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
SCHEDULE No. 8			
	EDLI Contribution Fund		
	Opening Balance	2,72,18,02,34,626.98	2,40,29,23,24,184.92
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	35,47,35,37,655.83	31,88,79,10,442.06
	Balance as on 31st March	3,07,65,37,72,282.81	2,72,18,02,34,626.98
SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
Sundry Credits :			
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	6,57,84,455.37	3,93,06,658.99
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central)	9,64,43,612.21	9,64,43,612.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4	Excess credits in EDLI Investment A/c	0.00	0.00
5	Amount payable to EDLI Adm. A/c	0.00	2,93,09,520.99
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
	Balance with Investment A/c(SCB)	0.00	0.00
7	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	16,35,72,129.13	16,64,03,853.74
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 10			
EPF - ADMINISTRATION FUND			
	Opening Balance	2,41,15,15,82,327.64	2,22,84,72,51,257.99
Add :			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	6,28,86,050.37	15,87,53,398.72
2.	Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	20,03,82,98,818.59	17,85,43,43,209.95
3.	Others	0.00	0.00
	Total	2,61,25,27,67,196.60	2,40,86,03,47,866.66
Less:			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	1,67,90,131.38	-29,12,34,460.98
2.	Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	0.00	0.00
3.	Others	0.00	0.00
	Total	1,67,90,131.38	-29,12,34,460.98
	Balance as on 31st March	2,61,23,59,77,065.22	2,41,15,15,82,327.64

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
SCHEDULE No. 11			
Staff Provident Fund Interest Account :			
	Opening Balance	2,74,41,16,520.00	2,29,91,52,655.91
Add :			
1.	Interest realised on investment of securities	90,79,17,568.08	91,12,46,152.40
2	Interest accrued but not due on Investments	37,36,27,999.99	38,91,17,335.37
3	Interest due but not received on Investments	8,73,000.00	4,36,500.00
4	Interest on S.B. Account	18,632.00	27,804.00
5	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	4,02,65,53,720.07	3,59,99,80,447.68
Less:			
1.	Interest credited to members account	88,58,17,695.00	85,23,58,445.00
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment	45,69,424.77	35,05,482.68
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	89,03,87,119.77	85,58,63,927.68
	Balance as on 31st March	3,13,61,66,600.30	2,74,41,16,520.00
SCHEDULE No. 12			
Building Construction Fund :			
	Opening Balance	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Add :			
1.	Provision made during the year	0.00	0.00
2	Interest credited to the Fund	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
SCHEDULE No. 13			
A. Staff Provident Fund :			
	Opening Balance	11,01,63,00,130.08	10,59,40,10,172.08
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal)	3,08,36,43,670.00	3,43,87,22,930.00
2.	Interest credited to member's account	88,58,17,695.00	85,23,58,445.00
3.	Other receipts	0.00	0.00
	Total	14,98,57,61,495.08	14,88,50,91,547.08
Less:			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	2,48,09,85,610.99	2,35,54,52,494.00
2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3.	Loan paid during the year to members	28,42,30,596.00	29,58,81,646.00
4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	1,10,65,12,231.22	1,21,74,57,277.00
	Total	3,87,17,28,438.21	3,86,87,91,417.00
	Balance as on 31st March	11,11,40,33,056.87	11,01,63,00,130.08
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :			
	Opening Balance	23,86,48,189.72	18,29,35,791.72
Add :			
	Amount transferred out to the Regions	1,10,65,12,231.22	1,21,74,57,277.00
	Total	1,34,51,60,420.94	1,40,03,93,068.72
Less:			
	Amount received from other Regions	78,89,92,237.00	1,16,17,44,879.00
	Balance as on 31st March	55,61,68,183.94	23,86,48,189.72
C. Amount payable from SPF A/c to EPF Adm. A/c			
		4,12,71,86,747.74	3,64,62,46,016.82
	Total (A+B+C)	15,79,73,87,988.55	14,90,11,94,336.62

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	84,96,93,46,174.62	66,88,99,82,403.82
Add :			
1.	Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	13,16,00,82,000.00	12,51,00,00,000.00
2.	Interest realised on S.B. Account	16,16,468.00	18,19,318.00
3.	Interest realised on Securities during the year	4,31,90,85,779.16	3801291508.59
4.	Interest accrued but not due on Investments	91,47,65,340.44	1,79,39,21,876.80
5.	Interest due but not received on Investments	27,93,600.00	13,96,800.00
6.	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
7.	Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	5,44,56,50,920.18	5,13,95,63,061.98
	Total	1,08,81,33,40,282.40	90,13,79,74,969.19
Less:			
1.	Payment made by the Regions	5,44,56,50,920.18	5,13,95,63,061.98
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year	2,12,92,126.38	2,90,65,732.59
3.	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	5,46,69,43,046.56	5,16,86,28,794.57
	Balance as on 31st March	1,03,34,63,97,235.84	84,96,93,46,174.62
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I -CURRENT LIABILITIES			
1	New Pension Scheme Contribution Payable	2,11,26,568.01	3,97,04,592.01
2	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	0.00	0.00
3	Security Deposit Refundable	1,98,73,330.09	1,82,77,807.39
4	Group Insurance Scheme (New)	47,13,159.43	40,62,348.22
5	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Admn. Fund)	29,06,48,036.78	26,57,65,643.18
	B. Central :		
a	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
b	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,780.00	8,29,780.00
c	Amount payable to EPF Contribution A/c	0.00	7,13,37,470.56
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		
	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	29,09,03,200.18	28,03,65,422.03
	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	45,22,955.44	2,13,59,978.44
	PDNASS	1,17,33,643.16	31,35,008.00
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7	Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,55,04,15,062.11	1,50,05,08,876.45
8	Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c)	0.00	0.00
	Total	2,22,69,51,230.08	2,23,75,32,421.16

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes Payable	0.00	0.00
c	Other Expenses Payable	1,06,43,30,588.39	1,18,54,34,677.02
	Total	1,06,43,30,588.39	1,18,54,34,677.02
	Balance as on 31st March	3,29,12,81,818.47	3,42,29,67,098.18
EDLI Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	31,32,62,67,220.65	29,06,38,78,672.78
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	2,42,17,56,877.81	2,26,23,88,547.87
	Balance as on 31st March	33,74,80,24,098.46	31,32,62,67,220.65
SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,35,81,289.23	1,36,76,317.41
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges - Central)	4,83,77,675.89	4,83,77,675.89
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	6,67,810.67	6,77,681.00
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	52,81,94,005.83	52,73,02,852.18
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	59,08,20,781.62	59,00,34,526.48
ASSETS SCHEDULES			
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
SCHEDULE No. 18			
Employees' Provident Fund -Investments			
		83,99,53,98,46,346.70	72,34,34,21,52,194.79

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)			
I - CURRENT ASSETS			
1	Amount in Transit :		
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	1,84,16,44,729.43	1,84,12,03,034.43
2	Cash Book Balance		
	State Bank of India :		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	9,93,00,47,207.49	0.00
	Reserve Bank of India :		
	E.P.F. Investment Account	4,58,06,998.92	1,56,25,18,760.51
3	Interest on EPF Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	1,57,39,65,12,762.64	1,54,88,26,78,859.65
	Interest due but not received on Investments	1,61,85,80,966.12	24,69,97,761.50
	Interest accrued on FDRs	7,85,07,933.00	67,92,461.02
4	Sundry Debits :		
a	Suspense Account (Unclassified) :		
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	1,12,33,54,668.95	1,07,30,98,402.14
b	Irregular Payments	7,68,56,270.46	7,36,47,819.06
c	Over Payments	3,09,86,405.25	3,10,11,924.01
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
i	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa	40,76,30,186.70	40,80,96,451.70
ii	Extra debit made to Account No. 5 by bank	53,20,05,098.18	38,05,15,879.55
iii	Amount debited to A/c No. 5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	13,65,82,585.29	13,65,82,585.29
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	0.00	7,13,37,470.56
6	Amount receivable from EPS Fund (PMRPY)	12,16,50,28,129.00	6,68,99,25,339.00
7	Amount receivable from Govt. (PMRPY)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
8	Others	0.00	0.00
	Total	1,88,44,47,51,346.43	1,70,46,56,14,153.42
II - LOAN & ADVANCES			
	Special Reserve Fund (Recoverable) :		
	Balance as per last Balance Sheet	3,32,96,89,258.90	68,96,00,496.24
Add :	Amount paid to Members during the year	0.00	53,91,649.00
Less :	Amount received from Employers	60,525.00	(2,63,46,97,113.66)
	Total	3,32,96,28,733.90	3,32,96,89,258.90
	Balance as on 31st March	1,91,77,43,80,080.33	1,73,79,53,03,412.32
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 20			
Employees' Pension Fund -Investments		50,90,00,95,03,745.40	43,77,62,54,33,646.33

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3.	Balance in Investment Account (SCB)	1,56,05,531.27	58,03,49,894.09
b	Sundry Debits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,36,42,02,107.38	1,36,86,34,041.32
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	82,60,26,138.80	6,95,28,578.98
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No. 10 & vice-versa	24,28,21,866.20	20,49,18,000.20
c	Remittance in Transit	63,01,03,795.68	62,90,05,444.68
d	Interest on EPS Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	74,45,26,24,240.88	68,81,34,85,845.19
	Interest due but not received on Investments	67,26,02,033.66	8,05,88,310.40
	Interest accrued on FDRs	8,19,79,854.00	49,36,245.67
	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	23,90,44,00,000.00	15,50,56,37,921.02
	Interest receivable under Minimum Pension scheme	3,87,49,09,759.00	3,04,25,94,724.10
e	Pension contribution receivable from Central Govt.	1,12,18,73,27,180.04	88,10,81,54,326.00
f	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	2,18,45,43,65,564.51	1,78,60,95,96,389.25
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
SCHEDULE No. 22			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS		3,02,75,31,30,718.22	2,67,54,96,66,933.53
SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	12,82,99,553.10	13,25,94,304.54
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	4,91,01,322.13	1,07,83,501.80
3.	Balance in Investment Account (SCB)	4,48,197.70	4,80,54,421.66
b	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
c	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	11,23,83,157.94	11,49,57,113.86
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa	1,35,47,809.14	1,29,32,466.14
d	Interest on EDLI Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	3,90,20,43,484.48	3,71,16,94,451.93
	Interest due but not received on Investments	79,18,635.62	26,19,000.00
	Interest accrued on FDRs	76,46,392.00	64,411.27
	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	72,82,00,000.00	64,86,46,734.38
e	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	5,06,42,13,693.72	4,79,69,71,547.19

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</u>			
SCHEDULE No. 24			
FIXED ASSETS		4,67,84,73,223.47	4,61,38,84,118.11
SCHEDULE No. 25			
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
Special Deposit Account		2,51,32,19,67,395.25	2,32,86,19,35,438.53
FDRs		2,52,83,00,000.00	2,10,00,00,000.00
Balance as on 31st March		2,53,85,02,67,395.25	2,34,96,19,35,438.53
SCHEDULE No. 26			
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS		18,52,81,02,491.98	17,13,74,94,479.57
SCHEDULE No. 27			
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS		1,02,27,86,09,221.92	83,05,95,00,428.24
SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
1 Amount in Transit :			
a EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)		5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
b Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)		1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
Total		6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2 Cash Book Balance			
(A) State Bank of India :			
a EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional)		0.00	0.00
b EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central)		38,08,07,184.71	34,20,16,676.37
c Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)		5,01,65,030.51	76,39,584.82
d Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)		15,03,29,863.97	9,37,07,057.88
e Head Office		0.00	0.00
f PDNASS		0.00	0.00
g EPF Appellate Tribunal		37,18,52,771.57	34,91,15,160.57
Total		95,31,54,850.76	79,24,78,479.64
(B) Reserve Bank of India :			
a S.P.F. Investment Account		5,24,723.00	1,95,740.42
b Pension-cum-Gratuity Investment A/c		1,96,104.00	2,11,16,906.19
Total		7,20,827.00	2,13,12,646.61
(C) Imprest Account		45,494.90	61,895.40
3 Sundry Debits :			
Suspense Account (Unclassified) :			
a. Suspense Account (Admn. Fund)		22,32,55,966.06	23,86,68,019.07
4 Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :			
a Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa		2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
b Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c)		1,78,339.00	1,78,339.00
c Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c)		0.00	0.00
Total		2,06,17,133.97	2,06,17,133.97

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
5	<u>Recoverable Advances (Staff)</u>		
a	Conveyance advance	23,82,451.15	39,20,756.99
b	House Building advance	21,64,38,892.61	15,69,05,301.39
c	Fan advance	73,520.80	70,369.80
d	Warm Clothing advance	1,234.75	1,234.75
e	Festival advance	12,03,908.54	21,12,135.30
f	Natural Calamity advance	1,24,600.45	1,60,603.45
g	Advance of Pay	-8,36,346.00	7,98,943.00
h	Advance of DA/TA	1,65,10,512.54	1,76,76,409.54
i	Food grain advance	0.00	1,216.75
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	1,92,944.00	1,61,805.00
k	Computer Advance	2,71,13,933.55	2,99,30,024.55
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	53,84,173.92	58,52,530.32
	TOTAL	26,85,89,826.31	21,75,91,330.84
6	<u>Prepaid Expenditure</u>	0	0.00
7	<u>Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable</u>		
	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest accrued on FDRs	6,76,960.00	11,98,370.00
8	<u>Interest on Staff Provident Fund Investment receivable</u>		
	Interest accrued but not due on Investments	37,36,27,999.99	38,91,17,335.37
	Interest due but not received on Investments	8,73,000.00	4,36,500.00
9	<u>Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable</u>		
	Interest accrued but not due on Investments	91,47,65,340.44	1,79,39,21,876.80
	Interest due but not received on Investments	27,93,600.00	13,96,800.00
10	Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
11	Security Deposits (Advance to parties)	3,10,59,535.20	3,12,58,226.20
12	Others (TDS refundable)	0.00	1,36,56,505.00
13	Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)	67,50,16,366.42	1,20,74,40,467.92
14	Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff	1,96,47,029.68	77,15,438.19
15	Amount receivable from SPF a/c	4,12,71,86,747.74	3,64,62,46,016.82
	Balance as on 31st March	7,67,61,02,290.90	8,44,71,88,654.26

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 29			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
	Special Deposit Accounts	32,73,42,61,738.28	30,33,23,14,301.48
SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
A	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
B	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 22 to 24	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
C	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,02,86,156.56	1,02,87,125.08
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice -versa	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
D	Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E	Amount receivable from EDLI Contribution A/c	0.00	2,93,09,520.99
F	Excess Transfer of Proportionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c Central)	1,55,04,15,062.11	1,50,05,08,876.45
G	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1,60,45,83,141.80	1,58,39,87,445.65

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2020			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
INCOME			
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
<u>EPF- Contributions Fund</u>			
Interest Income during the year	31	5,86,05,76,44,107.75	5,28,14,18,96,301.33
Other Income during the year	32	8,30,26,62,498.26	7,02,61,45,693.08
TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A)		5,94,36,03,06,606.01	5,35,16,80,41,994.41
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
Income from Pension Contribution	33	5,19,53,13,29,622.40	4,66,61,64,35,565.19
Interest Income during the year	34	3,90,42,05,42,214.08	3,31,27,30,67,861.34
Other Income	35	9,01,89,56,067.11	5,32,64,37,635.93
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		9,18,97,08,27,903.59	8,03,21,59,41,062.46
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
<u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u>			
Income from Contribution from employers		22,39,88,24,014.77	19,42,56,29,631.90
Interest Income during the year	36	21,46,53,24,147.90	20,05,40,04,671.82
Other Income	37	37,64,93,978.99	27,57,51,938.78
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		44,24,06,42,141.66	39,75,53,86,242.50
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
<u>EPF - Administration Fund</u>			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	38,34,36,24,982.94	35,92,94,94,988.93
Interest income during the year	39	18,61,04,82,794.72	16,85,83,11,681.43
Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		37,60,93,814.34	35,41,15,574.60
Other Income - Miscellaneous Receipts		31,74,78,660.63	12,39,78,424.70
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		57,64,76,80,252.63	53,26,59,00,669.66
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
<u>EDLI ADMINISTRATION FUND</u>			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	39,59,16,814.07	42,37,97,896.94
Interest income during the year	41	2,40,19,53,518.58	2,19,24,87,442.67
Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)		3.00	3,27,025.94
Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		-	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		2,79,78,70,335.65	2,61,66,12,365.55

Amount-Rs.			
EXPENDITURE	Schedule	Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF- Contributions Fund			
Interest payment to the Members	42	6,10,54,31,00,000.00	5,36,04,31,00,000.00
Interest paid to vendors on purchase of securities		2,92,04,42,089.25	2,16,98,01,295.88
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Interest accrued on SRF		31,80,60,734.37	29,79,45,683.75
Interest on overdraft paid to Banks		1,03,33,73,970.78	82,39,43,484.65
Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts		-	-
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		6,14,81,49,76,794.40	5,39,33,47,90,464.28
I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		(20,45,46,70,188.38)	(4,16,67,48,469.87)
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Amount paid to outgoing Members / beneficiaries	43	1,81,17,51,01,449.52	1,88,43,74,56,028.04
Commission to Banks for disbursement of pension		98,03,32,208.30	87,10,61,705.75
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		1,73,20,05,069.78	1,44,62,60,318.87
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional)		1,75,77,850.00	98,91,238.00
A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central)		10,000.00	-
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		1,83,90,50,26,577.60	1,90,76,46,69,290.66
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		7,35,06,58,01,325.99	6,12,45,12,71,771.80
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Assurance Benefits paid		8,70,93,00,077.24	7,77,69,46,115.50
Accrued Intt. paid on purchase of Invest. (Securities)		5,72,75,832.96	9,00,38,359.28
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		5,28,339.63	4,91,325.66
A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		236.00	-
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		8,76,71,04,485.83	7,86,74,75,800.44
III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		35,47,35,37,655.83	31,88,79,10,442.06
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)			
A- Establishment Expenses			
Salaries of Officers and Staff & Bonus		11,07,48,95,631.50	10,74,86,62,476.92
Allowances and Honorarium		2,84,19,85,564.00	2,85,29,29,027.76
Grants - Welfare Funds etc		7,68,68,939.79	8,05,54,999.00
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		18,60,57,32,920.18	17,64,95,63,061.98
S.P.F., E.D.L.I. Benefits		16,37,030.00	17,40,000.00
Board's share towards N.P.S.		41,56,72,684.08	0.00
Interest on N.P.S. Contribution		3,22,860.00	0.00
Service Charges towards N.P.S.		17,31,529.39	0.00
LTC		6,57,80,336.00	34,72,17,060.00
TOTAL A		33,08,46,27,494.94	31,68,06,66,625.66

B- Other Administrative Expenses			
Electricity Expenses		26,56,33,608.43	25,56,05,044.90
Postage		6,48,43,548.10	8,31,93,025.00
Printing & Stationery		11,60,17,312.78	12,92,31,092.39
Rent, Rates & Taxes		30,52,76,683.00	28,17,92,602.00
Vehicle Running & Maintenance Expenses		97,97,393.00	1,23,69,812.00
Telephone, Internet & Communication Charges		5,61,68,222.70	5,22,90,355.00
Insurance Expenses			0.00
Water Charges		98,12,373.00	98,60,520.00
Staff Paid from contingencies		1,10,75,91,744.95	85,77,09,238.00
Audit Fee		35,39,747.00	0.00
Legal Charges		8,99,11,404.00	0.00
Consultancy Expenses		33,39,58,840.00	0.00
Conveyance Hire		7,00,44,933.45	0.00
Advertisement & Publicity		-48,32,327.00	1,26,38,410.00
AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office Equip.		49,99,44,616.40	41,60,80,632.83
Travelling Expenses		19,00,52,249.00	6,20,24,377.00
Other Charges (Recurring/Non-Recurring)		18,18,91,667.55	53,35,52,967.76
Bank Commission and T.T. Charges		72,82,02,150.14	52,97,66,147.83
Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters		23,37,69,904.00	21,13,35,121.88
Net Depreciation on Fixed Assets		26,31,27,787.60	28,38,19,436.46
Loss/Gain on Liquidation of Assets		2,081.00	-3,77,949.00
Provision for Building Construction Fund		0.00	0.00
Total B		4,52,47,53,939.10	3,73,08,90,834.05
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		37,60,93,81,434.04	35,41,15,57,459.71
IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		20,03,82,98,818.59	17,85,43,43,209.95
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Proportionate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		37,60,93,814.34	35,41,15,574.60
Other payment:			
Account No. 22		19,643.50	1,08,243.08
Account No. 24		-	-
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		37,61,13,457.84	35,42,23,817.68
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		2,42,17,56,877.81	2,26,23,88,547.87
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)		7,72,54,47,24,489.84	6,60,28,91,65,501.81

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 31			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	4,26,96,39,14,677.80	3,73,00,53,17,437.60
2	Interest accrued but not due on Investments	1,57,39,65,12,762.64	1,54,88,26,78,859.65
3	Interest due but not received on Investments	1,61,85,80,966.12	24,69,97,761.50
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	7,85,07,933.00	67,92,461.02
6	Interest on Regional Savings Bank Account	1,27,768.19	1,09,781.56
7	Interest on Securities received from estts.	0.00	0.00
8	Interest from subscribers / Members on loans	0.00	0.00
9	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back	0.00	0.00
Total		5,86,05,76,44,107.75	5,28,14,18,96,301.33
SCHEDULE No. 32			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	5,18,24,63,755.35	4,03,07,07,849.34
2	7Q Interest collected during the year	3,12,02,01,205.91	3,00,76,38,070.74
3	Other receipts (INTEREST ON S.B. A/C)	-2,463.00	-1,22,00,227.00
Total		8,30,26,62,498.26	7,02,61,45,693.08
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 33			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	4,44,48,54,56,768.36	4,02,59,74,17,067.19
2	Pension contribution received from Central Govt. during F.Y.	50,96,67,00,000.00	-24,08,91,35,828.00
3	Pension contribution receivable from Central Govt. during F.Y.	24,07,91,72,854.04	88,10,81,54,326.00
Total		5,19,53,13,29,622.40	4,66,61,64,35,565.19
SCHEDULE No. 34			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	1,78,84,74,83,181.86	1,57,04,79,71,122.86
2	Interest accrued but not due on Investments	74,45,26,24,240.88	68,81,34,85,845.19
3	Interest due but not received on Investments	67,26,02,033.66	8,05,88,310.40
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	8,19,79,854.00	49,36,245.67
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	1,11,62,85,62,078.98	89,04,29,92,174.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	23,90,44,00,000.00	15,50,56,37,921.02
8	Interest received under Minimum Pension scheme	0.00	-2,20,62,86,163.18
9	Interest receivable under Minimum Pension scheme	83,23,15,034.90	3,04,25,94,724.10
10	Interest on Regional Savings Bank Account	5,75,789.80	-5,88,52,318.72
Total		3,90,42,05,42,214.08	3,31,27,30,67,861.34
SCHEDULE No. 35			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	2,81,05,25,061.86	2,18,34,78,597.11
2	7Q Interest collected during the year	4,65,59,59,325.30	1,76,30,44,662.89
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10	1,55,24,71,679.95	1,37,99,14,375.93
4	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 11	0.00	0.00
Total		9,01,89,56,067.11	5,32,64,37,635.93

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
EDLI CONTRIBUTION FUND			
SCHEDULE No. 36			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	8,75,53,59,664.85	8,20,61,81,148.93
2	Interest accrued but not due on Investments	3,90,20,43,484.48	3,71,16,94,451.93
3	Interest due but not received on Investments	79,18,635.62	26,19,000.00
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	76,46,392.00	64,411.27
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	8,06,41,53,265.62	7,48,47,97,272.51
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	72,82,00,000.00	64,86,46,734.38
8	Interest on Regional Savings Bank Account	2,705.33	1,652.80
Total		21,46,53,24,147.90	20,05,40,04,671.82
SCHEDULE No. 37			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	16,63,24,928.52	11,78,74,036.18
2	7Q Interest collected during the year	8,96,19,899.47	7,70,99,798.60
3	Other receipts in A/c No. 21	12,05,49,151.00	8,07,78,104.00
4	Other receipts in A/c No. 25	0.00	0.00
Total		37,64,93,978.99	27,57,51,938.78
EPF - Administration Fund			
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EPF Administration Charges received during the year	35,48,42,49,159.69	33,24,99,07,142.18
2	EPF Inspection Charges received during the year	2,27,58,93,069.79	2,16,14,35,579.00
3	Penal Damages collected during the year	37,29,08,444.15	28,79,42,176.52
4	7Q Interest collected during the year	21,05,74,309.31	23,02,10,091.23
Total		38,34,36,24,982.94	35,92,94,94,988.93
SCHEDULE No. 39			
Interest Income during the year			
1	Interest received on invest. during the year	18,60,98,05,834.72	16,85,71,13,311.43
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	6,76,960.00	11,98,370.00
5	Interest on Regional Savings Bank Account	0.00	0.00
Total		18,61,04,82,794.72	16,85,83,11,681.43
Less: Interest credited to Building Construction Fund		0.00	0.00
Total		18,61,04,82,794.72	16,85,83,11,681.43
EDLI ADMINISTRATION FUND			
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EDLI Administration Charges received during the year	31,19,69,465.93	34,45,20,032.27
2	EDLI Inspection Charges received during the year	5,21,64,263.30	5,60,58,618.15
3	Penal Damages collected during the year	2,00,80,495.28	1,39,17,625.79
4	7Q Interest collected during the year	1,17,02,589.56	93,01,620.73
Total		39,59,16,814.07	42,37,97,896.94

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2019-20)	Previous Year (2018-19)
SCHEDULE No. 41			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	2,40,19,47,436.80	2,19,29,02,154.32
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	6,081.78	-4,14,711.65
Total		2,40,19,53,518.58	2,19,24,87,442.67
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	0.00	0.00
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2019-20	6,10,54,31,00,000.00	5,36,04,31,00,000.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
Total		6,10,54,31,00,000.00	5,36,04,31,00,000.00
<u>EPS Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 43			
Amount paid to outgoing Members / beneficiaries			
1	Withdrawal / retirement benefits	67,96,61,93,855.01	76,36,40,57,507.51
2	Life Assurance Benefits	0.00	0.00
3	Pension Payments	1,13,20,89,07,594.51	1,12,07,33,98,520.53
Total		1,81,17,51,01,449.52	1,88,43,74,56,028.04

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

DETAILS OF FIXED ASSETS										Amounts (in Rs.)	
S No.	Fixed Asset (TANGIBLE)	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end (A-B)	As at the Previous year-end
1	Land										
a	Freehold Land	66,00,89,539.63	1,00,62,016.00	-	67,01,51,555.63	1,83,752.00	2,25,658.00	-	4,09,410.00	66,97,42,145.63	65,99,05,787.63
b	Leasehold Land	22,85,20,809.50	2,70,87,391.00	3,39,30,580.00	22,16,77,620.50	3,82,50,631.49	11,00,684.22	-	3,93,51,315.71	18,23,26,304.79	19,02,70,178.01
2	Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Building-Office	2,27,71,25,923.60	10,70,17,451.00	-	2,38,41,43,374.60	36,35,61,508.28	4,14,30,680.04	-	40,49,92,088.32	1,97,91,51,286.28	1,91,35,64,415.32
b	Lease hold Building-Office	80,07,19,817.47	6,97,966.00	-	80,14,17,783.47	20,96,94,442.13	1,21,56,850.32	-	22,18,51,292.45	57,95,68,491.02	59,10,25,375.34
c	Building -Residential	79,53,70,053.90	(73,97,279.00)	1,35,350.00	78,78,37,424.90	23,37,83,074.43	1,22,30,499.46	-	24,60,13,573.89	54,18,23,851.01	56,15,86,079.47
d	Lease hold Building-Residential	15,32,06,000.00	-	-	15,32,06,000.00	5,24,42,844.00	15,36,172.00	-	5,39,79,016.00	9,92,26,984.00	10,07,63,156.00
3	Plant Machinery & Equipment	90,01,419.77	9,17,436.23	-	99,18,856.00	22,67,538.64	15,59,823.23	-	38,27,161.87	60,91,694.13	67,33,881.13
4	Vehicles & Motor Car	1,54,57,357.33	31,32,516.00	2.00	1,85,89,871.33	68,38,338.21	21,87,801.71	-	90,26,139.92	95,63,731.41	86,19,019.12
5	Furniture & Fixtures	19,33,14,461.03	4,70,35,746.41	13,108.00	24,03,37,099.44	4,06,06,422.74	2,06,67,022.32	-	6,12,75,445.06	17,90,61,654.39	15,27,06,039.29
6	Office Equipments	6,98,09,042.23	2,22,19,059.70	-	9,20,28,101.93	2,29,26,597.16	1,11,92,601.48	-	3,41,19,198.64	5,79,08,903.29	4,68,82,445.07
7	Computers/Peripherals	72,45,31,619.79	14,58,72,205.58	7,12,830.00	86,96,90,995.37	41,27,83,711.83	15,07,98,287.30	-	56,35,81,999.13	30,61,08,996.24	31,17,47,907.96
8	Electrical Installations	4,20,14,460.91	17,53,933.04	-	4,37,68,393.95	72,07,604.53	48,23,364.56	-	1,20,30,969.09	3,17,37,424.87	3,48,06,056.38
9	Library Books	27,05,486.78	9,35,183.00	-	36,40,669.78	96,657.65	91,733.98	-	1,88,391.63	34,52,278.15	26,08,029.13
10	Tubewells & Water Supply	17,94,022.00	2,27,713.00	-	20,21,735.00	6,26,435.37	4,25,813.28	-	10,52,245.65	9,69,496.35	11,67,596.63
11	Other Fixed Assets	2,44,03,720.58	2,84,935.00	-	2,46,88,655.58	46,50,015.34	18,62,721.17	-	63,12,736.51	1,83,75,919.07	1,97,53,705.24
	Total	5,99,80,63,734.52	35,98,46,272.96	3,47,91,870.00	6,32,31,18,137.48	1,39,59,21,573.80	26,20,89,413.06	-	1,65,80,10,986.86	4,66,51,07,150.62	4,60,21,42,160.72
S No.	Fixed Asset (INTANGIBLE)	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end (A-B)	As at the Previous year-end
1	Computer Software	1,29,50,075.00	26,62,490.00	-	1,55,12,565.00	11,08,117.61	10,38,374.54	-	21,46,492.16	1,33,66,072.84	1,17,41,957.39
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1,29,50,075.00	26,62,490.00	-	1,55,12,565.00	11,08,117.61	10,38,374.54	-	21,46,492.16	1,33,66,072.84	1,17,41,957.39
	GRAND TOTAL	6,01,09,13,809.52	36,25,08,762.96	3,47,91,870.00	6,33,86,30,702.48	1,39,70,29,691.41	26,31,27,787.60	-	1,66,01,57,479.01	4,67,84,73,223.47	4,61,38,84,118.11

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

S/1 Date: 04/01/2019 Page: 26/2

SCHEDULE No. 18											
Employees' Provident Fund -Investments											
S No	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation/Amount of Reconciliation	Current Value		Amount in Rs.	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value		
1	Central Govt Securities -CTG	12,50,55,40,38,640.00	12,67,83,59,92,622.18	1,14,42,07,23,805.00	53,38,25,000.00	3,12,09,35,940.00	31,33,40,36,395.62	13,48,33,55,69,091.56	13,56,06,34,87,700.00		
2	Public Sector Undertaking -PSU	15,86,50,38,53,912.83	15,71,90,82,57,061.32	3,01,29,10,00,000.00	-	2,04,91,59,91,500.00	-5,23,12,168.46	16,68,33,56,77,729.78	16,72,98,63,14,329.19		
3	Private Securities	5,32,42,11,38,000.00	5,32,48,29,24,640.69	-	-	39,30,82,09,000.00	-1,26,71,635.33	4,93,18,73,87,276.02	4,93,12,29,29,000.00		
4	State development Loans -SDL	27,04,16,35,13,300.00	27,13,24,97,40,429.35	7,93,56,28,10,152.15	74,82,20,000.00	51,66,27,46,500.00	1,53,31,35,662.09	34,54,36,48,88,419.41	34,44,92,51,96,800.00		
5	State Govt Securities -STG	1,34,58,25,65,524.00	1,35,66,53,24,906.48	29,50,00,00,000.00	15,96,65,942.00	9,04,57,649.00	13,31,29,617.40	1,65,10,14,03,582.08	1,64,15,17,73,817.00		
6	Special Deposit Scheme -SDS	5,31,10,27,06,283.38	5,30,00,97,01,849.60	-	34,29,04,782.36	-	-1,09,30,04,433.78	5,31,44,56,11,065.74	5,31,44,56,11,065.74		
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ETF	4,97,45,84,64,913.00	4,97,45,84,64,913.00	2,09,04,06,44,269.11	-	-	-	7,06,49,93,09,182.11	7,06,49,93,09,182.11		
9	LIIF	4,37,43,849.95	4,37,43,849.95	2,06,52,53,63,060.00	-	2,06,56,91,06,909.95	-	-	-		
10	FDR	12,43,59,49,282.00	12,43,59,49,282.00	32,27,00,00,000.00	-	12,43,59,49,282.00	-	32,27,00,00,000.00	32,27,00,00,000.00		
11	Amount Under-Reconciliation	-	-26,74,79,47,359.78	-	-	-	-26,74,79,47,359.78	-	-		
Total		72,48,26,59,73,705.16	72,34,34,21,52,194.79	16,86,61,07,41,286.26	1,78,46,15,724.36	5,18,10,32,86,780.95	5,09,43,66,077.76	83,99,53,98,46,346.70	84,01,46,46,21,894.04		

SCHEDULE No. 20											
Employees' Pension Fund -Investments											
S No	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value			
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value		
1	Central Govt Securities -CTG	6,45,10,58,60,700.00	6,39,40,79,68,642.32	58,98,54,84,071.00	-	3,24,52,80,000.00	-18,41,57,100.85	6,95,33,23,29,813.97	6,97,58,46,60,700.00		
2	Public Sector Undertaking -PSU	6,91,00,39,35,998.58	6,86,03,07,44,959.95	1,46,12,20,00,000.00	-	86,10,09,40,000.00	-2,52,60,130.41	7,46,07,70,65,090.36	7,47,09,57,22,874.97		
3	Private Securities	2,39,40,25,92,000.00	2,39,42,77,41,214.10	-	-	22,06,85,88,000.00	36,00,909.90	2,17,35,55,52,304.20	2,17,33,40,04,000.00		
4	State development Loans -SDL	12,17,02,12,98,700.00	12,20,71,74,96,194.42	3,69,64,04,66,194.10	-	23,93,24,93,500.00	63,68,54,613.37	15,65,78,86,14,275.15	15,61,71,72,15,200.00		
5	State Govt Securities -STG	56,61,90,00,000.00	56,89,01,17,099.68	15,00,00,00,000.00	-	-	3,58,29,696.29	71,85,42,87,403.39	71,61,90,00,000.00		
6	Special Deposit Scheme -SDS	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64		
7	Public Account	24,22,76,32,831.72	24,22,76,32,24,631.72	1,64,10,09,00,000.00	-	-	11,39,04,13,12,415.86	14,47,82,28,12,415.86	14,47,82,28,12,415.86		
8	ETF	2,24,13,31,42,129.00	2,24,13,31,42,129.00	96,39,04,72,290.83	-	-	-	3,20,52,36,14,419.83	3,20,52,36,14,419.83		
9	LIIF	13,31,21,167.41	13,31,21,167.41	96,15,39,10,670.00	-	98,28,70,31,837.41	-	-	-		
10	FDR	9,03,75,04,521.00	9,03,75,04,521.00	11,25,00,00,000.00	-	9,03,75,04,521.00	-	11,25,00,00,000.00	11,25,00,00,000.00		
11	Amount Under-Reconciliation	-	(11,34,92,08,55,135.91)	-	-	-	-11,34,92,08,55,135.91	-	-		
Total		55,19,22,49,06,070.35	43,77,62,54,33,646.33	9,59,64,32,33,225.93	-	2,42,67,16,37,858.41	4,58,73,25,268.45	50,90,00,95,03,745.40	50,88,95,22,57,633.30		

SCHEDULE No. 22											
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments											
S No	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value			
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value		
1	Central Govt Securities -CTG	32,46,13,77,000.00	32,11,59,44,977.12	1,96,39,38,000.00	-	23,99,60,000.00	-2,40,07,607.58	33,86,39,30,584.70	34,09,14,17,000.00		
2	Public Sector Undertaking -PSU	39,03,81,41,445.71	38,92,63,48,966.90	7,41,00,00,000.00	-	5,27,92,59,000.00	-14,59,761.03	41,05,85,49,727.93	41,06,55,51,000.00		
3	Private Securities	12,22,40,34,000.00	12,23,18,34,154.44	-	-	98,23,83,000.00	7,99,163.32	11,24,86,51,991.12	11,24,16,51,000.00		
4	State development Loans -SDL	65,15,96,11,000.00	65,33,34,95,111.35	19,33,62,40,000.00	-	98,63,10,000.00	3,01,68,393.97	83,65,32,56,717.38	83,43,23,91,000.00		
5	State Govt Securities -STG	3,37,70,00,000.00	3,41,68,36,289.38	25,00,00,000.00	-	-	54,14,053.48	3,66,14,22,235.90	3,62,70,00,000.00		
6	Special Deposit Scheme -SDS	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05		
7	Public Account	1,03,17,23,73,824.14	1,03,17,23,73,824.14	8,71,28,00,000.00	-	-	73,31,43,436.00	1,11,15,20,30,388.14	1,11,15,20,30,388.14		
8	ETF	12,07,01,22,107.00	12,07,01,22,107.00	5,18,01,03,275.00	-	-	-	17,25,02,25,382.00	17,25,02,25,382.00		
9	LIIF	71,19,669.82	71,19,669.82	4,99,97,82,505.00	-	4,99,69,29,559.82	-	99,72,615.00	99,72,615.00		
10	FDR	11,01,14,767.00	11,01,14,767.00	83,00,00,000.00	-	11,00,00,000.00	-	83,01,14,767.00	83,01,14,767.00		
11	Amount Under-Reconciliation	-	14,05,00,757.33	-	-	-	-14,05,00,757.33	-	-		
Total		2,67,64,48,70,122.72	2,67,54,96,66,933.53	48,68,28,63,780.00	-	12,59,48,41,559.82	88,45,58,435.49	3,02,75,31,30,718.22	3,02,72,53,29,461.19		

SCHEDULE No. 26									
EPF Staff Provident Fund -Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value		
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value	
1	Central Govt Securities -CTG	4,14,39,36,000.00	4,10,67,65,305.49	24,41,74,657.00	33,10,000.00	-32,55,885.51	4,35,08,85,848.00	4,37,25,26,000.00	
2	Public Sector Undertaking -PSU	3,95,44,05,280.83	3,93,51,56,977.44	73,00,00,000.00	70,78,95,000.00	-4,60,893.41	3,95,77,22,670.85	3,96,08,21,000.00	
3	Private Securities	1,21,14,15,000.00	1,21,13,70,234.84	-	18,03,80,000.00	-14,841.35	1,03,10,05,076.19	1,03,10,35,000.00	
4	State development Loans -SDL	5,94,26,40,000.00	5,95,40,53,157.91	1,52,56,17,400.00	25,40,20,000.00	24,79,600.19	7,22,31,70,957.72	7,20,53,00,000.00	
5	State Govt Securities -STG	24,60,00,000.00	24,90,58,098.74	-	-	4,12,137.24	24,86,45,961.50	24,60,00,000.00	
6	Special Deposit Scheme -SDS	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	
8	ETF	71,43,48,818.80	71,43,48,818.80	16,66,70,603.00	-	-	88,10,19,421.80	88,10,19,421.80	
9	LMF	92,72,177.00	92,72,177.00	16,83,49,938.00	17,99,54,136.00	-46,64,042.00	23,32,021.00	23,32,021.00	
10	Amount Under-Reconciliation	12,41,49,174.43	12,41,49,174.43	-	-	12,41,49,174.43	-	-	
	Total	17,17,94,86,985.98	17,13,74,94,479.57	2,83,48,12,598.00	1,32,55,59,136.00	11,86,45,449.59	18,52,81,02,491.98	18,53,23,53,977.72	

SCHEDULE No. 27									
EPF Staff Pension cum Gratuity Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value		
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value	
1	Central Govt Securities -CTG	11,25,52,31,200.00	11,13,73,25,968.92	1,10,47,45,000.00	7,34,55,000.00	-83,37,730.80	12,17,69,53,699.72	12,23,17,76,200.00	
2	Public Sector Undertaking -PSU	18,54,91,37,215.34	18,48,58,72,101.92	4,60,00,00,000.00	1,03,36,35,000.00	-37,44,854.31	22,05,59,81,756.23	22,07,97,28,000.00	
3	Private Securities	5,52,06,50,000.00	5,52,60,16,222.70	-	16,00,00,000.00	5,02,755.37	5,36,55,13,467.33	5,36,06,50,000.00	
4	State development Loans -SDL	37,20,54,10,000.00	37,41,21,04,778.99	11,07,82,15,691.00	52,20,70,000.00	5,60,75,313.48	47,91,07,75,156.51	47,71,31,80,000.00	
5	State Govt Securities -STG	49,30,00,000.00	49,91,74,099.29	25,00,00,000.00	-	8,35,640.74	74,83,38,458.55	74,30,00,000.00	
6	Special Deposit Scheme -SDS	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	
8	ETF	8,86,39,11,481.00	8,86,39,11,481.00	4,23,29,80,955.20	-	-	13,09,68,92,436.20	13,09,68,92,436.20	
9	LMF	41,94,348.16	41,94,348.16	4,24,65,84,741.00	4,24,45,52,168.65	0.00	62,26,920.51	62,26,920.51	
10	Amount Under-Reconciliation	21,23,74,100.39	21,23,74,100.39	-	-	21,23,74,100.39	-	-	
	Total	83,02,18,35,671.76	83,05,95,00,428.24	25,51,25,26,387.20	6,03,37,12,168.65	25,97,05,424.87	1,02,27,86,09,221.92	1,02,14,93,80,883.58	

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995													
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20													
(CONTRIBUTION ACCOUNT)													
Previous year		S. No.	Receipts		Amount		Previous year		S. No.	Payments		Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.	Rs.	P.				Rs.	P.
37,78,53,91,92,149.44		1.	Opening Balance as on 01-04-2019		43,68,16,31,84,826.70				1.	Amount paid to outgoing members/ beneficiaries :			
4,02,59,74,17,067.19		2.	(i) Contribution of Employers		4,44,48,54,56,768.36					(a) Amount of Employee's share with interest			0.00
49,00,00,00,000.00			(ii) Contribution of Govt. 2019-2020*		50,96,67,00,000.00			0.00					
			(iii) Arrears of contribution of Govt. up to the year 2018-2019			0.00		76,36,40,57,507.51		(b) Withdrawal/Retirement benefits		67,96,61,93,855.01	
0.00			Interest on the balance in the Public					1,12,07,33,98,520.53		(c) Life Assurance benefits			0.00
		3.								(d) Pension		1,13,20,89,07,594.51	
1,05,68,06,00,000.00			Account of Govt. of India		1,27,13,42,00,000.00				2.	Amount paid as commission for disbursement of pension			
7,80,19,198.28		4.	Interest on Saving Bank Account		5,75,789.80			87,10,61,705.75				98,03,32,208.30	
2,17,70,61,88,066.52		5.	Interest received on Securities		2,48,15,90,41,231.74				3.	Amount paid towards Pension Fund			
3,94,65,23,260.00		6.	Penal Damages		3,94,65,23,260.00			0.00		Admn. Expenses			0.00
		7.	Other receipts :						4.	Amount of securities transferred on grant of exemption			
1,37,99,14,375.93			(a) Regional Contribution A/c No. 10		1,55,24,71,679.95			0.00					0.00
0.00			(b) Central Contribution A/c No. 11		0.00				5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities			
							1,44,62,60,318.87					1,73,20,05,069.78	
									6.	Other payments :			
							98,91,238.00			(a) Regional Contribution A/c No. 10		98,91,238.00	
							0.00			(b) Central Contribution A/c No. 11		0.00	
							43,68,16,31,84,826.70		7.	Closing Balance as on 31-03-2020		50,60,51,08,23,590.95	
45,58,92,78,54,117.36			TOTAL		52,44,40,81,53,556.55		45,58,92,78,54,117.36			TOTAL		52,44,40,81,53,556.55	

*Including a sum of Rs. 14,00,00,00,000.00 received from MoLE against reimbursement minimum pension of Rs. 1,000.00

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976										
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20										
(CONTRIBUTION ACCOUNT)										
Previous year	S. No.	Receipt	Amount	Previous year	S. No.	Payment	Amount			
Rs. P.			Rs. P.	Rs. P.			Rs. P.			
2,36,29,27,13,711.59	1.	Opening Balance as on 01-04-2019	2,67,81,72,10,029.40	7,77,69,46,115.50	1.	Assurance Benefits	8,70,93,00,077.24			
19,42,56,29,631.90	2.	Contribution of Employers	22,39,88,24,014.77		2.	Amount refunded to employers on				
8,13,51,00,000.00	3.	Interest on investment in Public Account of Govt. of India	8,71,28,00,000.00	0.00		grant of exemption				0.00
11,55,54,88,894.77	4.	Interest on investment in securities	13,23,93,99,632.10		3.	Amount paid as accrued interest				
1,652.80	5.	Interest on S.B. Accounts	2,705.33			on purchase of securities	5,72,75,832.96			
19,49,73,834.78	6.	Penal Damages & 7Q Intt.	25,59,44,827.99	9,00,38,359.28	4.	Other payments in :				
	7.	Other receipts in :		4,91,325.66		Account No. 21	5,28,339.63			
8,07,78,104.00		Account No. 21	12,05,41,321.00	0.00		Account No. 25				
0.00		Account No. 25	0.00	2,67,81,72,10,029.40	5.	Closing Balance as on 31-03-2020	3,03,77,76,18,280.76			
2,75,68,46,85,829.84		TOTAL	3,12,54,47,22,530.59	2,75,68,46,85,829.84		TOTAL	3,12,54,47,22,530.59			

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976									
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20									
(ADMINISTRATION ACCOUNT)									
Previous year	S. No.	Receipt	Amount	Previous year	S. No.	Payment	Amount		
Rs. P.			Rs. P.	Rs. P.			Rs. P.		
29,06,38,78,672.78	1.	Opening Balance as on 01-04-2019	31,32,62,67,220.66	35,41,15,574.60	1	1% Proportionate expenditure on EPFO	37,60,93,814.34		
34,45,20,032.27	2.	Administrative Charges received from the employers	31,19,68,978.93		2	Other payments in :			
5,60,58,618.15	3	Inspection Charges received	5,21,64,263.30	1,08,243.08		Account No. 22	19,643.50		
2,32,19,246.52	4	Penal Damages & 7Q Intt.	3,15,40,906.24	0.00		Account No. 24	0.00		
2,19,29,02,154.32	5	Interest received on Investment	2,40,19,47,436.80	31,32,62,67,220.66	3	Closing Balance as on 31-03-2020	33,74,77,81,432.87		
-4,14,711.65	6	Interest on Savings Bank A/c	2,828.52						
3,27,025.94	7.	Other receipts in :	3.00						
0.00		Account No. 22	3,253.26						
		Account No. 24							
31,68,04,91,038.33		TOTAL	34,12,38,94,890.71	31,68,04,91,038.33		TOTAL	34,12,38,94,890.71		

Sd/-

(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Employees' Provident Fund Organisation

Schedule forming part of the Accounts for the period 2019-20

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. Investments

- (A) The policy of Accounting of ETF investment has been proposed to Government of India and will be applicable after notification of proposed amendment in Schemes under EPF & MP Act., 1952. At present, ETF investment is being shown at 'Cost Price'.
- (B) The investment in debts securities has been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.

3. Fixed Assets:

- 3.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.
- 3.2 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and having useful life more than one year is considered as capital expenditure and Depreciation on these assets will be treated as expenditure for the year.
- 3.3 Fixed Assets are valued at historical cost.
- 3.4 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item.

Explanation:

Till F.Y.2015-16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and depreciation is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting

Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and State Government organisations.

4. Depreciation

- 4.1 Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).
- 4.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.
- 4.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.
- 4.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.
- 4.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and 10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

5. Government Grants/Subsidies:

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme and Employees Provident Fund Scheme is accounted on accrual basis.

6. Employees Dues:

- 6.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.
- 6.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

7. Lease

- 7.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
- 7.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

8. Interest Income

- 8.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.
- 8.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".
- 8.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

9. Retirement Benefits:

- 9.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.
- 9.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

10. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

11. Advances to contractors/ Agencies for building construction:

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "Advance to contractors/ agencies". On the basis of measurement at the end of the year the amount will be transferred to the head "Capital work in progress" to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:

1. **Contingent Liabilities:**

S. No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.	Claims against the entity not acknowledged as debts.		
(a)	Goods & Service Tax (formerly, Service Tax)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

Status of cases of Goods & Services Tax (formerly, Service Tax) as on 31-03-2020:

S. No.	Period Covered	ST demand & Nature	Status
1	2010-11	2,16,32,19,135.00	Being aggrieved with the O-I-O dated 21.08.2012 Notice filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, Panchkula
2	2009-10	1,74,75,41,733.00	Being aggrieved with the O-I-O dated 26.11.2015 Notice filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, New Delhi and the appeal has finally been heard on 02.05.2019 and order is reserved which is likely to be pronounced soon.
3	2011-12	2,73,05,33,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,03,75,797.00	

2. **Capital Commitments**

Estimated value of contracts remaining to be executed at the end of F.Y.2019-20, on capital account and not provided for is Rs. 31,076.14 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 29,328.04 Lakh

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts:

The Accounts have been prepared in Common Format of Accounts approved by CAG of India and notified by Government of India vide G.S.R. No.284(E), G.S.R. No.285(E) and G.S.R. No.286(E) dated 04-04-2019.

II. Prior period Income & Expenditure

The Income and Expenditure Accounts includes the prior period income for a sum of Rs. 48.24 Crore and expenditure for a sum of Rs. 60.37 Crore

III. Recovery of statutory dues:

1. Total statutory dues assessed under EPF & MP Act, 1952 and due for realization under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q as on 31st March, 2020 are tabulated as under:-

S. No.	Name of the scheme	Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs. in lakh) as on 31.03.2020		Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs in lakh) as on 31.03.2019	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	345,414.21	216,675.47	2,49,990.71	2,11,906.81
2.	EPF Admn. Fund	26,692.94	15,416.44	17,330.32	19,860.62
3.	Employees' Pension Fund	181,900.83	107,154.93	1,24,859.71	98,926.44
4.	Employees Deposit Link Insurance (EDLI) Fund	16,668.11	9239.55	12,334.89	9,339.26
5.	EDLI Admn. Fund	474.28	383.67	382.07	344.93
Total		571150.37	348870.05	4,04,897.70	3,40,378.06

(Source MIS)

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovered through demand/recovery notices issued to employers, is recorded on cash basis.
3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND:

Employees' Pension Fund actuarial valuation report has been submitted for 31-03-2016 and 31-03-2017, and have been accepted by the Government. The valuation results as on 31.03.2017 are as under:

Valuation Results:

Net Liability Bifurcation	Amount in Crore Rs.
(a) Present Value of all the benefits	7,37,700.57
(b) Present Value of contribution	4,03,756.28
Net Present value of all benefits (C)=(a)-(b)	3,33,944.29
Corpus as on 31-03-2017 (d)	3,18,412.38
Net Liability (c)-(d)(Actuarial Shortfall)	15,531.91

The Employees' Pension Fund actuarial valuation for 31-03-2018 and 31-03-2019 has been completed by the Actuary and the report is expected to be submitted very shortly. Besides, the tender has been issued for inviting requests for proposal for actuarial valuation of the Employees' Pension Fund as on 31-03-2020. The last date for submission of bids was 14th October, 2020.

As per the timeline conveyed to the Ministry of Labour & Employment by EPFO, after the appointment of the Actuary, one month time has been provided for the Actuary to seek required data for valuation and for EPFO to provide the same, and another one month time has been provided for the Actuary to complete the valuation process.

It is also intimated that the Ministry of Labour vide its letter dated 07-09-2020 directed that the process for appointment of Actuary for the next valuation of EPS 1995 (as on 31-03-2021) should start in the first week of January 2021.

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund actuarial valuation was last made as on 31-03-2019 and the valuation results are as under:

	Amount in (Rs. crore)
Net Liability (a)	27099.38
Less Fund (b)	27234.66
Surplus after Fund (b)-(a)	135.28

* It is presumed that proposed amendments in EDLI Scheme approved by CBT, EPF in its 227th meeting held on 09.09.2020 including enhancement of Maximum EDLI benefit from 6 Lakh to 7 lakh will be notified by the Government.

VI. MEMBERS' ACCOUNTS:

(A) **Inoperative Accounts:** The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19. Now the closing balances of Inoperative accounts are being shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year. The amount in 'Inoperative Accounts' is Rs.2827.29 Crore and No. of such accounts is 977763 as on 31-03-2020.

(B) Irregular payments, and Overpayments :

As on 31.03.2020, a sum of Rs. 7.69 crore and Rs. 3.10 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices."

VII. INVESTMENTS:

(A) Investments pending for realisation-

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as Annexure 'A'

(B) Refund of TDS:

A sum of TDS of Rs. 8.37 crore had been erroneously deducted and deposited in the Income Tax Department during 1997-1998 to 2005-2006. The matter has been taken up with the Secretary MOL&E vide U.O. Note dated 20-06-2018 proposing therein that issue may be taken up at level of Hon'ble Minister of Labour and Employment of the Government of India with Hon'ble Minister of Finance of the Government of India for issuing necessary directions to the Income Tax authorities for refund of Rs. 8,36,98,105.70 along with interest at the earliest. Under Secretary to Govt. of India, MOL&E vide letter dated 16.07.18 has requested to furnish the information relating to Details of Tax Deductions and the amount of tax deducted date wise and tax wise certificate nos. and date of each certificate.

(C) **Difference between the figures of Investments:**

The difference in the investment figures as shown in the Balance Sheet and in the holding figures held in the investment records was due to the fact that while the investment figures shown in the Balance Sheet are reflected at the cost price after amortisation, they are booked at the face value in the Investment records. The difference between the cost price after amortisation and the face value would, therefore, depend upon the extent of premium paid/discount availed and to the extent the same has already been amortized. As securities are regularly purchased, the calculation of amortization is a dynamic and ongoing process and is handled through dedicated software for computing the same. However the amount shown as un-reconciled during previous year was reconciled as per the assurance given to CAG by EPFO during audit of annual accounts of 2018-19. The difference between the opening balance of amortized/cost value of investments shown in Balance Sheet and figures derived after reconciliation have been adjusted from Investment and Income from Investment during 2019-20.

(D) The market value of amount invested in ETF as on 31-03-2020 was Rs.87506.82 Crore.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	(-) 41,64,55,986.26
Add: Amount remained unclassified during the year	3,659,389,320.09
Total	3,242,933,333.83
Less: Amount cleared during the year	2,533,746,429.98
Closing Balance	709,186,903.85

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	26,57,65,643.18
Add: Amount remained unclassified during the year	2,238,069,423.85
Total	2,503,835,067.03
Less: Amount cleared during the year	2,213,187,030.26
Closing Balance	290,648,036.77

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	1,07,30,98,402.14
Add: Amount remained unclassified during the year	2,287,762,785.99
Total	3,360,861,188.13
Less: Amount cleared during the year	2,237,506,519.18
Closing Balance	1,123,354,668.95

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	23,86,68,019.07
Add: Amount remained unclassified during the year	63,137,079.65
Total	301,805,098.72
Less: Amount cleared during the year	78,549,132.66
Closing Balance	223,255,966.06

IX. PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employers responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO is directly reimbursed the deducted amount from the above mentioned bank Account.

Government of India will pay full employer's contribution (EPF & EPS both) as admissible from time to time w.e.f. 01-04-2018 for a period of three years to the new employees and to the existing beneficiaries for their remaining period of three years through EPFO. The terminal date of registration of beneficiaries through establishment is 31st March, 2019 (amendment in PMRPY was done by Government through Office Memorandum DGE-U-13015/01/2016-MP(G) dated 12-04-2018)

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY has been returned back to Government of India, while the unutilized grant-in-aid funds of both the

schemes are lying in PMRPY and PMPRPY accounts separately opened for this purpose in Indian Bank. The details of the accounts is mentioned as under:-

S. No.	Details of PMRPY		
1	Opening Balance (01.04.2019)		812,408,590.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E)	34,000,000,000.00	
3	Interest Credited by Bank	51,422,189.00	
4	Credit received as recovery of debit entries on 29.02.2020	2,617,967,583.00	
5	Reversal of wrongly debited amount on 17.07.2018	4,648,946.00	36,674,038,718.00
	Less		
6	Subsidy to employers	36,995,750,658.00	
7	Interest Refunded to MoL&E, Govt. of India upto 2018-19 under GFR provisions	136,871,517.00	37,132,622,175.00
		Closing Balance	353,825,133.00

S. No.	Details of PMPRPY		
1	Opening Balance (01.04.2019)		200,671,224.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E)	0.00	
3	Interest Credited by Bank	7,729,403.00	
4	Reversal of wrongly debited amount on 17.07.2018	2,243.00	7,731,646.00
	Less		
5	Subsidy to employers	0.00	
6	Interest Refunded to MoL&E, Govt. of India upto 2018-19 under GFR provisions	21,216,858.00	21,216,858.00
		Closing Balance	187,186,012.00

X. Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

- i. Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience it is shown in PF Scheme Account.
- ii. Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.
- iii. Credits by banks for testing of transaction are treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges are shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.
- iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF Scheme (After adjustment of transactions of other Schemes and Administration Accounts).

XI. Fixed Assets (Schedule No.24)

- (A) 'Other Fixed Assets comprise the assets such as Powder Drilling Machine, Full screen professional Display, Fire extinguishers, Stabilizers, etc.
- (B) The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under:-

S. No.	Name of Zone/Office	Details of Land
1	Hyderabad	Sy No. 276/2 at Allwyn Colony, Kukatpally, GO MS No. 166 dated 17.06.2016
2	Head Office	The builtup office space of EPFO Head Office, 14-Bhikaji Cama Place, Hudco Vishala Building was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not registered in the name of EPFO. The Book value of this Building as on 31.03.2020 is Rs. 20,87,57,377/- only after depreciation.

XII. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f.1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis.

The actuary has submitted its report for 2018-19 and the total Projected Benefit Obligation (PBO) is tabulated below:

(Rs. in crores)		
(i)	Pension	11406.84
(ii)	NPS(Family Pension in death cases)	558.34
(iii)	Gratuity	1058.37
(iii)	Total liabilities (i) + (ii)+(iii)	13023.55
(iv)	Available balance as on 31.03.2020	10355.83
(v)	Deficit (iii) – (iv)	2667.72

The report of the actuary has been approved by the CBT, EPF in its 226th meeting held on 05-03-2020.

XIII. Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Sd/-
(Hemant Jain)
FA & CAO

Sd/-
(Sunil Barthwal)
Central P.F. Commissioner

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY AS ON 31st MARCH, 2020

S. No.	Name of establishment	Principal (Face Value of Security) in default	Interest due but not received	Present status
1.	M/s Uttar Pradesh Financial Corporation (Since 1st April, 2004)	Nil	45,38,17,159.95	Due to failure of UPFC to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P.(Lucknow Bench) for payment of the principal amount, Contempt petition was filed in the High Court by RPFC, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1760. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P. No.1760), UPFC has paid the Principal amount of Rs.25 crore on 27.08.2018. Standard Chartered Bank, Custodian vide e-mail dated 07.09.2018 & RO, Lucknow vide e-mail dated 10.09.2018 has confirmed that Standard Chartered Bank (SCB) has received of Rs. 25 Crore pertaining to UPFC Securities. Apart from that UPFC has paid Rs.27,60,00,00,000/- only as claim for interest on 05.12.2018. In this connection, The Principal Secretary, Deptt. of Infrastructure & Industrial Development, State of U.P., Civil Secretariat, Lucknow vide this Office letter dated 10.05.2019 has been requested to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount. Remarks – Rs.25,00,00,000/- as Principal amount has been received from UPSFC on 27-08-2018. Remarks – Rs.27,60,00,00,000/- as Interest amount has been received from UPSFC on 05.12.2018.

2.	M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002)	Nil	4,07,74,162.39	EPFO had taken decision to file writ petition to recover the dues. Lawyer requested EPFO to reconsider the decision. EPFO has written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson & Cruddas Limited (RCL) for the entire dues to be recovered. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017. Further matter has been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries. Further, a reminder Letter has also been sent to Joint Secretary, Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries, Govt. of India dated 05-04-2019 with the request to issue necessary direction for early payment of the outstanding overdue interest amount, a copy of which has been endorsed to SCB, Custodian for necessary action.
3.	HMT Machine Tools Limited (HMT) BIFR Case. (Since, 1996)	Nil	3,29,54,230.53	Recovery suits have been filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. The case is still pending. Letter issued on 09-05-2013, 16-08-2014, 27-03-2015 and 05-05-2016 to advocate to furnish opinion on BIFR and to challenge the stay order and to intimate status report. Reminder has also been issued to RC, RO, Bangalore for furnishing the present status of case vide letter dated 29-05-2018 and 02-05-2019.
4.	M/s P.S.I.D.C. (Since 2013- accrued interest on delayed maturity & interest payments	1,90,00,000.00	1,07,90,358.61	A D.O letter was sent to Chairman, PSIDC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT,EPF. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response was received, a D.O. was letter

	are pending since 2004)			issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PSIDC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 15-03-2017, 13-07-2017, 05-02-2018 and 21-05-2019 and Principal Secretary of Finance, Govt. of Punjab on 05-02-2018 and 21.05.2019. Rs. 10 Lakhs received on 11-03-2020.
5.	M/s Punjab Financial Corporation (Since 2014)	46,70,000	7,61,961.97	A D.O letter was sent to Chairman, PFC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT, EPF. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response received, D.O. letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PFC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 & 4-12-2018, 08-05-2019 and M/s PFC on 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2-2018, endorsement letter dated 08.05.2019. A meeting was held in the office of PFC at Chandigarh on 27.05.2019 which was attended by representative of SCB, Custodian and official of EPFO, in which the claim of EPFO was strongly put forward. It was decided that PFC would schedule a Secretary level meeting and communicate about the same to all the bond holders. The response of PFC is still awaited.

6.	M/s Infrastructure Leasing & Financial Service	Nil	74,86,82,157.82	A D.O letter was sent to Chairman, IL&FS on 11.01.2019 to pay the defaulted amount. Further, the Chairman, IL&FS vide this Office reminder letter dated 31.01.2019 has again been requested to submit a detailed action plan on the subject matter at the earliest. Further, Director, SCB vide this Office letter dated 18.02.2019 has been requested to ensure the due payments on account of interest be paid in time to the Central Board, EPF and intimate the updated status to this Office immediately. An Intervention application has been filed before NCLAT on 8th February 2019 by Debenture Trustee on behalf of Debenture holders including EPFO. Custodian is regularly following it up with the Issuer citing EPFO's investments being workers' contributions. The claim form as asked by Claim Management Advisor in case of IL&FS has been duly submitted to the Debenture Trustee. Further, EPFO has directed its Portfolio Managers to submit a joint petition before the appropriate forum under IBC. Hon'ble NCLAT in its judgment dated 12.03.2020 mentioned that "The Union of India, the Board of Directors of IL&FS and the 'Committee of Creditors' already constituted or which may be constituted are directed to conclude resolution of all the Entities preferably within 90 days" and directed to place the case for orders on 14th April, 2020.
7.	M/s DHFL	Nil	50,86,04,642.48	The updated status of M/s Dewan Housing Finance Limited (DHFL) was placed in the 150th FIAC Meeting held on 26.07.2019. FIAC deliberated on the issue. It was decided that in case of DHFL, all out effort be made to ensure deposit of the due early redemption amount, however, the same was not deposited by the due date as per M/s DHFL's commitment. Further, M/s Catalyst Trusteeship Ltd. (CTL), the Debenture Trustee (DT) had also sent a legal notice to M/s DHFL. RBI has appointed an administrator and proceeding has been initiated under IBC.
8.	M/s Reliance Capital	Nil	50,63,83,561.65	A letter dated 03.06.2019 was sent to Reliance Capital for making suitable provisions for earmarking funds for servicing the interest and early maturity of EPFO bonds. An agenda item on the "Divestment of stake in Reliance capital AMC by M/s Reliance Capital" was placed in the 150th Meeting of FIAC held on 26.07.2019. FIAC deliberated on the issue & approved the proposal for taking up the matter with SEBI & Ministry of Corporate Affairs. It was also decided to direct M/s Reliance Capital to prematurely redeem the entire investment of Rs.2500 Cr made by EPFO in Reliance Capital NCDs.

			As approved by the FIAC, for taking up the matter of "Divestment of stake in Reliance Capital AMC by M/s Reliance Capital" with SEBI & Ministry of Corporate Affairs, letters dated 25.09.2019 to SEBI & Ministry of Corporate Affairs were sent regarding the violation of the debenture trust deed & the PMS agreement & request them to examine the same with request that necessary regulatory approval for stake sale by M/s Reliance Capital Ltd in M/s Reliance NAML may only be provided after due compliance of their obligations towards EPFO is made by the respective Companies i.e. M/s RNAM & M/s Reliance Capital Ltd. so that interests of EPFO are duly protected. The DT has filed original application in the Debt Recovery Tribunal against the company on 30th November 2019. A meeting was called by the Competent Authority on 17.02.2020 wherein representatives from below mentioned entities were present: ➤ M/s Vistra ITCL, the DT ➤ PMs (both UTI AMC and SBI FMPL) ➤ Panel Advocate(Sh. Siddharth) ➤ Consultant M/s CRISIL ➤ External Concurrent Auditor In the said meeting, after detailed deliberation, the CPFC advised the DT to submit the action taken by them for securing the interest of Debenture holders particularly that of EPFO.
--	--	--	---

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organization for the year ended 31 March 2020.

SEPARATE AUDIT REPORT-OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2020, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of Head office, 22 Zonal offices (ZOs), 135 Regional offices (ROs) and PDUNASS. Out of these, accounts of Head Office, five Zonal offices, six Regional Offices were audited and comments thereof have been considered while finalising the report. These financial statements are the responsibility of the EPFO's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	1. No Comments, being factual.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	2. No Comments, being factual.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as	3. No Comments required.

well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.		4. No Comments, being factual.	
4. Based on our audit, we report that: i. We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit; ii. The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance subject to the observations in the report. iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books.			
iv. We further report that:		A.1 Assets	
A. Balance Sheet		A.1.1 Investments in Public Accounts (Schedule 20, 22)	
A.1 Assets		The documents received in r/o of the following points of interest and contribution will be provided to the Audit team during their next visit to this office.	
A.1.1 Investments in Public Accounts (Schedule 20, 22)		1. Rs.871.28 Crore:- Payment of interest on EDLI fund kept in Public Account for the year 2019-20.	
		2. Rs.16,410.09 Crore:- Rs.12,713.42 Crore is Payment of interest on EPS fund kept in Public Account for the year 2019-20 plus Rs.3,696.67 Crore is contribution received from Govt. under EPS for the year 2019-20.	
		3. Rs.11,115.20 Crore:- Closing Balance on EDLI fund kept in Public Account for the year 2019-20.	
		As regards, confirmation of closing balance of investment in Public Account has been corrected in the Annual Report of Balance Sheet for F.Y. 2020-21.	

SCHEDULE No. 20							
Employees' Pension Fund - Investments							
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Co st value			Amortized/C ost Value	Face Value
7	Public Account	24,22,76,32,24,831	24,22,76,32,24,831	1,64,10,09,00,000	11,39,04,13,12,415	14,47,82,28,12,415	14,47,82,28,12,415

Rs. 144,782.28 Crore:- The closing balance calculation sheet has been attached in which closing balance is Rs.143,098.74 Crore, the difference has been reconciled under the head of Cost of Amortization in the FY 2020-21 as already explained in the Revised Draft SAR reply dated 21.10.2021.

SCHEDULE No. 22						
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme - Investments						
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Cost of Amortisation	Current Value Amortized/Cost Value
		Face Value	Amortized/Cost value			
7	Public Account	1,03,17,23,73,824	1,03,17,23,73,824	8,71,28,00,000	73,31,43,436	1,11,15,20,30,388

Department did not provide documents in support of amount invested during the year, cost of amortisation and closing balance of Investment in Public Account.

Department in its reply furnished the breakup of cost of amortisation but has not furnished any documents in support of amount invested in Public Account during the year amounting to Rs.17281.37 crore (Rs.16410.09 crore plus Rs.871.28 crore) and confirmation of closing balance of investments in Public Account amounting '155897.48 crore (Rs.144782.28 crore plus Rs.11115.20 crore).

In view of above audit is unable to verify the correctness of the amounts appearing under head Investment in Public Account in schedules 20 and 22 of annual accounts.

A.1.2 Closing balances of ETF Investments –

Closing balances of ETF Investments appearing in Investment schedules 18 to 27 do not match with the balances of Investments certified in the Holding certificate issued by Standard Chartered Bank as detailed below:

Schedule of investment	Name of Account as per certificate	Closing balance of ETF as per annual accounts	ETF units as per Bank Certificate
18	CBT-EPF-05-V-DM	7,06,49,93,09,182.11	6,57,03,68,968.00
20	CBT-EPF-11-V-DM	3,20,52,36,14,419.83	2,82,16,97,883.00
22	CBT-EPF-25-V-DM	17,25,02,25,382.00	13,24,28,000.00
26	CBT-EPF-08-V-DM	88,10,19,421.80	62,98,000.00
27	CBT-EPF-09-V-DM	13,09,68,92,436.20	9,57,68,000.00
Total		10,58,25,10,60,841.94	9,62,65,60,851.00

A.1.2 Closing balances of ETF Investments –

The observation is noted. The issues of reconciliation is not in correct number, but it will be ensured that the cost price of the units which is already included in the certificates of ETF provided by the bank will also be shared with the Audit (including the differences pointed out for further rectification in case the above exists).

Department has replied that the amounts appearing in annual accounts are cost price of ETF and amounts in Certificates of ETF provided by bank are units of ETF. Hence, in the absence of any details of cost price of individual units of ETF Audit was unable to verify the correctness of closing balances of Rs. 1058251060841.94 pertaining to ETF appearing in accounts.	A.1.3 Reconciliation of differences in value of Investments i) Opening balances of schedules of Investments show that there were following differences in Face value and Amortized value of Investments as detailed below: <table><tr><th colspan="3">(Amount in Rupees)</th></tr><tr><th rowspan="2">Particulars</th><th>Opening balance</th><th rowspan="2">Amortized/cost value</th></tr><tr><th>Face value</th></tr><tr><td>Schedule no.18 EPF (a/c 05)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amount under reconciliation</td><td>0</td><td>-26,74,79,47,359.78</td></tr><tr><td>Schedule 20 EPS (a/c 11)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amount under reconciliation</td><td>0</td><td>(11,34,92,08,55,135.91)</td></tr><tr><td>Schedule 22 EDLI (a/c 25)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amount under reconciliation</td><td>0</td><td>14,05,00,757.33</td></tr><tr><td>Schedule 26EPF staff PF (a/c 08)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amount under reconciliation</td><td>12,41,49,174.43</td><td>12,41,49,174.43</td></tr><tr><td>Schedule 27 EPF staff Pension cum gratuity (a/c 09)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amount under reconciliation</td><td>21,23,74,100.39</td><td>21,23,74,100.39</td></tr></table> During the year Department has conducted a reconciliation of differences in Investments. The objective of Reconciliation should have been to find out details of these differences appearing in above schedules. However, the Reconciliation methodology did not attempt to find out details of these differences and reasons thereof. Instead some rectifications have been carried out in investment software and differences appearing in schedules were written off without finding out details and reasons thereof. Department has replied that "Amount under Reconciliation" shown in the previous years had arisen on	(Amount in Rupees)			Particulars	Opening balance	Amortized/cost value	Face value	Schedule no.18 EPF (a/c 05)			Amount under reconciliation	0	-26,74,79,47,359.78	Schedule 20 EPS (a/c 11)			Amount under reconciliation	0	(11,34,92,08,55,135.91)	Schedule 22 EDLI (a/c 25)			Amount under reconciliation	0	14,05,00,757.33	Schedule 26EPF staff PF (a/c 08)			Amount under reconciliation	12,41,49,174.43	12,41,49,174.43	Schedule 27 EPF staff Pension cum gratuity (a/c 09)			Amount under reconciliation	21,23,74,100.39	21,23,74,100.39
(Amount in Rupees)																																						
Particulars	Opening balance	Amortized/cost value																																				
	Face value																																					
Schedule no.18 EPF (a/c 05)																																						
Amount under reconciliation	0	-26,74,79,47,359.78																																				
Schedule 20 EPS (a/c 11)																																						
Amount under reconciliation	0	(11,34,92,08,55,135.91)																																				
Schedule 22 EDLI (a/c 25)																																						
Amount under reconciliation	0	14,05,00,757.33																																				
Schedule 26EPF staff PF (a/c 08)																																						
Amount under reconciliation	12,41,49,174.43	12,41,49,174.43																																				
Schedule 27 EPF staff Pension cum gratuity (a/c 09)																																						
Amount under reconciliation	21,23,74,100.39	21,23,74,100.39																																				
	A.1.3 Reconciliation of differences in value of Investments i) The differences which are pointed by Audit were accumulated over a long period (10 to 15 years). The observation of audit is noted and necessary action to carry out the reconciliation following the standard accounting policy to match the amount of errors noticed during reconciliation with the amount of difference appearing in the amounts will be made and reported to Audit. It will be ensured that basic details of security codes of investments will be shared with audit at the commencement of audit itself in the next Audit.																																					

account of erroneous data used during the previous years for the calculation of amortization. Erroneous data included data of securities which had already matured in the previous years, errors in date of Maturity in respect of securities where call/put options were exercised etc leading to erroneous calculation of cost of Amortization during the previous years. Reply is not tenable as department has not made any attempt to match the amount of errors noticed during reconciliation with the amounts of differences appearing in accounts. The difference amounts have been written off without any reconciliation. In view of this audit could not derive assurance about accuracy and transparency of amounts of differences written off during reconciliation.	ii) The differences which are pointed by Audit were accumulated over a long period (10 to 15 years). The observation of audit is noted and necessary action to carry out the reconciliation following the standard accounting policy to match the amount of errors noticed during reconciliation with the amount of difference appearing in the amounts will be made and reported to Audit. It will be ensured that basic details of security codes of investments will be shared with audit at the commencement of audit itself in the next Audit.			
SCHEDULE No. 18				
Employees' Provident Fund -Investments				
S No.	Nature of Investment	Cost of Amortisation during the year	Difference to be adjusted after reconciliation	Cost of Amortisation shown in Schedule
	Total	47,60,56,880.16	31,36,62,56,557.38	31,84,23,13,437.54
SCHEDULE No. 20 Employees' Pension Fund -Investments				
	Total	42,95,57,186.67	3,73,10,801.83	46,68,67,988.50
SCHEDULE No. 22 Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments				
	Total	1,09,06,244.42	7,997.74	1,09,14,242.16
SCHEDULE No. 26 EPF Staff Provident Fund -Investments				
	Total	(8,39,682.84)	(0.00)	(8,39,682.84)
SCHEDULE No. 27 EPF Staff Pension cum Gratuity Fund -Investments				
	Total	1,43,31,324.48	3,30,00,000.00	4,73,31,324.48
	Grand total	93,00,11,952.89	31,43,65,75,356.95	32,36,65,87,309.84

Out of the total Rs.32,36,65,87,309.84/- written off as cost of amortisation/amount of reconciliation in schedules of investments, department has provided detailed calculations for only cost of amortisation during the year amounting to Rs.93,00,11,952.89/-. Department has not provided any details and reasons for Rs.31,43,65,75,356.95/- under head 'difference to be adjusted after reconciliation'. These amounts are not appearing in worksheets of reconciliation provided to audit. Hence audit cannot verify the details and reasons for writing off Rs.31,43,65,75,356.95/- in investments. Department has replied that it has rectified the errors in the data in the investment Software and after reconciliation to rectify the closing balances to the correct value of the amortized value as on 31.03.2020, had made adjustment in the 'cost of Amortization' during the year 2019-20. Reply is not tenable as department has not made any attempt to find details and reasons for differences in amortisation values. Department has not provided any details and reasons for writing off Rs. 31,43,65,75,356.95/- under head 'difference to be adjusted after reconciliation'. These amounts are not appearing in worksheets of reconciliation provided to audit. Hence, audit cannot verify the details and reasons for writing off Rs.31,43,65,75,356.95/- in investments.	iii) The observation made by Audit is noted for future compliance. It will be ensured that basic details of security codes of investments will be shared with audit at the commencement of audit itself in the next Audit.
---	---

assigned to the purchase PR entry by the separate fund managers (4 in numbers upto Oct 2019) and the same was reflected in the SCB holding statement as well as EPF holding statement maintained by EPFO internally. After the portfolio management was shifted from erstwhile 4 fund managers to 2 new fund managers, the holding in SCB was merged from the erstwhile 4 fund managers under the existing 2 fund managers. During the process, the security codes were also merged to the last allotted security code. This exercise was completed in SCB's database in November 2019. The department also stated that the entire holding data was actually provided to audit. The separate ISIN sheet which was provided later was prepared to enable easy identification of all the securities with several securities codes allotted earlier, but which had to be merged under the latest security code in SCB's data base. The exercise of preparing the ISIN Sheet was done to ensure that all securities with separate fund manager wise security codes available in the database are updated with the ISIN for proper identification of the security codes. Reply is not tenable as such basic details of security codes of investments should have been shared with audit at the commencement of audit. In absence of such information during period of audit, audit is unable to derive assurance about transparency and true and fair state of affairs of investments appearing in accounts of EPFO	iv) The observations of Audit is taken note off and it will be ensured provision is made for separate code to be assigned for TREPS for which ISIN is not available and it will also be ensured that specific details of TREPS which do not have ISIN will be furnished to Audit in future.								
iv) Test check has revealed that in some cases the security code appearing in Standard Chartered Bank (SCB) Holdings Certificate was not appearing either in ISIN Sheet and reconciliation sheet as detailed below: <table><tr><th>Security code as per SCB (Account No. 5 and 11)</th><th>Corresponding security code as per ISIN sheet</th><th>Security code as per reconciliation sheet Account No. 5 and 11</th><th>Amount</th></tr><tr><td>724532</td><td>-</td><td>-</td><td>5,49,95,69,349.16</td></tr></table> Department replied that the security code 724532 was a temporary code given to TREPS in hand as on 31.03.2020 of maturity date 03.04.2020 given by SCB. No ISIN is allotted to TREPS and hence there was no ISIN mapping against this security code.	Security code as per SCB (Account No. 5 and 11)	Corresponding security code as per ISIN sheet	Security code as per reconciliation sheet Account No. 5 and 11	Amount	724532	-	-	5,49,95,69,349.16	
Security code as per SCB (Account No. 5 and 11)	Corresponding security code as per ISIN sheet	Security code as per reconciliation sheet Account No. 5 and 11	Amount						
724532	-	-	5,49,95,69,349.16						

Reply of department is not tenable as department did not provide specific details of existence of security pertaining to code 724532 in the investment software. In view of this audit is unable to verify correctness of amounts of investments appearing in the accounts. v) In following test checked cases security code appearing in reconciliation sheets were not appearing in ISIN sheet as detailed below: <table border="1"> <tr> <td>Security code as per reconciliation sheet Account No. 5 Annex-H</td> <td>Corresponding Securitycode as per ISIN sheet</td> </tr> <tr> <td>775134</td> <td>-</td> </tr> </table>	Security code as per reconciliation sheet Account No. 5 Annex-H	Corresponding Securitycode as per ISIN sheet	775134	-	v) Observation of Audit is taken note of. As TREPS and FDs do not have ISIN, appropriate action will be taken in future to provide Audit with detailed statements of the procedure of allotment of security code to different type of securities and other investments like TREPS and FDRs for proper tracking and reconciliation of the test checked security.
Security code as per reconciliation sheet Account No. 5 Annex-H	Corresponding Securitycode as per ISIN sheet				
775134	-				
In such circumstances audit is unable to derive assurance about transparency and true and fair state of affairs of investments appearing in accounts of EPFO. Department replied that the code 775134 is for a security which had been purchased by one fund manager and matured in May 2019 with the same code. As the data base was updated with ISIN for all securities in September 2019, the same was missing in respect of this security code. It is informed that no ISIN are allotted to TREPS and FDs. Therefore except for TREPS and Fixed Deposits, all other security codes are updated with ISIN and are appearing in the ISIN sheet in respect of the securities purchased up to September 2019 when the ISIN sheet was prepared. Reply of department is not tenable as in absence of a security code consistently being allotted to all types of securities, audit could not track the transaction pertaining to a test checked security. Hence, in such circumstances audit could not derive assurance about accuracy, and transparency of coding system of securities and accuracy of amounts of securities appearing in accounts.	vi) Observation is noted and it will be ensured that the coding of security is consistent, reliable, transparent and easily verifiable by Audit in future.				

ISIN sheet. In such circumstances audit is unable to derive assurance about transparency and true and fair state of affairs of investments appearing in accounts of EPFO. Department replied that the 242 codes (in Annexure-I) which are not appearing in ISIN sheet has been verified. Further, it was identified that in respect of 107 securities under of PSU category, the fund manager had not updated the ISIN. The matter was taken up with SCB and fund managers in May, 2021 and it was ensured that all the security codes are updated with ISIN and the same was updated by September 2021. Department has admitted that lapse in the security system and has taken up the matter with SCB. However, in such circumstances as the coding of securities is not consistent, reliable and transparent audit could not derive assurance about accuracy of amounts of securities appearing in accounts of department.																															
A.1.4 Cost of amortization in Income & Expenditure Account – The following differences were noticed in amounts of cost of amortization during the year shown in schedules of Investments and schedules of Income and Expenditure account. <table><tr><th rowspan="2">Account no.</th><th>Cost of amortization during the year in schedules of investments</th><th>Cost of amortization adjusted in schedules of Income and Expenditure account</th><th rowspan="2">Difference (a-b)</th></tr><tr><th>b</th><th>a</th></tr><tr><td>05</td><td>5,09,43,66,077</td><td>4,26,81,57,313</td><td>82,62,08,764</td></tr><tr><td>11</td><td>4,58,73,25,268</td><td>-23,44,04,802</td><td>4,82,17,30,070</td></tr><tr><td>25</td><td>88,45,58,435</td><td>-77,10,75,245</td><td>1,65,56,33,680</td></tr><tr><td>08</td><td>11,86,45,449</td><td>0</td><td>11,86,45,449</td></tr><tr><td>09</td><td>25,97,05,424</td><td>0</td><td>25,97,05,424</td></tr><tr><td colspan="3">Grand Total</td><td>7,68,19,23,387</td></tr></table>	Account no.	Cost of amortization during the year in schedules of investments	Cost of amortization adjusted in schedules of Income and Expenditure account	Difference (a-b)	b	a	05	5,09,43,66,077	4,26,81,57,313	82,62,08,764	11	4,58,73,25,268	-23,44,04,802	4,82,17,30,070	25	88,45,58,435	-77,10,75,245	1,65,56,33,680	08	11,86,45,449	0	11,86,45,449	09	25,97,05,424	0	25,97,05,424	Grand Total			7,68,19,23,387	A.1.4 Cost of amortization in Income & Expenditure Account – The cost of Amortization shown in schedules of investments and schedules of income and expenditure account for FY 2019-20 is adjustment entries made after the reconciliation exercise was carried out. Now as advised by audit, attempt will be made to reconcile the same amounts of difference appearing in the accounts and the under stated cost of amortization will be accordingly rectified.
Account no.		Cost of amortization during the year in schedules of investments	Cost of amortization adjusted in schedules of Income and Expenditure account		Difference (a-b)																										
	b	a																													
05	5,09,43,66,077	4,26,81,57,313	82,62,08,764																												
11	4,58,73,25,268	-23,44,04,802	4,82,17,30,070																												
25	88,45,58,435	-77,10,75,245	1,65,56,33,680																												
08	11,86,45,449	0	11,86,45,449																												
09	25,97,05,424	0	25,97,05,424																												
Grand Total			7,68,19,23,387																												

Department has admitted the errors and has stated that the necessary adjustments would be carried out in accounts of 2020-21. Hence, at present the cost of amortisation has been understated in Income and Expenditure account by Rs.7,68,19,23,387/-.	A.1.5 Investments (Schedule 25, 29) There was difference in the amount of investments in Special Deposit Account as shown in accounts and as confirmed by the Pay and Accounts office as detailed below: <table><tr><th>Schedule No.</th><th>Amount shown in accounts</th><th>Amount as intimated by Pay and Accounts office</th><th>(Amount in Rupees) Difference</th></tr><tr><td>25 -EPF Administration fund Special Deposit Account</td><td>2,51,32,19,67,395.25</td><td>2,51,39,82,04,553.13</td><td>-7,62,37,157.88</td></tr><tr><td>29 -EDLI Administration fund Special Deposit Account</td><td>32,73,42,61,738.28</td><td>32,71,09,54,913.80</td><td>2,33,06,824.48</td></tr></table> Department has replied that the matter has been taken up with Reserve Bank of India for the reconciliation of difference in balances.	Schedule No.	Amount shown in accounts	Amount as intimated by Pay and Accounts office	(Amount in Rupees) Difference	25 -EPF Administration fund Special Deposit Account	2,51,32,19,67,395.25	2,51,39,82,04,553.13	-7,62,37,157.88	29 -EDLI Administration fund Special Deposit Account	32,73,42,61,738.28	32,71,09,54,913.80	2,33,06,824.48
Schedule No.	Amount shown in accounts	Amount as intimated by Pay and Accounts office	(Amount in Rupees) Difference										
25 -EPF Administration fund Special Deposit Account	2,51,32,19,67,395.25	2,51,39,82,04,553.13	-7,62,37,157.88										
29 -EDLI Administration fund Special Deposit Account	32,73,42,61,738.28	32,71,09,54,913.80	2,33,06,824.48										
	A.1.5 Investments (Schedule 25, 29) a) Rs. 2,51,39,82,04,553.13 has been shown as interest as per certificate received from MoLE in respect of 25 -EPF Administration fund Special Deposit Account. (copy attached). b) Rs. 32,71,09,54,913.80 has been shown as interest as per certificate received from MoLE in respect of 29 -EDLI Administration fund Special Deposit Account(copy attached). Hence, as per Banking Section there is no discrepancy in the record. The documents received in r/o of the aforesaid points will be provided to the Audit team during their next visit to this office.												
	A.1.6 Fixed Assets (Schedule-24) i) Differences in opening balances of Fixed Assets Opening Balances of Gross assets have been changed from Closing Balances of previous year because of inclusion of left out Assets which have already fully depreciated and correction of wrong categorization of Assets. It is further clarified												
A.1.6 Fixed Assets (Schedule-24) i) Differences in opening balances of Fixed Assets During verification of opening balances of Fixed Assets from closing balances of previous year accounts, the following differences were noticed:													

that there is no change in the total of opening balance and closing balance of depreciated value of Assets which are shown in “Fixed Assets Head” of Balance Sheet. It means there is no under or over valuation of Assets in Balance Sheet. However, the observation has been noted and due attention will be duly accorded accordingly.

(Amount in Rupees)							
S. No.	Fixed Asset	Gross Block		Difference	Depreciation		Difference
		Closing balance of 2018-19 (Cost/valuation at the end of the year 31.03.19)	Opening balance of 2019-20 (Cost/valuation at the beginning of the year 01.04.20)		Closing balance of 2018-19 (Accumulated depreciation at the end of the year 31.03.2019)	Opening balance of 2019-20 (Accumulated depreciation at the beginning of 2019-20)	
1	Free hold land	62,72,39,532	66,00,89,540	-3,28,50,008	0	0	
2	Lease hold land	26,13,70,818	22,85,20,810	3,28,50,008	0	0	
3	Building-Office	2,26,59,40,041	2,27,71,25,924	-1,11,85,883	36,32,37,649	36,35,61,508	-3,23,859
4	Lease hold Building-Office	8,19,05,700	80,07,19,817	-71,88,14,117	21,00,18,301	20,96,94,442	3,23,859
5	Furniture & Fixtures	19,35,09,327	19,33,14,462	1,94,865	4,08,03,289	4,06,08,423	1,94,866
6	Office Equipments	6,98,55,863	6,98,09,042	46,821	2,29,73,418	2,29,26,597	46,821
7	Computers/Peripherals	72,53,05,176	72,45,31,620	7,73,556	41,36,85,467	41,27,83,712	9,01,755
8	Electrical Installations	4,20,14,466	4,20,14,461	5	72,22,623	72,07,605	15,019
9	Computer Software	1,30,05,598	1,28,50,075	1,55,523	11,20,428	11,08,118	12,310
The differences need to be reconciled.							

ii) Depreciation on Freehold land Schedule 24 of the annual accounts pertaining to details of fixed assets and depreciation thereon shows free hold land and depreciation thereon as detailed below: <table><tr><th colspan="5">(Amount in Rupees)</th></tr><tr><th>Particulars</th><th>Depreciation Accumulated at the beginning of the year</th><th>Depreciation for the current year</th><th>Depreciation on fixed assets deleted during the year</th><th>Accumulated depreciation at the yearend (B)</th></tr><tr><td>Land</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Freehold land</td><td>1,83,752.00</td><td>2,25,658.00</td><td>-</td><td>4,09,410.00</td></tr></table> Audit in this regard observed that there is no provision for charging depreciation on Freehold land either in Company Act or in Income Tax Act. Hence, it was irregular to charge depreciation on freehold land. Department has admitted the error and stated that the depreciation wrongly charged on freehold land will be reversed and adjusted during current financial year 2020-21. Audit may verify the compliance during next audit.	(Amount in Rupees)					Particulars	Depreciation Accumulated at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the yearend (B)	Land					Freehold land	1,83,752.00	2,25,658.00	-	4,09,410.00	ii) Depreciation on Freehold land The observation of the C&AG has been noted and the letter has been issued to the concerned offices for the same. The same will be followed up accordingly.
(Amount in Rupees)																					
Particulars	Depreciation Accumulated at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the yearend (B)																	
Land																					
Freehold land	1,83,752.00	2,25,658.00	-	4,09,410.00																	
A.1.7 Amounts pending reconciliation/settlement There are several balances appearing in Balance Sheet pending reconciliation/settlement viz. amount in transit, amount transferred from one account but not credited to the other and vice versa, erroneous debits and credits in accounts, remittances in transit etc. Some of these balances are pertaining to period as early as 1976-77. Details of these balances totalling Rs.832.03 crore are given in Annexure-II enclosed. Department replied that observations noted for reconciliation and rectifications. Audit may verify compliance during next year.	A.1.7 Amounts pending reconciliation/settlement Due to the large volume of transaction (approx 2.5 crores per year) some erroneous debit & credit entries occur in bank accounts, which may be seen in the schedules entries of previous year still remain UN-reconciled due to unavailability of old records and various other reasons.																				
B. Income and Expenditure Account B.1 Scrutiny of annual accounts of Regional Office, Employees' Provident Fund Organisation, Chennai revealed that under account no. 2 & 21, the cheque upto December 2019 for an amount of	B. Income and Expenditure Account The audit observation has been noted for compliance. Non payment certificate for uncashed cheques has been called for																				

Rs.58.19 lakh remained uncashed at the end of 30 March 2020. As the validity of the cheque had already expired, the same needs to be written back into the accounts and suitable liability for the same needs to be created. Since similar time barred cheques were also there in other ROs/ZOs, a suitable directive may be given to all field offices to review all such cases. The uncashed cheques in respect of Accounts no. 1 was Rs.12.94 crore and for Accounts no. 10 was Rs.2.96 crore as on 31.03.2020. The details of un-encashed cheques of account no. 1 and 10 were not furnished.	from Bank, once the same is received, the amount will be written back in concerned head of account.
C. Annual Valuation of Employees Pension Scheme As per paragraph 32 of Employees Pension Scheme, the Union Government is required to get annual valuation of Employees Pension Fund conducted by a valuer appointed by it. Though the result and impact of annual valuation of 2015-16 and 2016-17 have been disclosed in the Notes to the accounts but impact of Rs.15531.91 crore of actuarial shortfalls have not been accounted for in the books of accounts. Hence in absence of the requisite provision for liability of actuarial shortfall the current liabilities of Employees Pension Scheme (Schedule 7) have been understated by Rs.15531.91 crore. As per Notes on Accounts IV actuarial valuation for valuation for the year 2017-18 and 2018-19 has been completed and report is expected to be submitted shortly. In the absence of the non-accountal of impact of valuation of 2015 and 2016 in the books of accounts and concurrent valuation of the EPS, audit is unable to verify the correctness of the liabilities of EPS. Department replied that the scheme do not provide for booking of notional gain or loss on the basis of actuarial valuation report and that the result & impact of Annual valuation of Employees Pension Fund has been disclosed in the "Notes to Accounts" of Balance Sheet. Reply is not tenable as Accounting Principle provides that provision for all expected shortfall needs to be made. The objective of actuarial valuation is to scientifically measure any shortfall. Unless provision	C. Annual Valuation of Employees Pension Scheme There is no such provision for booking of notional gain or loss on the basis of actuarial valuation report in Accounting Policies of EPFO. However to comply with Audit suggestions, this proposal for provision of shortfall will be placed for approval before competent authority and MoL&E and will be reported in accounts after its approval.

for the shortfall is made, the objective of actuarial valuation is not fulfilled.	D. Significant Accounting Policies (Schedule 44) D.1.1 Significant Accounting Policy No. 9.2 states that Leave encashment shall be treated as revenue expenditure of that year. This accounting policy is in contravention of paragraph 127 of AS-15 which provides that the provision for the leave encashment on retirement should be made on the basis of actuarial valuation.	D. Significant Accounting Policies (Schedule 44) The proposal for making Provision for the leave encashment on retirement on the basis of actuarial valuation will be placed for approval before competent authority and MoL&E and will be taken into accounts after it gets approved. The above is a policy issue and will be taken up accordingly for future rectifications.
E. Grants-in-aid The Employees' Provident Fund Organisation is mainly financed by receipts from the contributions and from the levy of administrative charges. No Grants-in-aid were received by the organisation from the Government of India during 2019-20. However, the Grants-in-aid have been received from the Central Government towards Minimum Pension of Rs.1000 per month under EPS, 1995 and PMRPY Schemes. No grants received during the year under PMRPY Scheme. The head wise grant received is as under:	E. Grants-in-aid No Comments, being factual	E. Grants-in-aid No Comments, being factual

Name of Scheme	Opening Balance	Grant received during the year	Int. received during the year	Int. refund to Ministry during the year	Other receipt during the year	Total	(Amount in crore)	
							Expenditure during the year	Closing Balance
EPS	-8,810.82	5,096.67				NA		
PMRPY scheme	81.24	3,400.00	5.14	13.69	262.26	3,734.96	3,699.58	35.38
PMRPY Scheme	20.07	0.00	0.77	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84

NA- UC not provided by the EPFO

F. Management Letter Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Central Provident Fund Commissioner, EPFO through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action. v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. vi. Subject to the best of our information and because of significance of the matters discussed in the comment no. A.1.1, A.1.2, A.1.3 and A.1.5, we are not able to express an opinion on the financial statements of the Employees' Provident Fund Organisation for the year 2019-20. a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation as at 31 March 2020; and b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.	F. Management Letter Deficiencies pointed out by CAG have been noted and corrective actions are being taken separately.
--	--

For and on behalf of C&AG of India

Sd/-

Principal Director of Audit
(Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi
Date: 15-11-2021

ANNEXURE TO THE SEPARATE AUDIT REPORT

Separate Audit Report (Annexure)-Observations	
1. Adequacy of internal audit system	Comments of the Organisation
i) Internal audit of 130 units including EPFO Hqrs. were planned and conducted during 2019-20 by the audit wing of EPFO. ii) The follow up action on the outstanding objection was not effective as 19722 internal audit paras were outstanding as on 31.3.2020.	i) No Comments, being factual. ii) Regular follow up is made to liquidate pending audit paras and for the compliance of objections raised by internal audit parties.
2. Adequacy of Internal control system.	Adequacy of Internal control system.
i) Deficient Investment software and its operation During the year department has made some rectifications in Investment software for errors noticed in earlier years. The details of these errors as specified in records are 'incorrect reporting in Investment software, CCIL margin not captured in software, wrongly reflected and added as TI, on maturity date entry passed for amount of both MO+CR in software, MO entry passed with incorrect amount in software, MO report amount wrongly reflected as Rs.1 instead of correct amount of Rs.496755000, double entry for MO passed in software, two entries passed for FV and CP, two entries passed for one security and one is duplicate' in software etc. This shows that the Investment software is not foolproof and lacks mandatory checks and validations. Further system to prevent human errors in operation of software also appears to be inadequate. In such circumstances audit could not derive assurance that software system for accounting of Investments is reliable, foolproof, scientific and authentic. Department replied that necessary checks and validation to prevent similar errors has been initiated in the Software and the reconciliation process has been strengthened. Reply is not tenable as no specific details pertaining to software upgradation have been provided. This issue may be further verified during next audit.	i) Deficient Investment software and its operation Observation is noted and steps will be taken to put mandatory checks and validations in the Software to prevent human errors in the operation of the Software and the modification made in the software for such mandatory checks and validation will be informed to Audit during the next Audit. (There is a pre internal audit & CAC division which actually is monitored at the highest level too).

ii) System for regular reconciliation of Investments not established In view of repeated audit observations regarding huge un-reconciled balances in Investments, EPFO has during 2019-20 conducted reconciliation of these balances. Despite repeated un-reconciled balances, the department has not yet established a routine and regular system of reconciliation of Investments. As there is possibility of recurrence of similar reconciled balances occurring in future also, therefore a proper accounting policy duly approved by the governing council, for regular reconciliation of balances under different segments of the investment is required.	ii) System for regular reconciliation of Investments not established- The issue regarding unreconciled balances has been pending for long and EPFO in FY 2019-20 had conducted and exercise for reconciliation of these balances. However, audit has observed that the process of reconciliation carried out is not satisfactory. Accordingly steps have been initiated for conducting a detailed reconciliation once again and the same will be carried and reported to audit. As regards recurrence of similar unreconciled balances occurring in future, it is submitted that proper accounting policy is already in place and regular reconciliation of balances for the current period is done. As already mentioned the reconciliation of the past unreconciled balances will also be carried out. (iii) EPFO follows all the basic principles of accounting and significant accounting policies consented by CAG and approved by Government of India. (iv) EPFO is in process of development of accounting software. The same is likely to roll out in next financial year i.e. 2023-24 as per the plan of action. This is being monitored at the highest level and all issues regarding the accounting units will be maintained properly with respect to ledger & Trial balance etc.
iii) EPFO did not follow the basic accounting principles and annual accounts were being prepared formula based in MS Excel Programme on single entry system resulting in negative entries in annual accounts.	iv) Trial balance and head wise ledgers were not being prepared in their field units as well as EPFO Hqrs.

v) Sundry debits (Schedule 19) include cumulative balance of overpayments and irregular payments of Rs.3.09 crore and Rs.7.69 crore respectively as on 31st March 2020. Amount of irregular payment has increased by Rs.0.32 crore over a period of one year, which indicates a serious system lapse and lack of adequate internal control	(v) Overpayments and irregular payments are being monitored by a Overpayment Committee at Zonal Office level and a dedicated section of Head Office. Apart from this several other measures such as concurrent audit/internal audit/Zonal & regional review meetings at Zones & Region etc. takes care of all the doubtful payments and the dedicated efforts with result oriented monitoring/review, as stated, is being conducted to minimize such cases. The regular recovery is made and required legal & compliance measures are taken in such cases regularly.
3. System of physical verification of Assets The physical verification of furniture & fixtures, computer accessories and vehicles of EPFO Hqrs. and RO-Tambaram, ZO-Mumbai-I, were not conducted during 2019-20.	3. System of physical verification of Assets Noted for compliance. The EPFO Hqrs. , RO-Tambaram and ZO-Mumbai-I have been directed to conduct physical verification of furniture & fixtures, computer accessories and vehicles every year on regular basis
4. System of physical verification of inventory Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO RO-Tambaram, ZO-Mumbai-I, had not been conducted during the year.	4. System of physical verification of inventory Noted for compliance. The RO-Tambaram and ZO-Mumbai-I have been directed to conduct physical verification of inventory every year on regular basis .
5. Regularity in payment of statutory dues. As per accounts, no payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2019	5. Regularity in payment of statutory dues. No Comments, being factual

Annexure to Management Letter

1	1
EPF contribution fund Operative a/c (Schedule 1)	EPF contribution fund Operative a/c (Schedule 1)
1.1 During the year a minus figure of Rs.(-)5,29,19,79,90,114.45 has been added to Operative accounts (Schedule -1) after deducting the same as minus figure from Inoperative accounts (Schedule 2). Similarly, a minus figure of Rs.(-)4,76,07,04,32,909.77 has been deducted from Operative accounts (Schedule - 1) and added in Inoperative accounts (Schedule - 2) as minus figure. Department has replied that due to the amended definition of inoperative accounts, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19 at Head office level and same was not amended in RO/ZO accounts. As the same was already adjusted in consolidated Annual Accounts during 2018-19, EPFO stated that they had to reverse the adjustment made during previous year. Audit observed that the presentation of the adjustments in accounts in form of minus figures is not appropriate as such adjustments make the system appear ambiguous and less transparent. Department has accepted the observation for future compliance.	The observation of the audit has been noted for future compliance.
2.	2.
Investment Fluctuation Account (Schedule 4) - Rs. 270.08 crore	Investment Fluctuation Account (Schedule 4) - Rs.270.08 Crore
2.1 The above amount of Rs.270.08 crore under Investment Fluctuation account had not been operated since 2006-07. A decision on the continuation of this non-operational account and consequent necessary accounting adjustment in the accounts need to be taken. This was pointed out in the last year report also but EPFO has not taken any action. Department has replied that Investment Fluctuations Fund has been discontinued and amount lying under this head has been transferred to Income from investment during current Financial year i.e. 2020-21, as per decision taken by Central Board of Trustees in its 227th meeting held on 09-09-2020. Department has accepted the observation for future compliance.	Investment Fluctuation Fund has been discontinued long back and amount lying under this head will be transferred to the concerned Schedule of Income during current Financial year i.e. 2020-21, as per decision taken by Central Board of Trustees in its 227th meeting held on 09-09-2020. There is no loss to EPFO in any way.

3. Building Construction Fund (Schedule-12) The observation of the audit has been noted and the concerned Division is being advised to transfer the balance to Income & Expenditure account after due process & approval of competent authority.	3. Building Construction Fund (Schedule-12) Schedule - 12 in Liabilities shows a Building Construction Fund of Rs.887.25 crore. EPFO stated that this fund was created to make provision for construction of office buildings, staff quarters etc. and an amount of Rs.887.25 crore was provided up to 2013-14. Thereafter, no provision was made as the expenditure on construction work is being met out of capital budget provided on year-to-year basis. Audit observed that as this fund is no longer being used for construction work it may be written back in accounts. Department has accepted the observation has initiated action to transfer the balance to Income & Expenditure account after due process & approval of competent authority.																																				
4. Income and Expenditure Account Income and expenditure account shows the following amounts as Accrued Interest on FDRs under various schedules as detailed below: <table><tr><th colspan="4">(Amount in Rupees)</th></tr><tr><th>Schedule 31 (EPF Cont. fund)</th><th>Amount as per accounts</th><th>Amounts as per bank certificates</th><th>Difference(- understated) (+overstated)</th></tr><tr><td>Interest accrued on FDRs</td><td>7,85,07,933.00</td><td>79,184,893</td><td>-676,960</td></tr><tr><td>Schedule 34 (EPS Cont. fund)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest accrued on FDRs</td><td>8,19,79,854.00</td><td>30,497,920</td><td>51,481,934</td></tr><tr><td>Schedule 36 (EDLI Cont. fund)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest accrued on FDRs</td><td>76,46,392.00</td><td>13206274</td><td>-55,59,882.00</td></tr><tr><td>Schedule 39 (EPF Admn. Fund)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest accrued on FDRs</td><td>6,76,960.00</td><td>Not provided</td><td></td></tr></table> As per bank certificates of FDRs provided by department the amount of Interest accrued was understated by Rs.676,960/- in Schedule 31 and by Rs.55,59,882/- in Schedule 36, whereas it was	(Amount in Rupees)				Schedule 31 (EPF Cont. fund)	Amount as per accounts	Amounts as per bank certificates	Difference(- understated) (+overstated)	Interest accrued on FDRs	7,85,07,933.00	79,184,893	-676,960	Schedule 34 (EPS Cont. fund)				Interest accrued on FDRs	8,19,79,854.00	30,497,920	51,481,934	Schedule 36 (EDLI Cont. fund)				Interest accrued on FDRs	76,46,392.00	13206274	-55,59,882.00	Schedule 39 (EPF Admn. Fund)				Interest accrued on FDRs	6,76,960.00	Not provided		4. Income and Expenditure Account Income and expenditure account shows the following amounts as Accrued Interest on FDRs under various schedules as detail under:- Schedule 31 (Annexure-I) As shown in the certificate the FDR No. 39240908270 of Rs. 6,33,424.00 and FDR No. 39242472447 of Rs. 43,536.00 pertain to the EPF Administrative Account No. 4. Therefore, the Difference amount of Rs. 6,76,960.00 (6,33,424.00 + 43,536.00 = 6,76,960.00) is shown in Account No.4(EPF Admn. Fund) instead of Account no. 5(EPF Cont. Fund). Copy of the bank certificate highlighted with yellow color is also attached herewith. Schedule 34 (Annexure-II) The total amount shown in the certificate is misprinted as Rs. 30,497,920.00 whereas the correct total amount is Rs. 13,04,97,920.00. The actual difference amount should be Rs. 4,85,18,066.00 (13,04,97,920.00-8,19,79,854.00 = 4,85,18,066.00). The difference of Rs. 4,85,18,066.00 was not taken into accounts for the FY 2019-20 as initially FDR No. 38847123553 was placed with SBI, in respect of which Rs. 0.00 accrued interest is shown in the certificate. Later on, the same FDR was closed and a new FDR No. 39106540110 was placed with a higher rate of interest. The
(Amount in Rupees)																																					
Schedule 31 (EPF Cont. fund)	Amount as per accounts	Amounts as per bank certificates	Difference(- understated) (+overstated)																																		
Interest accrued on FDRs	7,85,07,933.00	79,184,893	-676,960																																		
Schedule 34 (EPS Cont. fund)																																					
Interest accrued on FDRs	8,19,79,854.00	30,497,920	51,481,934																																		
Schedule 36 (EDLI Cont. fund)																																					
Interest accrued on FDRs	76,46,392.00	13206274	-55,59,882.00																																		
Schedule 39 (EPF Admn. Fund)																																					
Interest accrued on FDRs	6,76,960.00	Not provided																																			

overstated by Rs.51,481,934/- in Schedule 34. Department has replied that as per Banking Section record only certain FDRs A/c No. and amount against these FDRs A/c No. during the FY 2019-20 pertain to EPFO. Reply is not tenable as the bank certificates clearly mention that all FDRs pertain to EPFO.	accrued interest of Rs. 4,85,18,066.00 is taken into the accounts of Financial Year 2020-21. Schedule 36 (Annexure-III) (i) The difference of Rs. 55,20,020.00 was not taken into accounts for the FY 2019-20 as initially FDR No. 38847128926 was placed with SBI, in respect of which Rs. 0.00 accrued interest is shown in the certificate. Later on, the same FDR was closed and a new FDR No. 39106541181 was placed with a higher rate of interest. The accrued interest of Rs. 55, 20,020.00 is taken into the accounts of Financial Year 2020-21. (ii) Rs. 1571.00 against FDR no. 34728862579 does not pertain to Account no. 25 (EDLI Cont. Fund). Since, the same FDR has been placed from RO, Bandra (Parking A/c). Hence, the difference amount is of Rs.1,571/- pertains to A/c No.2 of RO Bandra(Parking A/c). Copy of Bank certificate is attached herewith(Annex-IV) (iii) Rs. 38,291/- (6608+11363+20320) for placing the motioned FDR the amount was debited of RO, Park Street. Hence, the difference amount is of Rs.38,291/- pertains to A/c No.2 of RO Park street. Copy of Bank certificate is attached herewith (Annex-V) <table><tr><td>(iv) Total</td><td>different</td><td>of</td><td>Rs. 55,59,882.00</td></tr><tr><td colspan="4">(55,20,020.00+1571.00+38,291.00) has been shown above.</td></tr></table> Schedule 39 (Annexure-I) The FDR No. 39240908270 of Rs. 6,33,424.00 and FDR No. 39242472447 of Rs. 43,536.00 pertain to the EPF Administrative Account No. 4 and the same FDRs corresponding to total amount of Rs. 6,76,960.00 (6,33,424.00 + 43,536.00 = 6,76,960.00) are shown in the certificate attached herewith as Annexure-I. The discrepancy pointed out will be shown for their reference accordingly.	(iv) Total	different	of	Rs. 55,59,882.00	(55,20,020.00+1571.00+38,291.00) has been shown above.			
(iv) Total	different	of	Rs. 55,59,882.00						
(55,20,020.00+1571.00+38,291.00) has been shown above.									

4.2 Interest payment to the Members During the year an amount of Rs.61,054.31 crore has been shown as expenditure in Schedule 42 in Income & Expenditure account. However, in Schedule - 5 (Current Liabilities and Provisions) the amount of Rs. 61,054.31 crore has been shown as Provision for interest payable on members PF A/c for the financial year 2018-19. Department has admitted the error and replied the year 2018-19 has been written due to typographical mistake and same has been corrected as 2019-20 and may please be corrected in copy of Balance sheet provided to audit.	4.2 Interest payment to the Members The same has been rectified and will be provided to audit.									
5. The following discrepancies were noticed during the audit of Receipt and Payment accounts of various offices of Employees' Provident Fund Organisation in different States: 5.1 Regional Office, Delhi (South and West) 5.1.1 Bank Reconciliation – Closing cash book balance of Account no.1 has been calculated after adjustment of payment from inoperative account as detailed below. Audit in this regard observed that the payment of inoperative account Rs. 2.03 crore has not been made from bank account no. 1. Hence, adjustment of the same in Receipt & Payment account and bank reconciliation as a book adjustment is not clear.	5. The following discrepancies were noticed during the audit of Receipt and Payment accounts of various offices of Employees' Provident Fund Organisation in different States: 5.1 Regional Office, Delhi (South and West) RO, Delhi (West & South) has informed that amount of Rupees 2,03,43,274 pertains to payment of SPF and was wrongly taken in Inoperative Account. The same will be adjusted during current Accounting year 2020-21.									
5.1.2 Balances pending settlement The following balances are appearing in accounts in opening as well as closing balances in balance sheet without any adjustment: <table><tr><th>Particulars</th><th>Opening balance</th><th>Closing balance</th></tr><tr><td>Irregular payments (both assets and liabilities side)</td><td>21,55,873</td><td>21,55,873</td></tr><tr><td>Suspense account (assets)</td><td>50,93,254</td><td>50,93,254</td></tr></table> These balances need to be reconciled and necessary adjustment be made in accounts.	Particulars	Opening balance	Closing balance	Irregular payments (both assets and liabilities side)	21,55,873	21,55,873	Suspense account (assets)	50,93,254	50,93,254	5.1.2 Balances pending settlement The RO Delhi (South & West) has been instructed to Reconcile/recover the amount of irregular payments and adjust the suspense account in the current accounting year itself.
Particulars	Opening balance	Closing balance								
Irregular payments (both assets and liabilities side)	21,55,873	21,55,873								
Suspense account (assets)	50,93,254	50,93,254								

5.1.3 During audit of accounts of RO (South and West) it was observed that Interest credited to members account has been shown in assets side. As interest due to members is a liability it should not appear on assets side. RO (South and West) has stated that it is as per format provided by Headquarter. In this regard, EPFO headquarter has replied that at present annual accounts of RO/ZO are being prepared in the legacy system. However, once the Common Format System is applied in preparation of RO/ZO accounts this would be rectified.	5.1.3 At present annual accounts of RO/ZO are being prepared in the legacy system. However, once the Common Format System is applied in preparation of RO/ZO accounts this would be rectified. Audit observation noted									
5.2 Zonal Office, Chennai 5.2.1 Accounting of "Amount Transferred" in Inoperative Accounts. An amount of Rs. (-) 1157.73 crore has been deducted under the EPF Contribution Accounts towards "Transfer to Inoperative Accounts". However, the same amount has also been exhibited under the head "Inoperative Account as additions". The amount so transferred is to be deducted from EPF Contribution Accounts and an equal amount added to the Inoperative Account under the Balance Sheet, but negative figures have been exhibited in the both accounts. The incorrect treatment of the said amount in respect of "Inoperative Account" in the Balance Sheet is brought to notice. In reply it was stated that as per head office instruction, in order to maintain the closing balance provided by MIS, negative balances were exhibited. However, could not ensure the correctness of the accounts in absence of any other support documents.	5.2 Zonal Office, Chennai 5.2.1 Accounting of "Amount Transferred" in Inoperative Accounts. The definition of Inoperative Accounts under para 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19 at Head office level and same was not amended in RO/ZO accounts. The closing balances of In-operative accounts in RO/ZO accounts were shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year 2019-20.									
5.2.2 Erroneous Debit/Erroneous Credit to be rectified Scrutiny of the Annual Accounts relating to Account no. 1,2,10,21, & 22 revealed that there entries regarding erroneous debits and erroneous credits as details below: <table><tr><th colspan="3">(Amount in Rupees)</th></tr><tr><th>Account No</th><th>Erroneous Debit</th><th>Erroneous Credit</th></tr><tr><td>1</td><td>84,44,545.00</td><td>3,73,47,523.00</td></tr></table>	(Amount in Rupees)			Account No	Erroneous Debit	Erroneous Credit	1	84,44,545.00	3,73,47,523.00	5.2.2 Erroneous Debit/Erroneous Credit to be rectified All the Regional Offices have been directed to furnish Separate statement of Erroneous Debit / Erroneous credit at the time of next visit of CAG audit team.
(Amount in Rupees)										
Account No	Erroneous Debit	Erroneous Credit								
1	84,44,545.00	3,73,47,523.00								

Due to absence of separate statement of Erroneous Debit/Erroneous Credit audit could not be ensure the true and fair status.					
	2	3,33,149.00	40,35,419.07		
	10	-55,79,828.91	38,03,348.02		
	21	6,74,694.78	20,13,805.31		
	22	3,74,881.25	2,88,141.01		
5.3. Regional Office, Employees' Provident Fund Organisation, Chennai 5.3.1 Huge amount of short credits to be rectified in all the five accounts Huge amount were deducted from the closing balance of Cash Book to arrive at the closing balance of Bank Statement as details below:					
	(Amount in Rupees)				
Account No.	1	2	10	21	22
CB as per Cash Book	-9,77,17,434	1,58,00,186	-1,75,82,317	-89,56,847	25,682
Add un-cashed cheques	12,93,85,246	30,34,003	4,71,34,627	98,77,715	0
Total	3,16,77,812	1,88,34,190	2,95,52,310	9,20,868	25,686
Less Short Credit	3,16,77,812	1,88,34,190	29,55,230	9,20,868	25,682
CB as per Bank Statement	0	0	0	0	0
5.3.2 Incorrect exhibition of Inoperative Accounts: Rule 72(6) of EPF scheme 1952 provided that, any amount becoming due to a member and not claimed within a period of 36 months from the date it become payable shall be transferred to an account called "Inoperative Account", provided that in the case of a claim for the payment of the said balance, the amount shall be paid by debiting in inoperative account.					
5.3.2 Incorrect exhibition of Inoperative Accounts: The definition of Inoperative Accounts under para 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to					
Details as per Balance Sheet					
Inoperative Account	2017-18	2018-19	2019-20		
Opening Balance	-1,97,68,98,658	-3,66,19,23,476	-5,11,78,07,484		
Add: Amount transferred during the	0	0	59,44,32,89,064		

operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19 at Head office level and same was not amended in RO/ZO accounts. The closing balances of In-operative accounts in RO/ZO accounts were shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year 2019-20.				Test check of inoperative accounts under the liability side of the Balance Sheet the following observation are made"			
year							
Total		-1,97,68,98,658		-3,66,19,23,476		82,54,81,580	
Less: Amount paid during the year		1,68,50,24,818		1,45,58,84,008		0	
Closing Balance		-3,66,19,23,476		-5,11,78,07,484		82,54,81,580	
A. It was seen from the above that the opening balance and the closing balance were shown as negative balance which tends to imply that the amount paid/settled from this account during the year were more than the total balance available in the accounts. When the reason for the settlement made of excess of the balance available in the inoperative was called for, it was replied that the negative balance was due to un-encashed amount and this would be rectified.							
B. Similarly, it was also noted that, the details of opening balance, number of cases added as inoperative, number of cases settled with amount involved and the closing balance were not tallying with those exhibited in the balance sheet as detailed below:							
(Amount in Rupees)				(Amount in Rupees)			
		2018-19				2019-20	
	Opening Balance		Closing Balance		Opening Balance		Closing Balance
As per Balance Sheet	-3,66,19,23,476		-5,11,78,07,484		-5,11,78,07,484		82,54,81,580
As per inoperative Accounts summary	8,29,51,36,110		8,29,51,36,110		8,29,51,36,110		8,29,51,36,110
The reasons for variation between the Balance Sheet and the summary of Inoperative Account generated by the unit were not furnished.							
C. It was noticed that the claim settled/paid against Inoperative Account during the year 2018-19 & 2019-20 as exhibited in the Balance Sheet was not tallying with that the amount settled as per Inoperative Account summary.							
(Amount in Rupees)				(Amount in Rupees)			
		2018-19				2019-20	
	No. of cases settled		Amount settled		No. of cases settled		Amount settled
As per Balance Sheet	Not available		1,45,58,84,008		0		0
As per inoperative Accounts summary	2,14,799		14,54,41,79,15		2,24,786		16,40,87,89,36
			8				5
This needs to be clarified and correct figures needs to be disclosed in the Balance Sheet.							

	Interest Account EPF	1,29,96,02,69,709	1,29,96,06,93,257	-4,23,548
Discrepancy is brought to notice for reconciliation Zonal Office Chennai & Puducherry replied that Zonal Office has consolidated the Balance sheet based on the Regional office balance sheets. Final reply will be furnished after obtaining clarification from the RO concerned.				
6. Suspense Accounts	According to sub-Para II (VII) under Para 10.06 of the manual of Accounting proceed Part-I General of Employees Provident Fund Organizations, a statement showing the details of 10 balances shown under "Provident Fund Suspense" in both liabilities and Assets side should be enclosed to the balance sheet every year indicating the date of transaction, brief particulars of amounts. Vigorous drive should be launched to analyses the outstanding items under this head and clear them. It is emphasized that the balances under unclassified suspense on both Liabilities and Assts side should kept down to the minimum and prompt action taken to clear them.			
6. Suspense Accounts	It is submitted that the figures reflected in the column Suspense Account in Balance Sheet in respect of EPF Liabilities and Assets are the amounts already brought forward from previous years. Action will be taken and an amount of Rs.1,01,055/- being erroneous debits were rectified in 2018-19 annual accounts. For the balance amounts the necessary rectification shall be carried out as and when the details of reverse received from bank. Observation has been noted..Further, it is to inform that all Regional Offices of EPFO are being instructed to take analysis of the outstanding items under the head suspense account and have been advised to take special efforts and prompt action to bring down the balance under suspense accounts to Zero or a bare minimum during coming financial years. It is ensured that all necessary action regarding the same shall be taken.			
	(Amount in Rupees)			
	Liabilities	Amt.	Assets	Amt.
RO Chennai	Suspense Account (EPF)	-56,34,960.00	Suspense Account (EPF)	28,19,328.00
	Suspense Account (Admn. Fund)	8,29,94,285.00	Suspense Account (Admn. Fund)	13,50,144.00
RO Ambattur	Suspense Accounts (EPF)	1,17,32,049.60	Suspense Accounts (EPF)	75,23,275.50
	Suspense Account (Admn. Fund)	36,65,989.91	Suspense Account (Admn. Fund)	82,188.00
RO Tambaram	Suspense Accounts (EPF)	3,30,21,054.00	Suspense Accounts (EPF)	-4,78,363.60
	Suspense Account (Admn. Fund)	9,83,130.95	Suspense Account (Admn. Fund)	-6,727.00
ZO Chennai	Suspense Accounts (EPF)	6,18,08,621.89	Suspense Accounts (EPF)	2,32,32,446.91
	Suspense Account (Admn. Fund)	2,35,68,851.09	Suspense Account (Admn. Fund)	23,24,180.04
ZO-Pune	Suspense	-	Suspense Accounts	22,05,13,452.5

	Accounts (EPF)	11,21,10,328.46	(EPF)	5
	Suspense Account (Admn. Fund)	14130301.37	Suspense Account (Admn. Fund)	1,12,88,567.15
ZO-Mumbai-I	Suspense Accounts (EPF)	22,33,56,111.04	Suspense Accounts (EPF)	10,36,22,263.45
	Suspense Account (Admn. Fund)	1,10,43,340.02	Suspense Account (Admn. Fund)	1,51,60,477.86

(Amount in Rupees)			
Consolidated Annual Account (Common Format) of EPFO			
Liability Side	2019-20	2018-19	2017-18
Suspense Accounts (EPF)	70,91,86,903.85	-41,64,55,986.26	96,24,54,812.81
Suspense Account (Admn. Fund)	29,06,48,036.78	26,57,65,643.18	20,57,71,343.07
Assets Side	2019-20	2018-19	2017-18
Suspense Accounts (EPF)	1,12,33,54,668.95	1,07,30,98,402.14	87,76,07,376.04
Suspense Account (Admn. Fund)	22,32,55,966.06	23,86,68,019.07	22,76,32,264.88

Age wise details and details of each balance was not enclosed with accounts.
ZO Mumbai-I stated that this matter pertains to RO the information called for by audit has been referred to ROs and same will be provided as soon as it is received from ROs.

वर्ष 2019-2020 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066

विषय-सूची

क्रम सं	विषय	पृष्ठ
1.	समेकित तुलन पत्र.....	73-74
2.	तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां.....	75-85
3.	समेकित आय एवं व्यय लेखा.....	87-89
4.	आय एवं व्यय लेखे में शामिल अनुसूचियां.....	90-92
5.	अचल संपत्तियों और निवेश अनुसूचियों का विवरण.....	93-95
6.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (अंशदान लेखा).....	96
7.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, क.नि.स.बी., 1976 (अंशदान लेखा).....	97
8.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, क.नि.स.बी., 1976 (प्रशासकीय लेखा).....	98
9.	लेखों में शामिल अनुसूचियां.....	99-116
10.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	117-136
11.	लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र.....	137-140
12.	प्रबंधन पत्र.....	141-159

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2020 तक समेकित तुलनपत्र			
			राशि रु.
	अनुसूची	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
पूँजी निधि एवं देयताएं			
<i>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</i>			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते			
सदस्यों के सक्रिय खाते	1	75,27,15,84,00,486.83	64,40,20,64,19,430.79
सदस्यों के निष्क्रिय खाते	2	28,27,29,46,166.68	16,38,36,65,325.00
आरक्षित एवं अधिशेष			
विशेष आरक्षित निधि	3	4,05,97,23,375.17	3,74,18,90,992.53
व्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि	4	2,45,44,68,93,649.74	2,65,90,15,63,838.12
निवेश अस्थिरता खाता		2,70,07,98,358.13	2,70,07,98,358.13
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	7,83,67,54,64,390.49	6,79,20,31,17,662.55
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		85,91,31,42,26,427.03	74,08,13,74,55,607.12
<i>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</i>			
क.पें.यो. अंशदान निधि	6	52,78,64,75,12,008.07	45,43,58,17,10,682.08
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	7	29,81,63,57,301.84	12,65,33,19,353.50
उप जोड़ - पेंशन निधि		53,08,46,38,69,309.91	45,56,23,50,30,035.58
<i>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</i>			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	3,07,65,37,72,282.81	2,72,18,02,34,626.98
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	9	16,35,72,129.13	16,64,03,853.74
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		3,07,81,73,44,411.94	2,72,34,66,38,480.72
<i>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</i>			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	2,61,23,59,77,065.22	2,41,15,15,82,327.64
आरक्षित एवं अधिशेष			
स्टाफ भविष्य निधि - व्याज खाता	11	3,13,61,66,600.30	2,74,41,16,520.00
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			
भवन निर्माण निधि	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	13	15,79,73,87,988.55	14,90,11,94,336.62
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा	14	1,03,34,63,97,235.84	84,96,93,46,174.62
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	3,29,12,81,818.47	3,42,29,67,098.18
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		3,95,67,97,52,605.42	3,56,06,17,48,354.10
<i>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</i>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	33,74,80,24,098.46	31,32,62,67,220.65
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	59,08,20,781.62	59,00,34,526.48
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		34,33,88,44,880.08	31,91,63,01,747.13
कुल जोड़		1,46,37,61,40,37,634.40	1,26,24,69,71,74,224.70

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2020 तक समेकित तुलनपत्र			
			राशि रु.
	अनुसूची	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
परिसम्पत्तियां			
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	83,99,53,98,46,346.70	72,34,34,21,52,194.79
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	19	1,91,77,43,80,080.33	1,73,79,53,03,412.32
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		85,91,31,42,26,427.03	74,08,13,74,55,607.11
<u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u>			
क.पें.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	50,90,00,95,03,745.40	43,77,62,54,33,646.33
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	21	2,18,45,43,65,564.51	1,78,60,95,96,389.25
उप जोड़ - पेंशन निधि		53,08,46,38,69,309.91	45,56,23,50,30,035.58
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि - निवेश	22	3,02,75,31,30,718.22	2,67,54,96,66,933.53
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	23	5,06,42,13,693.72	4,79,69,71,547.19
उप जोड़ - क.नि.स.बी.अंशदान निधि		3,07,81,73,44,411.94	2,72,34,66,38,480.72
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
अचल परिसंपत्तियां	24	4,67,84,73,223.47	4,61,38,84,118.11
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		8,66,81,97,981.90	7,84,17,45,235.40
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	2,53,85,02,67,395.25	2,34,96,19,35,438.53
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	18,52,81,02,491.98	17,13,74,94,479.57
पेंशन - सह - ग्रेजुटी निधि- निवेश	27	1,02,27,86,09,221.92	83,05,95,00,428.24
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	28	7,67,61,02,290.90	8,44,71,88,654.26
उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि		3,95,67,97,52,605.42	3,56,06,17,48,354.11
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	32,73,42,61,738.28	30,33,23,14,301.48
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	30	1,60,45,83,141.80	1,58,39,87,445.65
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		34,33,88,44,880.08	31,91,63,01,747.13
कुल जोड़		1,46,37,61,40,37,634.40	1,26,24,69,71,74,224.70

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(सुनील बड़वाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचिया जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या 1		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष	64,40,20,64,19,430.79	50,07,09,23,69,582.36
जोड़े :		
1. प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)		
	12,35,97,59,36,339.05	10,51,26,32,67,725.65
2. प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्टा.)		
	1,53,56,84,341.02	1,74,26,80,704.40
3 सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	5,18,73,06,20,015.00	4,19,71,14,01,073.10
4 वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	-5,29,19,79,90,114.45	5,29,19,79,90,114.45
5 अन्य प्राप्तियां	47,75,42,53,001.16	61,10,35,71,489.66
6 पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1)	29,20,05,80,346.85	5,03,65,60,852.17
जोड़	77,44,20,55,03,359.42	70,75,14,78,41,541.79
घटाएं :		
1. छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर		
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	3,36,93,75,44,397.78	3,52,43,53,35,985.24
2. सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा किया गया प्रीमियम	15,77,71,590.00	16,90,82,467.00
3. सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण	3,23,68,97,66,654.00	2,34,16,86,27,767.00
4. वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	-4,76,07,04,32,909.77	27,81,82,50,370.00
5. प्रतिभूतियों की विविध भुगतान राशि छूट प्राप्त स्थापनाओं में वापस अंतरित		
	32,33,24,53,140.58	20,35,01,25,521.76
जोड़	2,17,04,71,02,872.59	6,34,94,14,22,111.00
31 मार्च को शेष	75,27,15,84,00,486.83	64,40,20,64,19,430.79
अनुसूची संख्या 2		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष	16,38,36,65,325.00	5,46,57,86,67,858.45
जोड़े :		
1. वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि	-4,76,07,04,32,909.77	27,81,82,50,370.00
2 सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	0.00	0.00
जोड़	-4,59,68,67,67,584.77	5,74,39,69,18,228.45
घटाएं :		
1 वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि	-5,29,19,79,90,114.45	5,29,19,79,90,114.45
2 निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	41,23,82,76,363.00	28,81,52,62,789.00
जोड़	-4,87,95,97,13,751.45	5,58,01,32,52,903.45
31 मार्च को शेष	28,27,29,46,166.68	16,38,36,65,325.00
अनुसूची संख्या -3		
विशेष आरक्षित निधि :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	3,74,18,90,992.53	3,44,44,58,771.67
जोड़े :		
1. नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि	0.00	0.00
2. एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज	31,80,60,734.37	29,79,45,683.75
जोड़	4,05,99,51,726.90	3,74,24,04,455.42
घटाएं :		
1. विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि	67,198.73	4,19,569.89
2. मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि	1,61,153.00	93,893.00
जोड़	2,28,351.73	5,13,462.89
31 मार्च को शेष	4,05,97,23,375.17	3,74,18,90,992.53

अनुसूचियां जो तुलनापत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या - 4		
व्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि		
प्रारंभिक शेष	2,65,90,15,63,838.12	2,70,06,83,12,307.99
जोड़े :		
1. क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेजित व्यय से अधिक आय	-20,45,46,70,188.38	-4,16,67,48,469.87
31 मार्च को शेष	2,45,44,68,93,649.74	2,65,90,15,63,838.12
अनुसूची संख्या - 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)		
I - वर्तमान देयताएं		
1 टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	23,12,91,212.00	25,27,68,603.00
2 विविध क्रेडिट :		
अ. क्षेत्रीय :		
क उच्चतम खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	70,91,86,903.85	-41,64,55,986.26
ख अनियमित भुगतान	7,68,56,270.46	7,36,47,819.06
ग अधिक भुगतान	3,09,86,405.25	3,10,11,924.01
ब. केन्द्रीय :		
क खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में नाम नहीं हुई	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
ख खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,50,07,89,794.56	1,39,75,48,338.09
ग क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
घ अक्षतता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	44,06,975.00	44,06,975.00
ड. 2019-2020 के दौरान पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली [खाता सं. 01]	9,21,74,387.00	0.00
3 रोकड़ बही में शेष :		
भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	30,64,67,82,313.05	14,73,09,77,810.39
खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	0.00	9,05,83,57,996.54
4 क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	4,49,96,55,961.60	
5 अन्य	0.00	0.00
जोड़	37,91,34,43,561.77	25,25,35,76,818.83
II - प्रावधान		
क वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	6,10,54,31,00,000.00	5,36,04,31,00,000.00
ख पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	1,35,21,89,20,828.72	1,17,90,64,40,843.72
जोड़	7,45,76,20,20,828.72	6,53,94,95,40,843.72
31 मार्च को शेष	7,83,67,54,64,390.49	6,79,20,31,17,662.55
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995		
अनुसूची संख्या 6		
क.पें.यो. अंशदान निधि		
प्रारंभिक शेष	45,43,58,17,10,682.08	39,31,13,04,38,910.28
जोड़े : क.पें.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेजित व्यय से अधिक आय	7,35,06,58,01,325.99	6,12,45,12,71,771.80
31 मार्च को शेष	52,78,64,75,12,008.07	45,43,58,17,10,682.08
अनुसूची संख्या 7 - (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)		
विविध क्रेडिट :		
1. खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	77,01,88,763.19	32,01,74,397.63
2. खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	1,42,90,43,138.84	1,70,49,41,109.84
ख पीएमआरपीवाई खातों में देय पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली	42,97,73,366.00	
3. क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	99,99,17,814.97	0.00
रोकड़ बही में शेष		
4. भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		-
खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	4,61,63,307.84	3,52,59,53,055.44
खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	8,82,00,25,228.00	40,76,86,505.59
6 क.भ. निधि (पीएमआरपीवाई) में देय राशि	17,32,12,45,683.00	6,68,99,25,339.00
7 अन्य (पीएमआरपीवाई की अतिरिक्त जमा)	0.00	46,38,946.00
31 मार्च को शेष	29,81,63,57,301.84	12,65,33,19,353.50

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या 8	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि		
	प्रारंभिक शेष	2,72,18,02,34,626.98	2,40,29,23,24,184.92
जोड़ :	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अरोपित व्यय से अधिक आय	35,47,35,37,655.83	31,88,79,10,442.06
	31 मार्च को शेष	3,07,65,37,72,282.81	2,72,18,02,34,626.98
अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता क्षेत्रीय)	6,57,84,455.37	3,93,06,658.99
2.	खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता केंद्रीय)	9,64,43,612.21	9,64,43,612.21
3.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	13,44,061.55
4.	क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
5.	क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि	0.00	2,93,09,520.99
6.	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
	भारतीय स्टेट बैंक में शेष	0.00	0.00
7.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	16,35,72,129.13	16,64,03,853.74
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या 10	क.भ.नि.- प्रशासन निधि		
	प्रारंभिक शेष	2,41,15,15,82,327.64	2,22,84,72,51,257.99
जोड़:			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	6,28,86,050.37	15,87,53,398.72
2.	क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित व्यय से अधिक आय	20,03,82,98,818.59	17,85,43,43,209.95
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	2,61,25,27,67,196.60	2,40,86,03,47,866.66
घटाएं			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	1,67,90,131.38	-29,12,34,460.98
2.	वर्ष के दौरान अंतरित किया गया आय से अधिक व्यय	0.00	0.00
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	1,67,90,131.38	-29,12,34,460.98
	31 मार्च को शेष	2,61,23,59,77,065.22	2,41,15,15,82,327.64

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या 11			
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता			
प्रारंभिक शेष		2,74,41,16,520.00	2,29,91,52,655.91
जमा			
1	प्रतिभृतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	90,79,17,568.08	91,12,46,152.40
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	37,36,27,999.99	38,91,17,335.37
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	8,73,000.00	4,36,500.00
4	बचत खाता पर ब्याज	18,632.00	27,804.00
5	ईटीएफ प्रतिभृतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
	जोड़	4,02,65,53,720.07	3,59,99,80,447.68
घटाएं			
1	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	88,58,17,695.00	85,23,58,445.00
2	निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	45,69,424.77	35,05,482.68
3	ईटीएफ प्रतिभृतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	89,03,87,119.77	85,58,63,927.68
	31 मार्च को शेष	3,13,61,66,600.30	2,74,41,16,520.00
अनुसूची संख्या 12			
भवन निर्माण निधि:			
प्रारंभिक शेष		8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
जोड़ें:			
1.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
अनुसूची संख्या 13			
क स्टाफ भविष्य निधि:			
प्रारंभिक शेष		11,01,63,00,130.08	10,59,40,10,172.08
जोड़ें:			
1.	अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)	3,08,36,43,670.00	3,43,87,22,930.00
2.	सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	88,58,17,695.00	85,23,58,445.00
3.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00
	जोड़	14,98,57,61,495.08	14,88,50,91,547.08
घटाएं:			
1.	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि	2,48,09,85,610.99	2,35,54,52,494.00
2.	सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	28,42,30,596.00	29,58,81,646.00
4.	अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	1,10,65,12,231.22	1,21,74,57,277.00
	जोड़	3,87,17,28,438.21	3,86,87,91,417.00
	31 मार्च को शेष	11,11,40,33,056.87	11,01,63,00,130.08
ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :			
प्रारंभिक शेष		23,86,48,189.72	18,29,35,791.72
जोड़ें:	क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	1,10,65,12,231.22	1,21,74,57,277.00
	जोड़	1,34,51,60,420.94	1,40,03,93,068.72
घटाएं: अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि		78,89,92,237.00	1,16,17,44,879.00
	31 मार्च को शेष	55,61,68,183.94	23,86,48,189.72
ग. एसपीएफ खाता से कर्मनि प्रशा खाता में देय राशि		4,12,71,86,747.74	3,64,62,46,016.82
	जोड़ (क+ख+ग)	15,79,73,87,988.55	14,90,11,94,336.62

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या. 14		
स्टाफ पेंशन सह-रोच्युटी निधि		
प्रारंभिक शेष	84,96,93,46,174.62	66,88,99,82,403.82
जोड़ें:		
1. खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	13,16,00,82,000.00	12,51,00,00,000.00
2. बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	16,16,468.00	18,19,318.00
3. वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	4,31,90,85,779.16	380,129,1508.59
4. निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	91,47,65,340.44	1,79,39,21,876.80
5. निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	27,93,600.00	13,96,800.00
6. ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
7. क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	5,44,56,50,920.18	5,13,95,63,061.98
जोड़	1,08,81,33,40,282.40	90,13,79,74,969.19
घटाएं:		
1. क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	5,44,56,50,920.18	5,13,95,63,061.98
2. वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	2,12,92,126.38	2,90,65,732.59
3. ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
जोड़	5,46,69,43,046.56	5,16,86,28,794.57
31 मार्च को शेष	1,03,34,63,97,235.84	84,96,93,46,174.62
अनुसूची संख्या. 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
I - वर्तमान दायित्व		
1. नई पेंशन योजना का देय अंशदान	2,11,26,568.01	3,97,04,592.01
2. देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
3. रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	1,98,73,330.09	1,82,77,807.39
4. ग्रुप बीमा योजना (नया)	47,13,159.43	40,62,348.22
5. विविध जमा:		
क. क्षेत्रीय:		
क. उच्चतम खाता (प्रशासन निधि)	29,06,48,036.78	26,57,65,643.18
ख. केंद्रीय:		
क. खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
ख. खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-रोच्युटी खाता) में अतिरिक्त जमा	8,29,780.00	8,29,780.00
ग. क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि	0.00	7,13,37,470.56
6. रोकड बही शेष		
भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	29,09,03,200.18	28,03,65,422.03
क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-रोच्युटी खाता)	0.00	0.00
मुख्यालय	45,22,955.44	2,13,59,978.44
पीडीनास	1,17,33,643.16	31,35,008.00
क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	0.00	0.00
7. खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	1,55,04,15,062.11	1,50,05,08,876.45
8. अन्य (पेंशन सह रोच्युटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	0.00	0.00
जोड़	2,22,69,51,230.08	2,23,75,32,421.16

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
II -प्रावधान			
क	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ख	देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ग	अन्य देय व्यय	1,06,43,30,588.39	1,18,54,34,677.02
जोड़		1,06,43,30,588.39	1,18,54,34,677.02
31 मार्च को शेष		3,29,12,81,818.47	3,42,29,67,098.18
क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या. 16			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
	प्रारंभिक शेष	31,32,62,67,220.65	29,06,38,78,672.78
जोड़ें:			
1.	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अरोपित व्यय से आय की राशि	2,42,17,56,877.81	2,26,23,88,547.87
	31 मार्च को शेष	33,74,80,24,098.46	31,32,62,67,220.65
अनुसूची संख्या.17- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
क.	विविध जमा:		
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,35,81,289.23	1,36,76,317.41
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा	4,83,77,675.89	4,83,77,675.89
	खाता सं. 4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
ख.			
ग.	रोकड बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	6,67,810.67	6,77,681.00
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	52,81,94,005.83	52,73,02,852.18
घ.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	59,08,20,781.62	59,00,34,526.48
परिसंपत्ति अनुसूची			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
अनुसूची संख्या. 18			
कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश			
		83,99,53,98,46,346.70	72,34,34,21,52,194.79

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या. 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम)		
I - चालू परिसंपत्तियां		
1 मार्गस्थ राशि :		
खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	1,84,16,44,729.43	1,84,12,03,034.43
2 रोकड़ बही शेष		
भारतीय स्टेट बैंक		
खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00	0.00
खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	9,93,00,47,207.49	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक :		
क.भ.नि. निवेश खाता	4,58,06,998.92	1,56,25,18,760.51
3 प्राप्त क.भ.नि. निवेश पर ब्याज		
निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1,57,39,65,12,762.64	1,54,88,26,78,859.65
निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	1,61,85,80,966.12	24,69,97,761.50
एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	7,85,07,933.00	67,92,461.02
4 विविध नामें:		
क उचत खाता (अवर्गीकृत)		
उचत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	1,12,33,54,668.95	1,07,30,98,402.14
ख अनियमित भुगतान	7,68,56,270.46	7,36,47,819.06
ग अधिक भुगतान	3,09,86,405.25	3,10,11,924.01
घ खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामें :		
i क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	40,76,30,186.70	40,80,96,451.70
ii बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामें	53,20,05,098.18	38,05,15,879.55
iii खाता 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	13,65,82,585.29	13,65,82,585.29
5 क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्त राशि	0.00	7,13,37,470.56
6 क.पें.यो.फंड से प्राप्त राशि (पीएमआरपीवाई)	12,16,50,28,129.00	6,68,99,25,339.00
7 सरकार से प्राप्त राशि। (पीएमआरपीवाई)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
8 अन्य	0.00	0.00
जोड़	1,88,44,47,51,346.43	1,70,46,56,14,153.42
II - ऋण एवं अग्रिम		
विशेष रिजर्व निधि (वसुलनीय) :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	3,32,96,89,258.90	68,96,00,496.24
जोड़: वर्ष के दौरान सदस्यों को भुगतान की गई राशि	0.00	53,91,649.00
घटाएं: नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	60,525.00	(2,63,46,97,113.66)
जोड़	3,32,96,28,733.90	3,32,96,89,258.90
31 मार्च को शेष	1,91,77,43,80,080.33	1,73,79,53,03,412.32
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995		
अनुसूची संख्या. 20		
कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश	50,90,00,95,03,745.40	43,77,62,54,33,646.33

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या. 21 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
क रोकड़ बही शेष:		
1. खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2. खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3. निवेश खाते में शेष (एससीबी)	1,56,05,531.27	58,03,49,894.09
ख विविध नामें:		
1. खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1,36,42,02,107.38	1,36,86,34,041.32
2. खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	82,60,26,138.80	6,95,28,578.98
3. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4. खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	24,28,21,866.20	20,49,18,000.20
ग प्रेषण में मार्गस्थ राशि	63,01,03,795.68	62,90,05,444.68
घ प्राप्य क.पें.यो. निवेश निधि पर ब्याज		
निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	74,45,26,24,240.88	68,81,34,85,845.19
निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	67,26,02,033.66	8,05,88,310.40
एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	8,19,79,854.00	49,36,245.67
भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	23,90,44,00,000.00	15,50,56,37,921.02
न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्य ब्याज	3,87,49,09,759.00	3,04,25,94,724.10
इ केंद्र सरकार से प्राप्य पेंशन अंशदान	1,12,18,73,27,180.04	88,10,81,54,326.00
च अन्य	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	2,18,45,43,65,564.51	1,78,60,95,96,389.25
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976		
अनुसूची संख्या. 22		
क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश	3,02,75,31,30,718.22	2,67,54,96,66,933.53
अनुसूची संख्या. 23 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
क रोकड़ बही शेष:		
1. खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	12,82,99,553.10	13,25,94,304.54
2. खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	4,91,01,322.13	1,07,83,501.80
3 भारतीय स्टेट बैंक के पास शेष	4,48,197.70	4,80,54,421.66
ख प्रेषण में मार्गस्थ राशि :		
1. खाता सं. 21 से 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2. बैंक से खाता सं. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
ग विविध नामें:		
1. खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	11,23,83,157.94	11,49,57,113.86
2. खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	1,35,47,809.14	1,29,32,466.14
घ प्राप्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज		
निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	3,90,20,43,484.48	3,71,16,94,451.93
निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	79,18,635.62	26,19,000.00
एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	76,46,392.00	64,411.27
भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	72,82,00,000.00	64,86,46,734.38
इ अन्य	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	5,06,42,13,693.72	4,79,69,71,547.19

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 24		
अचल संपत्तियां	4,67,84,73,223.47	4,61,38,84,118.11
अनुसूची संख्या. 25		
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश		
विशेष जमा खाता	2,51,32,19,67,395.25	2,32,86,19,35,438.53
एफ.डी.आर.	2,52,83,00,000.00	2,10,00,00,000.00
31 मार्च को शेष	2,53,85,02,67,395.25	2,34,96,19,35,438.53
अनुसूची संख्या. 26		
क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	18,52,81,02,491.98	17,13,74,94,479.57
अनुसूची संख्या. 27		
क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-रोच्युटी निधि - निवेश	1,02,27,86,09,221.92	83,05,95,00,428.24
अनुसूची संख्या. 28 -चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम		
1 मार्गस्थ राशि :		
क क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
ख खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
जोड़	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2 रोकड बही शेष		
(क) भारतीय स्टेट बैंक :		
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
ख क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	38,08,07,184.71	34,20,16,676.37
ग खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	5,01,65,030.51	76,39,584.82
घ खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-रोच्युटी खाता)	15,03,29,863.97	9,37,07,057.88
ङ मुख्यालय	0.00	0.00
च पीडीनास	0.00	0.00
छ क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	37,18,52,771.57	34,91,15,160.57
जोड़	95,31,54,850.76	79,24,78,479.64
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक :		
क स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	5,24,723.00	1,95,740.42
ख स्टाफ पेंशन सह-रोच्युटी निवेश खाता	1,96,104.00	2,11,16,906.19
जोड़	7,20,827.00	2,13,12,646.61
(ग) अग्रदाय लेखा	45,494.90	61,895.40
3 विविध नामें:		
उचत खाता (अवर्गीकृत)		
क उचत खाता (प्रशासन निधि)	22,32,55,966.06	23,86,68,019.07
4 खाता नं. 8 एवं 9 को त्रुटिपूर्ण नामें:		
क खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के मामले में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक राशि दर्ज	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
ख अंशदान खाता सं.8 (स्टाफ भ.नि. खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामें	1,78,339.00	1,78,339.00
ग अंशदान खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-रोच्युटी खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामें	0.00	0.00
जोड़	2,06,17,133.97	2,06,17,133.97

अनुसूचिया जो तुलनपत्र का भाग हैं

		चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
5	वसुलनीय अशिम (स्टाफ)		
क	वाहन अशिम	23,82,451.15	39,20,756.99
ख	गृह निर्माण अशिम	21,64,38,892.61	15,69,05,301.39
ग	पंखा अशिम	73,520.80	70,369.80
घ	गरम कपडा अशिम	1,234.75	1,234.75
ङ	त्योहार अशिम	12,03,908.54	21,12,135.30
च	प्राकृतिक विपदा अशिम	1,24,600.45	1,60,603.45
छ	वेतन का अशिम	-8,36,346.00	7,98,943.00
ज	डी.ए./ टी.ए. अशिम	1,65,10,512.54	1,76,76,409.54
झ	अनाज अशिम	0.00	1,216.75
ञ	स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अशिम	1,92,944.00	1,61,805.00
ट	कंप्यूटर अशिम	2,71,13,933.55	2,99,30,024.55
ठ	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00	0.00
ड	विविध भुगतान	53,84,173.92	58,52,530.32
	जोड़	26,85,89,826.31	21,75,91,330.84
6	पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय	0	0.00
7	प्राप्य क.अ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
	विशेष जमा खाता पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	6,76,960.00	11,98,370.00
8	प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	37,36,27,999.99	38,91,17,335.37
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	8,73,000.00	4,36,500.00
9	प्राप्य पेंशन सह-गेच्यटी निधि में निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	91,47,65,340.44	1,79,39,21,876.80
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	27,93,600.00	13,96,800.00
10	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) से प्राप्य जोड़	0.00	0.00
	प्रशासनिक लागत से समानपातिक (1%)		
11	सुरक्षा जमा (पार्टियों को अशिम)	3,10,59,535.20	3,12,58,226.20
12	अन्य (रिफंडेबल टीडीएस)	0.00	1,36,56,505.00
13	एजेंसियों / ठेकेदारों को अशिम (पूंजी कार्य)	67,50,16,366.42	1,20,74,40,467.92
14	स्टाफ को भुगतान किए गए अशिमों पर वसूली योग्य उपाजित ब्याज	1,96,47,029.68	77,15,438.19
15	एसपीएफ खाते से प्राप्य राशि	4,12,71,86,747.74	3,64,62,46,016.82
	31 मार्च को शेष	7,67,61,02,290.90	8,44,71,88,654.26

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 29		
क. नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश		
विशेष जमा खाते	32,73,42,61,738.28	30,33,23,14,301.48
अनुसूची संख्या-30 -वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
क रोकड़ बही शेष :		
1. लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2. लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	0.00	0.00
ख मार्गस्थ प्रेषण :		
1. लेखा संख्या 22 से 24	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
ग विविध नामे :		
1. लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	1,02,86,156.56	1,02,87,125.08
2. लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
3. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमतः में अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
घ क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज		
निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
ङ क.नि.स.बी. अंशदान लेखे से प्राप्ति योग्य राशि	0.00	2,93,09,520.99
च जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,55,04,15,062.11	1,50,05,08,876.45
छ अन्य	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	1,60,45,83,141.80	1,58,39,87,445.65

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
		राशि (रूपए)	
	अनुसूची	चालू वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
आय			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	31	5,86,05,76,44,107.75	5,28,14,18,96,301.33
वर्ष के दौरान अन्य आय	32	8,30,26,62,498.26	7,02,61,45,693.08
कुल आय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क)		5,94,36,03,06,606.01	5,35,16,80,41,994.41
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पे.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	5,19,53,13,29,622.40	4,66,61,64,35,565.19
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	34	3,90,42,05,42,214.08	3,31,27,30,67,861.34
अन्य आय	35	9,01,89,56,067.11	5,32,64,37,635.93
कुल आय-पेंशन निधि (ख)		9,18,97,08,27,903.59	8,03,21,59,41,062.46
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
नियोक्ताओं के अंशदान से आय		22,39,88,24,014.77	19,42,56,29,631.90
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	36	21,46,53,24,147.90	20,05,40,04,671.82
अन्य आय	37	37,64,93,978.99	27,57,51,938.78
कुल आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग)		44,24,06,42,141.66	39,75,53,86,242.50
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	38	38,34,36,24,982.94	35,92,94,94,988.93
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	39	18,61,04,82,794.72	16,85,83,11,681.43
लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%)		37,60,93,814.34	35,41,15,574.60
अन्य आय-विविध प्राप्ति		31,74,78,660.63	12,39,78,424.70
कुल आय-क.भ.नि. प्रशासन निधि(घ)		57,64,76,80,252.63	53,26,59,00,669.66
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	40	39,59,16,814.07	42,37,97,896.94
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	41	2,40,19,53,518.58	2,19,24,87,442.67
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) से प्राप्ति		3.00	3,27,025.94
अन्य आय -लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा -केन्द्रीय) से प्राप्ति		-	-
कुल आय-क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (ङ)		2,79,78,70,335.65	2,61,66,12,365.55

			राशि (रूपए)
व्यय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	6,10,54,31,00,000.00	5,36,04,31,00,000.00
प्रतिभूतियों की खरीद हेतु विक्रेताओं को ब्याज भुगतान		2,92,04,42,089.25	2,16,98,01,295.88
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की विक्री पर नुकसान		-	-
विशेष आरक्षित निधि पर उपार्जित ब्याज		31,80,60,734.37	29,79,45,683.75
ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		1,03,33,73,970.78	82,39,43,484.65
विविध- जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यासों को वापसी		-	-
कुल व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		6,14,81,49,76,794.40	5,39,33,47,90,464.28
I-व्यय (क-1) से अधिक आय (क) तुलनपत्र में अंग्रेषित		(20,45,46,70,188.38)	(4,16,67,48,469.87)
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. - अंशदान निधि			
जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि	43	1,81,17,51,01,449.52	1,88,43,74,56,028.04
पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन		98,03,32,208.30	87,10,61,705.75
निवेशों(प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		1,73,20,05,069.78	1,44,62,60,318.87
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की विक्री पर नुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-10 (क.पें.यो.अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		1,75,77,850.00	98,91,238.00
लेखा सं-11 (क.पें.यो.अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		10,000.00	-
कुल व्यय- पेंशन निधि (ख-1)		1,83,90,50,26,577.60	1,90,76,46,69,290.66
II-व्यय (ख-1) से अधिक आय (ख) तुलनपत्र में अंग्रेषित		7,35,06,58,01,325.99	6,12,45,12,71,771.80
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि			
बीमा लागू भुगतान		8,70,93,00,077.24	7,77,69,46,115.50
निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		5,72,75,832.96	9,00,38,359.28
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की विक्री पर नुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		5,28,339.63	4,91,325.66
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		236.00	-
कुल व्यय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग-1)		8,76,71,04,485.83	7,86,74,75,800.44
III-व्यय (ग-1) से अधिक आय (ग) तुलनपत्र में अंग्रेषित		35,47,35,37,655.83	31,88,79,10,442.06
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय)			
क-स्थापना व्यय			
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस		11,07,48,95,631.50	10,74,86,62,476.92
भत्ते तथा मानदेय		2,84,19,85,564.00	2,85,29,29,027.76
अनुदान - कल्याण निधि आदि		7,68,68,939.79	8,05,54,999.00
स्टाफ पेंशन सह रैच्युटि निधि में अंशदान		18,60,57,32,920.18	17,64,95,63,061.98
स्टाफ भ.नि., डी.एल.आई. लाभ		16,37,030.00	17,40,000.00
एन.पी.एस. के लिए बोर्ड का हिस्सा		41,56,72,684.08	0.00
एन.पी.एस. अंशदान पर ब्याज		3,22,860.00	0.00
एन.पी.एस. के लिए सेवा प्रभार		17,31,529.39	0.00
एल.टी.सी		6,57,80,336.00	34,72,17,060.00
जोड़ क		33,08,46,27,494.94	31,68,06,66,625.66

व्यय	बनुसूची	राशि (रुपए)	
		वर्तमान वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय			
विद्युत पर खर्च		26,56,33,608.43	25,56,05,044.90
डाक पर खर्च		6,48,43,548.10	8,31,93,025.00
मद्रुण एवं लेखन सामग्री		11,60,17,312.78	12,92,31,092.39
किराया, दर तथा कर		30,52,76,683.00	28,17,92,602.00
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च		97,97,393.00	1,23,69,812.00
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार		5,61,68,222.70	5,22,90,355.00
बीमा खर्च			0.00
जल प्रभार		98,12,373.00	98,60,520.00
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान		1,10,75,91,744.95	85,77,09,238.00
लेखापरीक्षा शुल्क		35,39,747.00	0.00
विधि प्रभार		8,99,11,404.00	0.00
परामर्श व्यय		33,39,58,840.00	0.00
वाहन किराया		7,00,44,933.45	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार		-48,32,327.00	1,26,38,410.00
ए.एम.सी - कंप्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण		49,99,44,616.40	41,60,80,632.83
यात्रा खर्च		19,00,52,249.00	6,20,24,377.00
अन्य प्रभार (आवर्ती/अनावर्ती)		18,18,91,667.55	53,35,52,967.76
बैंक कमिशन एवं टी.टी. प्रभार		72,82,02,150.14	52,97,66,147.83
कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टर्स का रखरखाव		23,37,69,904.00	21,13,35,121.88
अचल संपत्ति का निवल ह्रास		26,31,27,787.60	28,38,19,436.46
परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ		2,081.00	-3,77,949.00
भवन निमोण निधि के लिए प्रावधान		0.00	0.00
जोड़ ख		4,52,47,53,939.10	3,73,08,90,834.05
कुल व्यय - क.भ.नि. प्रशासन निधि (घ-1)		37,60,93,81,434.04	35,41,15,57,459.71
IV-व्यय (घ-1) से अधिक आय (घ) तुलनपत्र में अंग्रेषित		20,03,82,98,818.59	17,85,43,43,209.95
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी.प्रशासन निधि			
क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत)		37,60,93,814.34	35,41,15,574.60
अन्य भुगतान:			
लेखा सं-22		19,643.50	1,08,243.08
लेखा सं-24		-	-
कुल व्यय क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (इ-1)		37,61,13,457.84	35,42,23,817.68
V- व्यय (इ-1) से अधिक आय (इ) तुलनपत्र में अंग्रेषित		2,42,17,56,877.81	2,26,23,88,547.87
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)		7,72,54,47,24,489.84	6,60,28,91,65,501.81

हं
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हं
(सुनील बड़वाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		वर्तमान वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
क.भ.नि.अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 31			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	4,26,96,39,14,677.80	3,73,00,53,17,437.60
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,57,39,65,12,762.64	1,54,88,26,78,859.65
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	1,61,85,80,966.12	24,69,97,761.50
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	7,85,07,933.00	67,92,461.02
6	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,27,768.19	1,09,781.56
7	क.भ.नि. न्यासों से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.00	0.00
8	ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापस लिखा गया	0.00	0.00
जोड़		5,86,05,76,44,107.75	5,28,14,18,96,301.33
अनुसूची संख्या. 32			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान बसूली गई शास्तिक नुकसानी	5,18,24,63,755.35	4,03,07,07,849.34
2	वर्ष के दौरान बसूला गया 7क्यू ब्याज	3,12,02,01,205.91	3,00,76,38,070.74
3	अन्य प्राप्तियां (क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज)	-2,463.00	-1,22,00,227.00
जोड़		8,30,26,62,498.26	7,02,61,45,693.08
क.पं.यो. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 33			
पेंशन अंशदान से प्राप्त आय			
1	नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	4,44,48,54,56,768.36	4,02,59,74,17,067.19
2	केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	50,96,67,00,000.00	-24,08,91,35,828.00
3	केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान	24,07,91,72,854.04	88,10,81,54,326.00
जोड़		5,19,53,13,29,622.40	4,66,61,64,35,565.19
अनुसूची संख्या. 34			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,78,84,74,83,181.86	1,57,04,79,71,122.86
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	74,45,26,24,240.88	68,81,34,85,845.19
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	67,26,02,033.66	8,05,88,310.40
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	8,19,79,854.00	49,36,245.67
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	1,11,62,85,62,078.98	89,04,29,92,174.00
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	23,90,44,00,000.00	15,50,56,37,921.02
8	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज	0.00	-2,20,62,86,163.18
9	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति योग्य ब्याज	83,23,15,034.90	3,04,25,94,724.10
10	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	5,75,789.80	-5,88,52,318.72
जोड़		3,90,42,05,42,214.08	3,31,27,30,67,861.34
अनुसूची संख्या. 35			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान बसूली गई शास्तिक नुकसानी	2,81,05,25,061.86	2,18,34,78,597.11
2	वर्ष के दौरान बसूला गया 7क्यू ब्याज	4,65,59,59,325.30	1,76,30,44,662.89
3	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	1,55,24,71,679.95	1,37,99,14,375.93
4	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	0.00	0.00
जोड़		9,01,89,56,067.11	5,32,64,37,635.93

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		वर्तमान वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या. 36			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	8,75,53,59,664.85	8,20,61,81,148.93
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	3,90,20,43,484.48	3,71,16,94,451.93
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	79,18,635.62	26,19,000.00
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	76,46,392.00	64,411.27
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	8,06,41,53,265.62	7,48,47,97,272.51
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	72,82,00,000.00	64,86,46,734.38
8	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,705.33	1,652.80
जोड़		21,46,53,24,147.90	20,05,40,04,671.82
अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		वर्तमान वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
अनुसूची संख्या. 37			
वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	16,63,24,928.52	11,78,74,036.18
2	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	8,96,19,899.47	7,70,99,798.60
3	लेखा संख्या 21 से अन्य प्राप्ति	12,05,49,151.00	8,07,78,104.00
4	लेखा संख्या 25 से अन्य प्राप्ति	0.00	0.00
जोड़		37,64,93,978.99	27,57,51,938.78
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या 38			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार	35,48,42,49,159.69	33,24,99,07,142.18
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार	2,27,58,93,069.79	2,16,14,35,579.00
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	37,29,08,444.15	28,79,42,176.52
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	21,05,74,309.31	23,02,10,091.23
जोड़		38,34,36,24,982.94	35,92,94,94,988.93
अनुसूची संख्या. 39			
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	18,60,98,05,834.72	16,85,71,13,311.43
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4	सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	6,76,960.00	11,98,370.00
5	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	0.00	0.00
जोड़		18,61,04,82,794.72	16,85,83,11,681.43
घटाएँ: भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज		0.00	0.00
जोड़		18,61,04,82,794.72	16,85,83,11,681.43

क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या.40		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय		
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	31,19,69,465.93
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	5,21,64,263.30
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	2,00,80,495.28
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	1,17,02,589.56
जोड़		39,59,16,814.07
अनुसूची संख्या.41		
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय		
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,40,19,47,436.80
2	वर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00
4	बचत बैंक खाते पर ब्याज	6,081.78
जोड़		2,40,19,53,518.58
क.भ.नि.अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या.42		
सदस्यों को ब्याज का भुगतान		
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित)	0.00
2	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	6,10,54,31,00,000.00
3	पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00
जोड़		6,10,54,31,00,000.00
अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
	वर्तमान वर्ष (2019-20)	पिछला वर्ष (2018-19)
क.पे.यो.अंशदान निधि		
अनुसूची सं- 43		
सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि		
1	प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	67,96,61,93,855.01
2	जीवन बीमा लाभ	0.00
3	पेंशन	1,13,20,89,07,594.51
जोड़		1,81,17,51,01,449.52
		1,88,43,74,56,028.04

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

क्र.सं.	अवधि परिसंपत्तियां (रु.)	सकल ब्याज				अचल परिसंपत्तियां के विकरण				राशि रु. में	
		वर्ष के आरंभ में तथातत्प्राप्य	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में तथातत्प्राप्य (रु.)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यवर्धन वर्ष के अंत में संचित मूल्य	वर्ष के अंत में संचित मूल्यवर्धन (रु.)	वर्ष के अंत में संचित मूल्य	वर्ष के अंत में संचित मूल्य	शुद्ध ब्याज
1	अति										
a	की शुरुआत	66,00,89,539.63	1,00,62,016.00	-	67,01,51,555.63	1,83,752.00	2,25,658.00	-	4,09,410.00	66,97,42,145.63	65,99,05,787.63
b	की शुरुआत	22,85,20,895.50	2,70,87,391.00	3,39,30,580.00	22,16,77,620.50	3,82,50,631.49	11,00,684.22	-	3,93,51,315.71	18,23,26,304.79	19,02,70,178.01
2	अवधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	अवधि-आरंभ	2,27,71,25,923.60	10,70,17,451.00	-	2,38,41,43,374.60	36,35,61,508.28	4,14,30,590.04	-	40,49,92,088.32	1,97,91,51,286.28	1,97,35,64,415.32
b	की शुरुआत	80,07,19,817.47	6,97,966.00	-	80,14,17,783.47	20,96,94,442.13	1,21,56,850.32	-	22,18,51,292.45	57,95,66,491.02	59,10,25,375.34
c	अवधि-आरंभ	79,53,70,053.90	(73,97,279.00)	1,35,350.00	78,78,37,424.90	23,37,83,074.43	1,22,30,499.46	-	24,60,13,573.89	54,18,23,851.01	56,15,86,979.47
d	की शुरुआत	15,32,06,000.00	-	-	15,32,06,000.00	5,24,42,844.00	15,36,172.00	-	5,39,79,016.00	9,92,26,984.00	10,07,63,156.00
3	संचयन-आरंभ	90,01,419.77	9,17,436.23	-	99,18,856.00	22,67,538.64	15,59,623.23	-	38,27,161.87	60,91,694.13	67,33,881.13
4	वर्धन एवं नोटा कर	1,54,57,357.33	31,32,516.00	2.00	1,85,89,871.33	68,38,338.21	21,87,801.71	-	90,26,139.92	95,63,731.41	86,19,019.12
5	फर्निचर एवं सिस्टर	19,33,14,461.03	4,70,35,746.41	13,108.00	24,03,37,099.44	4,06,08,422.74	2,06,67,022.32	-	6,12,75,445.06	17,90,61,654.39	15,27,06,038.29
6	कार्यालय उपकरण	6,98,09,042.23	2,22,19,059.70	-	9,20,28,101.93	2,29,26,597.16	1,11,92,801.48	-	3,41,19,198.64	5,79,08,903.39	4,68,82,445.07
7	कंप्यूटर-परिचर	72,45,31,619.79	14,58,72,205.58	7,12,830.00	86,96,90,995.37	41,27,83,711.83	15,07,98,287.30	-	56,35,81,999.13	30,61,08,996.24	31,17,47,907.96
8	इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंटेशन	4,20,14,460.91	17,53,933.04	-	4,37,68,393.95	72,07,504.53	48,23,364.56	-	1,20,30,969.09	3,17,37,424.87	3,48,06,856.38
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	27,05,486.78	9,35,183.00	-	36,40,669.78	96,657.65	91,733.98	-	1,86,381.63	34,52,278.15	26,08,829.13
10	टयारबैंक एवं जल आपूर्ति	17,94,022.00	2,27,713.00	-	20,21,735.00	6,26,435.37	4,25,813.28	-	10,52,248.65	9,69,496.35	11,67,586.63
11	अन्य अवधि परिसंपत्तियां	2,44,03,720.58	2,84,935.00	-	2,46,98,655.58	46,50,015.34	16,62,721.17	-	63,12,736.51	1,63,75,919.07	1,97,53,705.24
	कुल	5,99,80,63,734.52	35,98,46,272.96	3,47,91,870.00	6,32,31,18,137.48	1,39,59,21,573.80	26,20,89,413.06	-	1,65,80,10,986.86	4,66,51,07,150.62	4,60,21,42,168.72
क्र.सं.	अवधि परिसंपत्तियां (रु.)	सकल ब्याज				अचल परिसंपत्तियां के विकरण				राशि रु. में	
		वर्ष के आरंभ में तथातत्प्राप्य	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में तथातत्प्राप्य (रु.)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यवर्धन वर्ष के अंत में संचित मूल्य	वर्ष के अंत में संचित मूल्यवर्धन (रु.)	वर्ष के अंत में संचित मूल्य	वर्ष के अंत में संचित मूल्य	शुद्ध ब्याज
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,28,50,075.00	26,62,490.00	-	1,55,12,565.00	11,08,117.61	10,38,374.54	-	21,46,492.16	1,33,66,072.84	1,17,41,957.39
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	1,28,50,075.00	26,62,490.00	-	1,55,12,565.00	11,08,117.61	10,38,374.54	-	21,46,492.16	1,33,66,072.84	1,17,41,957.39
	कुल योग	6,01,09,13,809.52	36,25,08,762.96	3,47,91,870.00	6,33,86,38,702.48	1,39,70,29,891.41	26,31,27,787.60	-	1,66,01,57,479.01	4,67,84,73,223.47	4,61,38,84,118.11

01-04-2017 से पूर्व की अवधि परिसंपत्तियां कोई हैं तो वो इतने शामिल हैं।

B-1 (B-1) (B-1) (B-1)

अनुसूची सं. 18	
कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार
आदि शेष	
अंकित मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-टी.टी.जी
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.
3	निजी प्रतिभूतियां
4	राज्य विस्तार भू-पट्टा-डी.एस.
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी
6	निवेश उमा योजना-एस.टी.एस.
7	लोक लेखा
8	ई.टी.एस.
9	एल.एस.एफ.
10	एफ.डी.आर.
11	समाधिगत के अंतर्गत राशि
जोड़	

अनुसूची सं. 20	
कर्मचारी पेंशन निधि-निवेश	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार
आदि शेष	
अंकित मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-टी.टी.जी
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.
3	निजी प्रतिभूतियां
4	राज्य विस्तार भू-पट्टा-डी.एस.
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी
6	निवेश उमा योजना-एस.टी.एस.
7	लोक लेखा
8	ई.टी.एस.
9	एल.एस.एफ.
10	एफ.डी.आर.
11	समाधिगत के अंतर्गत राशि
जोड़	

अनुसूची सं. 22	
कर्मचारी निधि सहवर्धन बीमा योजना-निवेश	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार
आदि शेष	
अंकित मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-टी.टी.जी
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.
3	निजी प्रतिभूतियां
4	राज्य विस्तार भू-पट्टा-डी.एस.
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी
6	निवेश उमा योजना-एस.टी.एस.
7	लोक लेखा
8	ई.टी.एस.
9	एल.एस.एफ.
10	एफ.डी.आर.
11	समाधिगत के अंतर्गत राशि
जोड़	

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	एस्ट रेट होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान खर्च गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य				परिभाषित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-टी.टी.जी	12,50,55,40,38,640.00	12,67,83,59,92,622.18	1,14,42,07,23,805.00	53,38,25,000.00	3,12,09,35,940.00	13,48,33,55,69,091.56	13,56,06,34,87,700.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	15,86,50,38,53,912.83	15,71,90,82,57,061.32	3,01,29,10,00,000.00	-	2,04,91,58,91,500.00	16,68,33,56,77,729.78	16,72,96,63,14,329.19
3	निजी प्रतिभूतियां	5,32,42,11,38,000.00	5,32,48,29,24,640.69	-	-	39,30,82,09,000.00	-1,26,71,635.33	4,93,12,29,29,000.00
4	राज्य विस्तार भू-पट्टा-डी.एस.	27,04,16,35,13,300.00	27,13,24,97,40,429.35	7,93,56,28,10,152.15	74,82,20,000.00	51,66,27,46,500.00	34,54,36,48,88,419.41	34,44,52,51,96,800.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	1,34,58,25,66,534.00	1,35,66,53,24,906.48	29,50,00,00,000.00	15,96,65,942.00	9,04,57,649.00	1,65,10,14,03,582.08	1,64,15,17,73,817.00
6	निवेश उमा योजना-एस.टी.एस.	5,31,10,27,06,283.38	5,30,00,97,01,849.60	-	34,29,04,782.36	-	5,31,44,56,11,065.74	5,31,44,56,11,065.74
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एस.	4,97,45,84,64,913.00	4,97,45,84,64,913.00	2,09,04,06,44,268.11	-	-	7,06,49,93,09,182.11	7,06,49,93,09,182.11
9	एल.एस.एफ.	4,37,43,849.95	4,37,43,849.95	2,06,52,53,63,060.00	-	2,06,56,91,06,909.95	-	-
10	एफ.डी.आर.	12,43,59,49,282.00	12,43,59,49,282.00	32,27,00,00,000.00	-	12,43,59,49,282.00	32,27,00,00,000.00	32,27,00,00,000.00
11	समाधिगत के अंतर्गत राशि	-	-26,74,79,47,359.78	-	-	-	-26,74,79,47,359.78	-
जोड़		72,48,26,59,73,705.16	72,34,34,21,52,194.79	16,86,61,07,41,286.26	1,78,46,15,724.36	5,18,10,32,96,780.95	83,99,53,98,46,346.70	84,01,46,46,21,894.04

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	एस्ट रेट होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान खर्च गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य				परिभाषित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-टी.टी.जी	6,45,10,58,60,700.00	6,39,40,79,68,642.32	58,96,54,84,071.00	-	3,24,52,80,000.00	6,95,33,23,29,813.97	6,97,58,46,60,700.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	6,91,00,38,35,986.58	6,86,03,07,44,969.95	1,46,12,20,00,000.00	-	86,10,09,40,000.00	7,46,07,70,65,090.36	7,47,09,57,22,874.97
3	निजी प्रतिभूतियां	2,39,40,25,92,000.00	2,39,42,77,41,214.10	-	-	22,06,85,88,000.00	2,17,35,55,52,304.20	2,17,33,40,04,000.00
4	राज्य विस्तार भू-पट्टा-डी.एस.	12,17,02,12,98,700.00	12,20,71,74,96,194.42	3,69,64,04,66,194.10	-	23,93,24,83,500.00	15,65,78,86,14,275.15	15,61,71,72,15,200.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	56,61,90,00,000.00	56,89,01,17,099.68	15,00,00,00,000.00	-	-	71,85,42,87,403.39	71,61,90,00,000.00
6	निवेश उमा योजना-एस.टी.एस.	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64
7	लोक लेखा	24,22,76,32,24,831.72	24,22,76,32,24,831.72	1,64,10,09,00,000.00	-	-	14,47,82,28,12,415.86	14,47,82,28,12,415.86
8	ई.टी.एस.	2,24,13,31,42,129.00	2,24,13,31,42,129.00	96,39,04,72,290.83	-	-	-	-
9	एल.एस.एफ.	13,31,21,167.41	13,31,21,167.41	98,15,39,10,670.00	-	98,28,70,31,837.41	3,20,52,36,14,419.83	3,20,52,36,14,419.83
10	एफ.डी.आर.	9,03,75,04,521.00	9,03,75,04,521.00	11,25,00,00,000.00	-	9,03,75,04,521.00	-	-
11	समाधिगत के अंतर्गत राशि	-	(11,34,92,08,55,135.91)	-	-	-	11,25,00,00,000.00	11,25,00,00,000.00
जोड़		55,19,22,49,08,070.35	43,77,62,54,33,646.33	9,59,64,32,33,225.93	-	2,42,67,18,37,858.41	50,90,00,95,03,745.40	50,88,95,22,57,633.30

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	एस्ट रेट होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान खर्च गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिभाषित लागत मूल्य				परिभाषित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-टी.टी.जी	32,46,13,77,000.00	32,11,59,44,977.12	1,96,39,38,000.00	-	23,99,60,000.00	33,86,39,30,564.70	34,09,14,17,000.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	39,03,81,41,445.71	38,92,63,48,966.90	7,41,00,00,000.00	-	5,27,92,59,000.00	41,05,85,49,727.93	41,06,55,51,000.00
3	निजी प्रतिभूतियां	12,22,40,34,000.00	12,23,18,34,154.44	-	-	98,23,83,000.00	11,24,86,51,991.12	11,24,16,51,000.00
4	राज्य विस्तार भू-पट्टा-डी.एस.	65,15,98,11,000.00	65,33,34,95,111.35	19,33,82,40,000.00	-	98,63,10,000.00	83,65,32,56,717.38	83,43,23,91,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	3,37,70,00,000.00	3,41,68,36,289.38	25,00,00,000.00	-	-	3,66,14,22,235.90	3,62,70,00,000.00
6	निवेश उमा योजना-एस.टी.एस.	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05
7	लोक लेखा	1,03,17,23,73,824.14	1,03,17,23,73,824.14	8,71,28,00,000.00	-	-	1,11,15,20,30,388.14	1,11,15,20,30,388.14
8	ई.टी.एस.	12,07,01,22,107.00	12,07,01,22,107.00	5,18,01,03,275.00	-	-	17,25,02,25,382.00	17,25,02,25,382.00
9	एल.एस.एफ.	71,19,669.82	71,19,669.82	4,99,97,82,805.00	-	4,99,69,28,659.82	99,72,615.00	99,72,615.00
10	एफ.डी.आर.	11,01,14,767.00	11,01,14,767.00	83,00,00,000.00	-	11,00,00,000.00	83,01,14,767.00	83,01,14,767.00
11	समाधिगत के अंतर्गत राशि	-	-	-	-	-	-	-
जोड़		2,67,64,48,70,122.72	2,67,54,96,66,933.53	48,68,28,63,780.00	-	12,59,48,41,559.82	3,02,75,31,30,718.22	3,02,72,53,29,461.19

अनुसूची सं.26									
क.म.नि.स्टाफ अभिव्यक्ति-निवेद									
क्र.सं.	निवेद का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेदित राशि	वर्ष के दौरान छुट्टी गयी प्रतिभूति का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य		
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य				परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य	
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतिया-सी टी जी	4,14,39,36,000.00	4,10,67,65,305.49	24,41,74,657.00	33,10,000.00	-32,55,885.51	4,35,08,85,848.00	4,37,25,26,000.00	
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी एस यू	3,95,44,05,280.83	3,93,51,56,977.44	73,00,00,000.00	70,78,95,000.00	-4,60,693.41	3,95,77,22,670.85	3,96,08,21,000.00	
3	निजी प्रतिभूतिया	1,21,14,15,000.00	1,21,13,70,234.84	-	18,03,80,000.00	-14,841.35	1,03,10,05,076.19	1,03,10,35,000.00	
4	राज्य विकास ऋण-एस डी एल	5,94,26,40,000.00	5,95,40,53,157.91	1,52,56,17,400.00	25,40,20,000.00	24,79,600.19	7,22,31,70,957.72	7,20,53,00,000.00	
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतिया-एस टी जी	24,60,00,000.00	24,90,58,098.74	-	-	4,12,137.24	24,86,45,961.50	24,60,00,000.00	
6	विशेष उम्मा योजना-एस डी एस	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-	
8	ई टी एफ	71,43,48,818.80	71,43,48,818.80	16,66,70,603.00	-	-	88,10,19,421.80	88,10,19,421.80	
9	एल.एम.एफ	92,72,177.00	92,72,177.00	16,83,49,938.00	17,99,54,136.00	-46,64,042.00	23,32,021.00	23,32,021.00	
10	समाशोधन के अवगत राशि	12,41,49,174.43	12,41,49,174.43	-	-	12,41,49,174.43	-	-	
जोड़		17,17,94,86,985.98	17,13,74,94,479.57	2,83,48,12,598.00	1,32,55,59,136.00	11,86,45,449.59	18,52,81,02,491.98	18,53,23,53,977.72	

अनुसूची सं.27									
क.म.नि.स्टाफ पेंशन सह रेटायर्ड निधि-निवेद									
क्र.सं.	निवेद का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेदित राशि	वर्ष के दौरान छुट्टी गयी प्रतिभूति का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य		
		अंकित मूल्य	परिशोधित /लागत मूल्य				परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य	
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतिया-सी टी जी	11,25,52,31,200.00	11,13,73,25,968.92	1,10,47,45,000.00	7,34,55,000.00	-83,37,730.80	12,17,69,53,699.72	12,23,17,76,200.00	
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी एस यू	18,54,91,37,215.34	18,48,58,72,101.92	4,60,00,00,000.00	1,03,36,35,000.00	-37,44,654.31	22,05,59,81,756.23	22,07,97,28,000.00	
3	निजी प्रतिभूतिया	5,52,06,50,000.00	5,52,60,16,222.70	-	16,00,00,000.00	5,02,755.37	5,36,55,13,467.33	5,36,06,50,000.00	
4	राज्य विकास ऋण-एस डी एल	37,20,54,10,000.00	37,41,27,04,778.99	11,07,82,15,691.00	52,20,70,000.00	5,80,75,313.48	47,91,07,75,156.51	47,71,31,80,000.00	
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतिया-एस टी जी	49,30,00,000.00	49,91,74,099.29	25,00,00,000.00	-	8,35,640.74	74,83,36,458.55	74,30,00,000.00	
6	विशेष उम्मा योजना-एस डी एस	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-	
8	ई टी एफ	8,86,39,11,481.00	8,86,39,11,481.00	4,23,29,80,955.20	-	-	13,09,68,92,436.20	13,09,68,92,436.20	
9	एल.एम.एफ	41,94,348.16	41,94,348.16	4,24,65,84,741.00	4,24,45,52,168.65	0.00	62,26,920.51	62,26,920.51	
10	समाशोधन के अवगत राशि	21,23,74,100.39	21,23,74,100.39	-	-	21,23,74,100.39	-	-	
जोड़		83,02,18,35,671.76	83,05,95,00,428.24	25,51,25,26,387.20	6,03,37,12,168.65	25,97,05,424.87	1,02,27,86,09,221.92	1,02,14,93,80,883.58	

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995									
वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त तथा अदायगी लेखा									
(अंशदान लेखा)									
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि	पैसे.	पैसे.
रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये		रुपये		
37,78,53,91,92,149.44	1.	01-04-2019 को आदि शेष	43,68,16,31,84,826.70		1.	सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि:			
4,02,59,74,17,067.19	2.	(i) नियोजताओं का अंशदान	4,44,48,54,56,768.36			(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि			0.00
49,00,00,00,000.00		(ii) सरकार का अंशदान 2019-2020*	50,96,67,00,000.00	0.00					
		(iii) वर्ष 2018-19 तक सरकार के अंशदान का बकाया				(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	67,96,61,93,855.01		
0.00				0.00		(ग) जीवन बीमा लाभ			0.00
1,05,68,06,00,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में शेष पर ब्याज	1,27,13,42,00,000.00	1,12,07,33,98,520.53		(घ) पेंशन	1,13,20,89,07,594.51		
7,80,19,198.28	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	5,75,789.80		2.	पेंशन के संचितरण के लिए कमीशन			
2,17,70,61,88,066.52	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	2,48,15,90,41,231.74	87,10,61,705.75		के रूप में भुगतान की गई राशि	98,03,32,208.30		
3,94,65,23,260.00	6.	शस्तिक नुकसानी	3,94,65,23,260.00	0.00	3.	पेंशन निधि में दी गयी राशि			
	7.	अन्य प्राप्तियां :				प्रशासकीय व्यय			0.00
1,37,99,14,375.93		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	1,55,24,71,679.95	0.00	4.	छूट देने पर अंतरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि			0.00
0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	0.00		5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	1,73,20,05,069.78		
					6.	अन्य भुगतान :			
				98,91,238.00		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	98,91,238.00		
				0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11			0.00
				43,68,16,31,84,826.70	7.	31-03-2020 को अंत शेष	50,60,51,08,23,590.95		
45,58,92,78,54,117.36		जोड़	52,44,40,81,53,556.55	45,58,92,78,54,117.36		जोड़	52,44,40,81,53,556.55		

**इसमें न्यूनतम पेंशन 1,000.00 रु की प्रतिपूर्ति हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त रु. 14,00,00,00,000.00 की राशि शामिल है।

हो
(हेमंत जैन)
वित्तीय सहायक एवं मुख्य लेखाधिकारी

हो
(सुनील बड़वाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहवर्धन बीमा योजना, 1976									
वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां									
(अंशदान लेखा)									
पिछला वर्ष रुपये	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि रुपये	पिछला वर्ष रुपये	क्र.सं.	अदायगियां	राशि रुपये	पैसे	
2,36,29,27,13,711.59	1.	01-04-2019 को आदि शेष	2,67,81,72,10,029.40	7,77,69,46,115.50	1.	बीमा लाभ	8,70,93,00,077.24		
19,42,56,29,631.90	2.	नियोक्ताओं का अंशदान	22,39,88,24,014.77		2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को			
8,13,51,00,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर व्याज	8,71,28,00,000.00	0.00		वापस की गई राशि			0.00
11,55,54,88,894.77	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर व्याज	13,23,93,99,632.10		3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित व्याज के			
1,652.80	5.	बचत बैंक खातों पर व्याज	2,705.33	9,00,38,359.28		रुप में अदा की गई राशि	5,72,75,832.96		
19,49,73,834.78	6.	शास्तिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू	25,59,44,827.99		4.	अन्य अदायगियां			
	7.	अन्य प्राप्तियां:		4,91,325.66		लेखा संख्या 21	5,28,339.63		
8,07,78,104.00		लेखा संख्या 21	12,05,41,321.00	0.00		लेखा संख्या 25			
0.00		लेखा संख्या 25	0.00	2,67,81,72,10,029.40	5.	31-03-2020 को अंत शेष	3,03,77,76,18,280.76		
2,75,68,46,85,829.84		जोड़	3,12,54,47,22,530.59	2,75,68,46,85,829.84		जोड़	3,12,54,47,22,530.59		

हो
(हेमंत जैन)
वित्तीय सहाकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हो
(सुनील बड़वाल)
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहवर्धन बीमा योजना, 1976									
वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां									
(प्रशासनिक लेखा)									
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि	रूपये	पैसे
रूपये	पैसे		रूपये	पैसे					
29,06,38,78,672.78	1.	01-04-2019 को आदि शेष	31,32,62,67,220.66	35,41,15,574.60	1	कमनिस पर 1% अनुपातिक व्यय		37,60,93,814.34	
34,45,20,032.27	2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	31,19,68,978.93		2	अन्य प्राप्तियां:			
5,60,58,618.15	3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	5,21,64,263.30	1,08,243.08		लेखा संख्या 22		19,643.50	
2,32,19,246.52	4	शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू पर ब्याज	3,15,40,906.24	0.00		लेखा संख्या 24		0.00	
2,19,29,02,154.32	5	निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,40,19,47,436.80	31,32,62,67,220.66	3	31-03-2020 को अंतर्शेष		33,74,77,81,432.87	
-4,14,711.65	6	बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,828.52						
3,27,025.94	7.	अन्य प्राप्तियां:							
0.00		लेखा संख्या 22	3.00						
		लेखा संख्या 24	3,253.26						
31,68,04,91,038.33		जोड़	34,12,38,94,890.71	31,68,04,91,038.33		जोड़		34,12,38,94,890.71	

हो
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हो
(सुनील बड़थवाल)
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अनुसूची जो 2019-20 की अवधि के लिए खातों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा पद्धति

वित्तीय विवरणियां संचित आधार पर तैयार की जाती हैं जब तक कि अन्यथा भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई लेखांकन हेतु आम प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं और लागू अनिवार्य लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत न कहा जाए।

2. निवेश

(क) भारत सरकार को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह क.भ.नि.एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना के बाद लागू होगा। वर्तमान में, ईटीएफ निवेश 'लागत मूल्य' पर दिखाया जा रहा है। ।

(ख) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.01.2007 को आयोजित अपनी 178 वीं बैठक में अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन मूल्य पर आंका गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां :

3.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

3.2 सभी मदों पर व्यय रु. 5000/- से अधिक लागत वाले तथा जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, को अचल परिसंपत्ति के रूप में विचार किया जाता है।

3.3 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है ।

3.4 भूमि, भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जो 01.04.2015 (लेखांकन के आकस्मिक आधार से नकद आधार पर स्विच करने की तिथि) से पहले अर्जित की गई हैं, का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के नाम मात्र मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति के रूप में माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले खरीदी गई और संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले, खरीदी गई तथा संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति पर किया गया और प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन किया गया। यह, भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसबी), जो संघ और राज्य सरकार के संगठनों में एक्रुअल आधारित लेखांकन की ओर अंतरण पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. मूल्यहास

- 4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 4.2 वर्ष के दौरान, जिसे 180 दिन अथवा अधिक के लिए उपयोग की गई अचल परिसंपत्तियों पर पूरी दर से और 180 दिन से कम के लिए उपयोग की गई आधी दर से अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास किया गया।
- 4.3 लीज़ होल्ड भवनों जैसे जिन भवनों का सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या लीज़ के निर्धारित वर्षों के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान, पर लीज़ अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहास किया गया।
- 4.4 लीज़ होल्ड भूमि पर अदा की गई एकमुश्त लीज़ राशि का लीज़ अवधि के दौरान प्रतिवर्ष आनुपातिक रूप से परिशोधन किया जाता है।
- 4.5 फ्री होल्ड भवन पर पहले अधिग्रहण की तिथि से 01.04.2015 तक मूल्यहास लगाया गया। उसके बाद मूल्यहास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यहास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(संदर्भ-लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण किया जा रहा है।

5. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए देय सरकारी अनुदान अंशदान का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाता है।

6. कर्मचारी देय:

6.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन को, भुगतान की वास्तविक तिथि पर ध्यान दिए बगैर एकुअल आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाए।

6.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को ब्याज की वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

7. लीज़

7.1 लीज़ शर्तों के संदर्भ में लीज का व्यय किया जाता है।

7.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा इस संबंध में व्यवस्था की जाएगी।

8. ब्याज से आय

8.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।

8.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।

8.3 निवेशों पर उपार्जित एवं देय पर अप्राप्त ब्याज का 2015-16 से एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा ।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है। क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखांकन किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव का क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखांकन किया जाता है। लेखांकन मानक-15 के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारियों के लाभों का बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत का उसी अवधि के लिए लेखांकन किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।

9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व मान्यता

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से किसी वसूली के मामले में, राजस्व को रोकड़ आधार पर लिया जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित अन्य प्रकटीकरण, लेखों में नोट पर किया गया है।

11. भवन निर्माण के लिए ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरुआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में नपाई के आधार पर, किए गए परंतु अंतिम रूप से पूरे नहीं किए गए काम के अनुसार राशि को "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट :

1. आकस्मिक देयताएं

क्र.सं.	आकस्मिक देयताएं	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1	वे वस्तुएं जिन्हें ऋण नहीं माना गया, के संबंध में किए गए दावे		
(क)	वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

31-03-2020 को माल और सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) के मामलों की स्थिति:

क्र.सं.	अवधि	सेवा कर की मांग एवं प्रकृति	स्थिति
1	2010-11	2,16,32,19,135.00	ओ-आई-ओ दिनांक 21.08.2012 से असंतुष्ट होने के कारण माननीय सीईएसटीएटी, पंचकुला के समक्ष अपील दायर की गई
2	2009-10	1,74,75,41,733.00	ओ-आई-ओ दिनांक 26.11.2015 से असंतुष्ट होने के कारण माननीय सीईएसटीएटी, दिल्ली के समक्ष

			अपील दायर की गई तथा अपील पर 02.05.2019 को सुनवाई हुई और आदेश को सुरक्षित रखा गया जिसके शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है
3	2011-12	2,73,05,33,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,03,75,797.00	

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य 31,076.14 लाख रुपये है। पिछले वर्ष के अंत में यह 29,328.04 लाख रुपये था ।

लेखों पर नोट

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के जीएसआर संख्या 284(ई), जीएसआर संख्या 285(ई) और जीएसआर संख्या 286(ई) दिनांक 04.04.2019 के तहत अधिसूचित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

II. पूर्व अवधि हेतु आय एवं व्यय

आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि की 48.24 करोड़ रुपए की आय और 60.37 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

1. 31 मार्च, 2020 तक कभनिसं एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कुल निर्धारित सांविधिक देय एवं धारा 7ए के अंतर्गत वसूली हेतु देय, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को नीचे तालिका में दिखाया गया है।

क्र.सं.	योजना का नाम	31 मार्च 2020 तक 7ए के अंतर्गत निर्धारित बकाया, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)		31 मार्च 2019 तक 7ए के अंतर्गत कुल बकाया, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)	
		बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	345,414.21	216,675.47	2,49,990.71	2,11,906.81
2.	क.भ.नि. प्रशा. निधि	26,692.94	15,416.44	17,330.32	19,860.62
3.	कर्मचारी पेंशन निधि	181,900.83	107,154.93	1,24,859.71	98,926.44
4.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि	16,668.11	9239.55	12,334.89	9,339.26
5.	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	474.28	383.67	382.07	344.93
कुल		571150.37	348870.05	4,04,897.70	3,40,378.06

(स्रोत एम.आई.एस.)

2. 7ए के अंतर्गत प्राप्य श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।
3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि की मात्रा का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान के संबंध में लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए न कि देय के आधार पर।

IV कर्मचारी पेंशन निधि

31.03.2016 और 31.03.2017 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की अंतिम बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है एवं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 31.03.2017 को मुल्यांकन परिणाम इस प्रकार हैं:-

मुल्यांकन परिणाम

कुल देयता वर्गीकरण	रुपए करोड़ में
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	7,37,700.57
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	4,03,756.28
सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	3,33,944.29
31-03-2017 को संग्रह (घ)	3,18,412.38
कुल देयता (ग)-(घ) (बीमांकक कमी)	15,531.91

31-03-2018 और 31-03-2019 को कर्मचारी पेंशन निधि बीमांकन मूल्यांकन को बीमांकक द्वारा पूरा किया गया है और रिपोर्ट बहुत जल्द सौंपे जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, 31-03-2020 को कर्मचारी पेंशन निधि बीमांकन मूल्यांकन के प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी की गई है। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2020 थी।

कभनिसं द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय को बताई गई समय सीमा के अनुसार, बीमांकक की नियुक्ति के पश्चात, बीमांकक को मूल्यांकन के लिए आवश्यक डाटा प्राप्त करने के लिए और

कभनिसं को इसे प्रदान करने के लिए एक महीने का समय प्रदान किया गया है, और एक माह का समय मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीमांकक को प्रदान किया गया है।

यह भी सूचित किया जाता है कि श्रम मंत्रालय ने 07-09-2020 के अपने पत्र की व्याख्या करते हुए निर्देश दिया है कि क.पें.यो. 1995 के अगले मूल्यांकन (31-03-2021 तक) के लिए एकट्यूरी की नियुक्ति की प्रक्रिया जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होनी चाहिए। ।

V. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार वर्ष 31.03.2019 के लिए किया गया तथा मूल्यांकन परिणाम निम्नानुसार है:

	राशि (रुपए करोड़ में)
निवल देयता (क)	27099.38
निधि घटायें (ख)	27234.66
निधि के पश्चात अधिशेष (ख) - (क)	135.28

*यह माना गया कि 09.09.2020 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में के.न्या.बोर्ड, कभनि द्वारा अनुमोदित ईडीएलआई योजना में प्रस्तावित संशोधन, जिसमें ईडीएलआई लाभ 6 लाख से 7 लाख तक अधिकतम बढ़ाना जाना शामिल हैं, को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

VI सदस्य खाते

(क) **निष्क्रिय खाते:** कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में परिभाषित एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। 'संशोधित परिभाषा के अनुसार, लेखा वर्ष 2018-19 के दौरान निष्क्रिय खातों की अंतर राशि को सक्रिय खातों (तुलन पत्र की अनुसूची-1) में हस्तांतरित किया गया है। अब निष्क्रिय खातों के अंत शेष वित्तीय वर्ष के अंत में सिस्टम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। दिनांक 31.03.2020 तक 'निष्क्रिय खातों' में 2827.29 करोड़ रुपये की राशि है और ऐसे खातों की संख्या 977763 है।

(ख) अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान

दिनांक 31.3.2020 को, क्रमशः रु. 7.69 करोड़ और रु. 3.10 करोड़ “अनियमित भुगतान” और “अधिक भुगतान” शीर्ष में अंतर्शेष थे। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा विधिवत गठित अधिक भुगतान समिति द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर सिविल/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश

अभी भी वसूली के लिए मूल राशि एवं इस पर ब्याज को दर्शाते हुए निवेश का विवरण एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट -‘क’ पर संलग्न है।

(ख) टी.डी.एस. का रिफंड

वर्ष 1997-1998 से 2005-2006 के दौरान टी.डी.एस. के रूप में 8.37 करोड़ की राशि की गलती से कटौती की गई और आयकर विभाग में जमा कराई गई। काटी गई राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु मामले को यू-ओ नोट दिनांक 20.06.2018 द्वारा सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया गया है, जिसमें यह प्रस्तावित है कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के स्तर पर रु. 8,36,98,105.70 की राशि ब्याज सहित शीघ्रतम लौटाने के लिए माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के साथ आयकर प्रधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले को उठाया जाए। अवर सचिव भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा अनुरोध किया है कि टैक्स कटौती का विवरण, काटे गए टैक्स, तिथिवार एवं टैक्सवार प्रमाणपत्र संख्या एवं प्रत्येक प्रमाणपत्र की तिथि सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए।

(ग) निवेश के आंकड़ों के बीच अंतर

तुलनपत्र में दर्शाए गए निवेश आंकड़ों में तथा निवेश भाग के होल्डिंग आंकड़ों में अंतर का कारण यह है कि तुलनपत्र में ऋण परिशोधन के बाद निवेश आंकड़ों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है, वहीं निवेश रिकॉर्ड में इसे अंकित मूल्य पर रखा गया है। अतः ऋण परिशोधन के पश्चात् लागत मूल्य तथा अंकित मूल्य का अंतर, दिए गए प्रीमियम / लिए गए डिस्काउंट की सीमा पर निर्भर करता है तथा उस सीमा तक इसका ऋण परिशोधन कर दिया गया है। चूंकि प्रतिभूतियां नियमित रूप से खरीदी जाती हैं, ऋण परिशोधन की गणना एक अति सक्रिय एवं निरंतर प्रक्रिया है तथा इसकी कंप्यूटिंग हेतु एक समर्पित सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है।

हालांकि, पिछले वर्ष के दौरान असमेकित के रूप में दिखाई गई राशि का समाधान 2018-19 के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान कभनिसं द्वारा कैग को दिए गए आश्वासन के अनुसार कर दिया गया था। तुलन पत्र में दिखाए गए निवेश के परिशोधन / लागत मूल्य के प्रारंभिक शेष एवं समाधान के पश्चात प्राप्त किये गये आंकड़ों के बीच अंतर को 2019-20 के दौरान निवेश और आय से निवेश से समायोजित किया गया है।

प्रारंभिक शेष

घ) 31.03.2020 तक ई.टी.एफ. में निवेशित राशि का बाज़ार मूल्य रु.87506.82 करोड़ रुपए था।

VIII. उंचंत खाते

उंचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	(-) 41,64,55,986.26
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	3,659,389,320.09
कुल	3,242,933,333.83
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,533,746,429.98
अंतशेष	709,186,903.85

उंचंत खाता (प्राशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	26,57,65,643.18
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,238,069,423.85
कुल	2,503,835,067.03
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,213,187,030.26
अंतशेष	290,648,036.77

उंचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	
प्रारंभिक शेष	1,07,30,98,402.14
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,287,762,785.99
कुल	3,360,861,188.13
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,237,506,519.18
अंतशेष	1,123,354,668.95

उच्चत खतत (क.भ.नल.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तलतलं, ःण और अग्रल)	
प्रारंभलक शेष	23,86,68,019.07
ओड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत रशल	63,137,079.65
कुल	301,805,098.72
घटाएं : वर्ष के दौरान अदल की गई रशल	78,549,132.66
अंतशेष	223,255,966.06

IX- पी.एम.आर.पी.वलई तथल पी.एम.पी.आर.पी.वलई:

नलजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वलई तथल पी.एम.पी.आर.पी.वलई सरकल की प्रमुख प्रोत्सलहन योजनलएं हैं। ये योजनलएं अक्तूबर, 2016 के दौरान शुरू की गई तथल सरकल इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक के माध्यम से क.भ.नल.सं. के बैंक खलते के दवलरल सहायतल- अनुदलन उपलब्ध करलती है।

पी.एम.आर.पी.वलई योजनल नए भवलष्य नलधल सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदलन से जुड़ी नलयोक्तल की जलम्मेदलरी को कम करती है। क.भ.नल.सं. उपर्युक्त बैंक खलते से कलटी गई रशल की सीधे प्रतिपूर्तल कर देतल है।

भलरत सरकल दलनलंक 01.04.2018 से क.भ.नल.सं. के माध्यम से नए कर्मचलरल्यों के लिए तीन वर्ष की अवधल और मौजूदल ललभलर्थल्यों के लिए उनकी तीन वर्ष की शेष अवधल के लिए, समय-समय पर स्वीकलर्य, नलयोक्तलओं के पूरे अंशदलन (क.भ.नल. और क.पें.यो. दोनों) कल भुगतलन करेगी। स्थापनल के माध्यम से ललभलर्थल्यों को पंजीकृत करने की आवधलक तलथल 31 मलर्च, 2019 है। (पीएमपीआरपीवलई में सरकल दवलरल कलर्यललय जलपन संख्या डीडीई-यू-13015/01/2016 एमपी (जी) दलनलंक 12.04.2018 के माध्यम से संशोधन कलल गयल थल।)

पीएमआरपीवलई तथल पीएमपीआरपीवलई के लिए अनुरक्षलत बैंक बचत खलतों पर अर्जलत ब्यलज, भलरत सरकल को वलपस लौटल दलल गयल है, जब कल दोनों योजनलओं के अप्रयुक्त सहायतल अनुदलन रशल पीएमआरपीवलई तथल पीएमपीआरपीवलई के लिए अलग से इंडियन बैंक में इस प्रयोजन के लिए खोले गए खलतों में पड़ी हैं । उपर्युक्त खलतों के वलवरण नलम्नलनुसर हैं:

क्र. सं.	पीएमआरपीवलई के वलवरण		
1	प्रारंभलक शेष (01.04.2019)		812,408,590.00
	ओड़ें		
2	भलरत सरकल (श्रम एवं रोजगलर मंत्रललय) से प्रलप्त नलधल	34,000,000,000.00	

3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	51,422,189.00	
4	दिनांक 29.02.2020 को नामे प्रविष्टियों की वसूली के रूप में प्राप्त जमा	2,617,967,583.00	
5	दिनांक 17.07.2018 को त्रुटिवश डेबिट की गई राशि की वापसी	4,648,946.00	36,674,038,718.00
	घटाएं		
6	नियोक्ताओं को सब्सिडी	36,995,750,658.00	
7	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2018-19 तक श्रम एवं रो. मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	136,871,517.00	37,132,622,175.00
		अंतशेष	353,825,133.00

क्र. सं.	पी.एम.पी.आर.पी.वाई. के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2019)		200,671,224.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि	0.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	7,729,403.00	
4	दिनांक 17.07.2018 को त्रुटिवश डेबिट की गई राशि की वापसी	2,243.00	7,731,646.00
	घटाएं		
5	नियोक्ताओं को सब्सिडी	0.00	
6	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2018-19 तक श्रम एवं रो. मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	21,216,858.00	21,216,858.00
		अंतशेष	187,186,012.00

X- केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति इस प्रकार की जाती है:

- i. डुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में त्रुटिपूर्ण जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना खाते में दिखाया जाता है।
- ii. जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में देखा जा सकता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
- iii. लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखों में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखों में दर्शाया जाता है।
- iv. एकल एकत्रिकरण लेखों के अंतः शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है (अन्य योजनाएं एवं प्रशासनिक लेखों के लेन-देन का समायोजन करने के पश्चात्)।

XI. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

(क) अन्य अचल परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियां जैसे पाउडर ड्रिलिंग मशीन, फुल स्क्रीन प्रोफेशनल डिस्प्ले, अग्निशमक, स्टैबलाइज़र आदि शामिल हैं।

(ख) जमीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण
1	हैदराबाद	आलविन कालोनी, कुकटपल्ली पर एसवाई सं. 276/2, जीओ एमएस सं. 166 दिनांक 17.06.2016
2	मुख्यालय	क.भ.न.सं. मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन में निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज़ के आधार पर लिया गया था, परन्तु आज तक लीज़ डीड क.भ.नि.सं. के नाम पर पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2020 को इस भवन का बुक मूल्य प्रतिवाद के पश्चात् रु. 20,87,57,377/- मात्र है।

XII. स्टॉफ पेंशन-सह-ग्रैज्युटि निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के

समान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई अपनी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक हस्तांतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले हस्तांतरित कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों का 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

बीमांकक ने वर्ष 2018-19 हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुल अनुमानित लाभ भार (पी.बी.ओ.) नीचे सारणीबद्ध है:

(रूपये करोड़ों में)		
(i)	पेंशन	11406.84
(ii)	एन.पी.एस. (मृत्यु के मामलों में परिवार पेंशन)	558.34
(iii)	ग्रेच्युटी	1058.37
(iii)	कुल देयताएं (i)+(ii)+(iii)	13023.55
(iv)	दिनांक 31.03.2020 को उपलब्ध शेष	10355.83
(v)	घाटा (iii) - (iv)	2667.72

बीमांकक की रिपोर्ट का अनुमोदन, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा दिनांक 05.03.2020 को आयोजित 226वीं बैठक में किया गया।

XIII- किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिसं होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(सुनील बड़वाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के संबंध में ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण- 31 मार्च, 2020

क्र.सं	स्थापना का नाम	चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल	ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं	वर्तमान स्थिति
1.	मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम (1 अप्रैल, 2004 से)	शून्य	45,38,17,159.95	यूपीएससी के माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बेंच) के मूल राशि के भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1760 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद में आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है। केंद्रीय न्यायी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (इल्यू पी संख्या 1760) में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश में दिए निर्देश का पालन करते हुए, यूपीएससी ने 27.08.2018 को रुपये 25 करोड़ की मूल राशि का भुगतान कर दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संरक्षक ने ईमेल दिनांक 07.09.2018 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने ईमेल दिनांक 10.09.2018 द्वारा पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यूपीएससी सिक्क्योरिटीज से संबंधित 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएससी ने 05.12.2018 को रुपये 27,60,00,00,000/- केवल ब्याज के दावे के लिए प्राप्त किए हैं। इस संबंध में, प्रधान सचिव, अद्यसंचना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.05.2019 द्वारा शेष अतिरिक्त देय ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
2.	मैसर्स रिचर्ड एण्ड कूडास (आरसीएल) (मार्च, 2002 से)	शून्य	4,07,74,162.39	टिप्पणी- 27.08.2018 को यूपीएसएससी से रुपये 25,00,00,00,000/- मूल राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। टिप्पणी - 05.12.2018. को यूपीएसएससी से रुपये 27,60,00,00,000/- ब्याज राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता ने क.भ.नि.सं. से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। क.भ.नि.सं. ने एस सी बी को दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने संपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है। मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शसकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा बकाया ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है। इसके अलावा दिनांक 05.04.2019 को संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को बकाया देय ब्याज राशि के भुगतान के अनुरोध सहित एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया है जिसकी एक प्रति एस सी बी, संरक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित की गई है।

3.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) बीआईएफ आर मामला(1996 से)	शून्य	3,29,54,230.53	सिटी सिविल न्यायालय, बंगलौर में वसूली मुकदमे दायर किए गए हैं। एच एम टी ने एस आई सी ए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। मामला अभी भी लंबित है। अधिवक्ता को बीआईएफ आर पर राय प्रस्तुत करने तथा स्टे ऑर्डर को चुनौती देने और स्थिति रिपोर्ट से अवगत करवाने के लिए दिनांक 09.05.2013, 16.08.2014, 27.03.2015 तथा 05.05.2016 को पत्र जारी किया गया है। पत्र दिनांक 29.05.2018 तथा 02.05.2019 द्वारा मामले की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर को भी अनुस्मारक जारी किया गया है।
4.	मैसर्स पीएसआईडीसी (2013 से* - वर्ष 2004 से देरी से परिपक्वता और ब्याज भुगतान पर अर्जित ब्याज लंबित हैं)	1,90,00,000.00	1,07,90,358.61	अध्यक्ष, पी एस आई डी सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए दिनांक 19.04.2016 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 16.08.2016 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एस आई डी सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 15.03.2017, 13.07.2017 तथा 05.02.2018 को तथा 21.05.2019 द्वारा अनुस्मारक जारी किया गया है और मुख्य सचिव, वित्त, पंजाब सरकार को 05.02.2018 तथा 21.05.2019 को अनुस्मारक जारी किया गया है।
				रु. 10 लाख 11.03.2020 को प्राप्त हुए ।
5.	मैसर्स पंजाब फाइनंशियल कॉर्पोरेशन (2014 से)	46,70,000	7,61,961.97	अध्यक्ष, पी एफ सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक की राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा सभी लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 19.04.2016 को एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है। मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 16.08.2016 को पुनः अनुस्मारक भी जारी किया गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एफ सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 27-04-2017, 19-09-2017, 13-2-2018 तथा 4-12-2018, 08.05.2019 और मैसर्स पी एफ सी को 27.04.2017, 19.09.2017, 16.02.2018, पृष्ठान्न पत्र 08.05.2019 जारी किया गया है। पी.एफ.सी. के चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 27.05.2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें एस.सी.बी., सरकार के प्रतिनिधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मिक उपस्थित हुए थे, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे को मजबूती से रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि पी.एफ.सी. एक सचिव स्तर की बैठक सुनिश्चित करेगा और सभी बांड धारियों को इस संबंध में सूचित करेगा। पी.एफ.सी. के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

6.	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विस	शून्य	74,86,82,157.82	अध्यक्ष, आई.एल. एंड एफ.एस. को 11.01.2019 को चूक की राशि का भुगतान करने के लिए एक अधिसूचकीय पत्र भेजा गया। इसके अलावा, अध्यक्ष, आई.एल. एंड एफ.एस. से इस कार्यालय के अनुस्मारक दिनांक 31.01.2019 द्वारा पुनः विषय वस्तु पर शीघ्र एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, निदेशक, एस.सी.डी. को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.02.2019 द्वारा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि ब्याज हेतु देय राशि का भुगतान समय पर केंद्रीय बोर्ड, क.भ.नि. को किया जाए और अद्यतन स्थिति के संबंध में तुरंत इस कार्यालय को सूचित किया जाए। क.भ.नि.सं. सहित ऋणपत्रधारियों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा 8 फरवरी, 2019 को एनसीएलएटी के समक्ष एक इंटरवेंशन आवेदन फाईल किया गया है। संरक्षक द्वारा इसे नियमित रूप से जारीकर्ता के साथ यह कहकर उठाया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश कामगारों के अंशदान की राशि है। आई.एल. एंड एफ.एस. के मामले में दवा प्रबंधन सलाहकार द्वारा मांगे गए दवा प्रपत्र को डिबेंचर ट्रस्टी को भली भांति प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पोर्टफोलियो प्रबंधकों को आईबीसी के अंतर्गत समुचित फोरम के समक्ष एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं। माननीय एनसीएलएटी ने अपने निर्णय दिनांक 12.03.2020 में यह उल्लेख किया है कि भारत संघ, आईएलएफएस के निदेशक बोर्ड तथा गठित की जा चुकी क्रेडिटर्स समिति अथवा जो गठित की जाएगी, को सभी एनयुएडियों के प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर समाप्त करने के निदेश दिए जाते हैं" और मामले को 14 अप्रैल, 2020 को आदेशों हेतु प्रस्तुत करने के निदेश दिए ।
7.	मैसर्स डीएचएफएल	शून्य	50,86,04,642.48	मैसर्स दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) की अद्यतन स्थिति को 26.07.2019 को हुई एफआईसी की 150वीं बैठक में रखा गया। एफआईसी ने मामले पर विचार विमर्श किया। यह निर्णय लिया गया कि डीएचएफएल के मामले में, समयपूर्व छुड़ाई गई देय राशि को जमा करना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं, तथापि डीएचएफएल के वायदे के अनुसार देय तिथि तक इसे जमा नहीं कराया गया। इसके अलावा, मैसर्स कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि. (सीटीएल), डिबेंचर ट्रस्टी (डीटी) ने भी मैसर्स डीएचएफएल को नोटिस जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रशासक नियुक्त किया है और आईबीसी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है।
8.	मैसर्स रिलायंस कैपिटल	शून्य	5063,83,561.65	क.भ.नि.सं. बॉण्ड्स की शीघ्र परिक्रमता तथा ब्याज हेतु निधि को चिन्हित करने हेतु उपयुक्त उपबंध करने के लिए रिलायंस कैपिटल को पत्र दिनांक 03.06.2019 भेजा गया था। मैसर्स रिलायंस कैपिटल" द्वारा रिलायंस कैपिटल एएमसी में शेयरों से वंचित करने पर एक कार्यसूची मद 26.07.2019 को एफआईसी की 150वीं बैठक में प्रस्तुत की गई। एफआईसी ने मामले पर विचार-विमर्श किया और मामले को सेबी तथा कापीट मामलों के मंत्रालय के साथ उठाव के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। मैसर्स रिलायंस कैपिटल को रिलायंस कैपिटल एनसीडी में क.भ.नि.सं. द्वारा किए गए रु. 2500 करोड़ के संपूर्ण निवेश को समयपूर्व छुड़ाने के लिए निदेश देने का निर्णय लिया गया।

				एफआईएसटी के द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार, मैसर्स रिलायंस कैपिटल द्वारा रिलायंस कैपिटल एमसी में शेयरों से वंचित करने पर मामले को सेबी तथा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ उठाने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड एवं पीएमएस एजीमेंट के उल्लंघन के संबंध में पत्र दिनांक 25.09.2019 भेजा गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि मैसर्स रिलायंस एनएमएल में मैसर्स रिलायंस कैपिटल लि. में शेयरों की विक्री के लिए आवश्यक नियामक स्वीकृति इन कंपनियों की ओर उनके कर्तव्यों के अनुपालन के पश्चात् ही दी जाए जिससे कि क.भ.नि.सं. के हितों को भली-भांति सुरक्षित रखा जा सके। डीटी द्वारा कंपनी के विरुद्ध 30 नवंबर, 2019 को ऋण वसूली अधिकरण में मूल आवेदन फाइल किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 17.02.2020 को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें निम्नलिखित एनटायटियों के प्रतिनिधि शामिल थे:- ➤ मैसर्स विस्टा आईटीसीएल, डीटी ➤ पीएम (यूटीआई एमसी तथा एसबीआई एफएमपीएल) ➤ परामर्शदाता मैसर्स क्रिसिल ➤ बाहरी समवर्ती लेखापरीक्षक उक्त बैठक में, विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, के.भ.नि.आ. ने डीटी को डिबेंचर धारियों विशेषतः क.भ.नि.सं. के हितों को संरक्षित करने के लिए कृत कार्रवाई प्रस्तुत करने की सलाह दी।
--	--	--	--	---

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा

परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियाँ	संगठन की अभ्युक्तियाँ
हमने 31 मार्च, 2020 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 22 आंचलिक कार्यालय (आं.का.) 135 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) तथा पीडीनास शामिल हैं। मुख्यालय के इन लेखों में 05 आंचलिक कार्यालय, 06 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा उन पर की गई टिप्पणियों पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए विचार किया गया। ये वित्तीय विवरणियाँ क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने	3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।	
4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :- (i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था; (ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। (iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियाँ एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इनका क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार रख-रखाव किया जा रहा है। (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:	4. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
ए तुलन पत्र ए.1 परिसंपत्तियां ए.1.1 लोक लेखों में निवेश (अनुसूची 20, 22) लोक लेखों में निवेश से संबंधित निम्नलिखित शेष कभनिस के निवेश की अनुसूचियों में दर्शाए गए हैं :	ए.1 परिसंपत्तियां ए.1.1 लोक लेखों में निवेश (अनुसूची 20, 22) व्याज और अंशदान के निम्नलिखित विंदुओं के संबंध में प्राप्त दस्तावेज लेखापरीक्षा दल को उनके इस कार्यालय के अगले दौरे

अनुसूची संख्या 20		राशि रुपये में				के दौरान प्रदान किए जाएंगे।	
कर्मचारी पेंशन निधि - निवेश						1. 871.28 करोड़ रुपये :- वर्ष 2019-20 के लिए लोक लेखा में रखी गई कनिसबी निधि पर व्याज का भुगतान।	
क्र. सं.		आदि शेष	परिशोधन / अंकित मूल्य	वर्ष के दौरान निवेश की राशि	परिशोधन की लागत	वर्तमान मूल्य / परिशोधन लागत मूल्य	2. रु.16,410.09 करोड़:- रु.12,713.42 करोड़ वर्ष 2019-20 के लिए लोक लेखा में रखी गई कर्पेयो निधि पर व्याज का भुगतान है और रु. 3,696.67 करोड़ वर्ष 2019-20 के लिए कर्पेयो निधि के अंतर्गत सरकार से प्राप्त अंशदान है।
7		24,22,76,32,24,831	24,22,76,32,24,831	1,64,10,09,00,000	11,39,04,13,12,415	14,47,82,28,12,415	
लोक लेखा						14,47,82,28,12,415	
अनुसूची संख्या 22		कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना - निवेश				3. रु.11,115.20 करोड़ रुपये :- वर्ष 2019-20 के लिए लोक लेखा में रखी गई कनिसबी निधि का अंत शेष।	
क्र. सं.		आदि शेष	परिशोधन / अंकित मूल्य	वर्ष के दौरान निवेश की राशि	परिशोधन की लागत	वर्तमान मूल्य / परिशोधन लागत मूल्य	जहाँ तक लोक लेखा में निवेश के अंत शेष की पुष्टि का संबंध है, इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलन पत्र की वार्षिक रिपोर्ट में ठीक कर दिया गया है।
7		1,03,17,23,73,824	1,03,17,23,73,824	8,71,28,00,000	73,31,43,436	1,11,15,20,30,388	रु. 144,782.28 करोड़:- अंत शेष गणना-शीट संलग्न की गई है जिसमें अंत शेष रु. 1,43,098.74 करोड़ है, अंतर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिशोधन की लागत शीर्ष के अंतर्गत समेकित किया गया है जैसा कि संशोधित मसौदा एसएआर उत्तर दिनांक 21.10.2021में पहले ही बताया गया है।
लोक लेखा							
विभाग ने वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि, परिशोधन की लागत और लोक लेखा में निवेश के अंतः शेष के संबंध में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।							
विभाग ने अपने उत्तर में परिशोधन की लागत का विवरण प्रस्तुत किया लेकिन वर्ष के दौरान लोक लेखे में निवेश की गई रु.17,281.37 करोड़ (रु.16,410.09 करोड़ जमा रु.871.28 करोड़) की राशि के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और लोक लेखे में निवेशित रु.1,55,897.48 करोड़ (रु.1,44,782.28 करोड़ जमा रु.11,115.20 करोड़) की राशि के अंतः शेष की पुष्टि नहीं की।							

उपर्युक्त के आलोक में, लेखापरीक्षा, वार्षिक लेखों की अनुसूची 20 एवं 22 में लोक लेखा में निवेश शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

ए.1.2 ईटीएफ निवेश का अंतः शेष -

निवेश अनुसूची 18 से 27 में दर्शाए गए ईटीएफ निवेशों का अंतः शेष, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी होल्डिंग प्रमाणपत्र में प्रमाणित निवेश की शेष राशि से मेल नहीं खाता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निवेश की अनुसूची	प्रमाणपत्र के अनुसार लेख का नाम	वार्षिक लेखों के अनुसार ईटीएफ का अंतः शेष	बैंक प्रमाणपत्र के अनुसार इकाइयां
18	सीबीटी-कभनि-05-वी-डीएम	7,06,49,93,09,182.11	6,57,03,68,968.00
20	सीबीटी-कभनि-11-वी-डीएम	3,20,52,36,14,419.83	2,82,16,97,883.00
22	सीबीटी-कभनि-25-वी-डीएम	17,25,02,25,382.00	13,24,28,000.00
26	सीबीटी-कभनि-08-वी-डीएम	88,10,19,421.80	62,98,000.00
27	सीबीटी-कभनि-09-वी-डीएम	13,09,68,92,436.20	9,57,68,000.00
कुल		10,58,25,10,60,841.94	9,62,65,60,851.00

ए.1.2 ईटीएफ निवेश का अंत- शेष :

टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। समाशोधन के मामलों की संख्या सही नहीं है, किंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईटीएफ के प्रमाणपत्रों में पहले से ही शामिल किए गए इकाइयों के लागत मूल्य को लेखा परीक्षा के साथ भी साझा किया जाएगा (और अधिक सुधार के लिए बताया गए अंतरों, यदि उपर्युक्त मौजूद हो, सहित)।

विभाग ने उत्तर दिया है कि वार्षिक लेखों में दर्शाई गई राशि ईटीएफ का लागत मूल्य है और बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईटीएफ प्रमाणपत्र की राशि ईटीएफ की इकाइयां हैं। इसलिए, ईटीएफ की अलग-अलग इकाइयों के लागत मूल्य के किसी भी विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा खातों में प्रदर्शित ईटीएफ से संबंधित ₹10,58,25,10,60,841.94 के अंतः शेष की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ थी।	ए.1.3 निवेश के मूल्य में अंतर का समाशोधन i) निवेश की अनुसूचियों का आदि शेष दर्शाता है कि निवेशों के अंकित मूल्य और परिशोधित मूल्य में निम्नलिखित अंतर थे: (राशि- रुपये में) <table><tr><th rowspan="2">विवरण</th><th colspan="2">आदि शेष</th></tr><tr><th>अंकित मूल्य</th><th>परिशोधित/लागत मूल्य</th></tr><tr><td>अनुसूची संख्या 18 कभनि (लेखा सं.05)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>समाशोधन के अंतर्गत राशि</td><td>0</td><td>-26,74,79,47,359.78</td></tr><tr><td>अनुसूची संख्या 20 कपेयो (लेखा सं.11)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>समाशोधन के अंतर्गत राशि</td><td>0</td><td>(11,34,92,08,55,135.91)</td></tr><tr><td>अनुसूची संख्या 22 कनिसबी (लेखा सं.25)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>समाशोधन के अंतर्गत राशि</td><td>0</td><td>14,05,00,757.33</td></tr><tr><td>अनुसूची संख्या 26 कभनि स्टाफ भविष्य निधि (लेखा सं.08)</td><td></td><td></td></tr></table>	विवरण	आदि शेष		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य	अनुसूची संख्या 18 कभनि (लेखा सं.05)			समाशोधन के अंतर्गत राशि	0	-26,74,79,47,359.78	अनुसूची संख्या 20 कपेयो (लेखा सं.11)			समाशोधन के अंतर्गत राशि	0	(11,34,92,08,55,135.91)	अनुसूची संख्या 22 कनिसबी (लेखा सं.25)			समाशोधन के अंतर्गत राशि	0	14,05,00,757.33	अनुसूची संख्या 26 कभनि स्टाफ भविष्य निधि (लेखा सं.08)		
विवरण	आदि शेष																										
	अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य																									
अनुसूची संख्या 18 कभनि (लेखा सं.05)																											
समाशोधन के अंतर्गत राशि	0	-26,74,79,47,359.78																									
अनुसूची संख्या 20 कपेयो (लेखा सं.11)																											
समाशोधन के अंतर्गत राशि	0	(11,34,92,08,55,135.91)																									
अनुसूची संख्या 22 कनिसबी (लेखा सं.25)																											
समाशोधन के अंतर्गत राशि	0	14,05,00,757.33																									
अनुसूची संख्या 26 कभनि स्टाफ भविष्य निधि (लेखा सं.08)																											
	ए.1.3 निवेश के मूल्य में अंतर का समाशोधन i) लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाए गए अंतर लंबे समय (10 से 15 वर्ष) में इकठ्ठे हुए थे। लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट किया जाता है और मानक लेखा नीति का पालन करते हुए मिलान के दौरान पाई गई त्रुटियों की मात्रा को राशियों में प्रदर्शित होने वाले अंतर की राशि के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश के सुरक्षा कोड के मूल विवरण अगले लेखापरीक्षा की शुरुआत में ही लेखापरीक्षा के साथ साझा किए जाएंगे।																										

समाशोधन के अंतर्गत राशि	12,41,49,174.43	12,41,49,174.43
अनुसूची संख्या 27 कर्मनि स्टाफ पेंशन सह ग्रैच्युटी (लेखा सं.09)		
समाशोधन के अंतर्गत राशि	21,23,74,100.39	2,12,74,100.39

वर्ष के दौरान विभाग ने निवेश में अंतर का समाशोधन किया। समाशोधन का उद्देश्य उपर्युक्त अनुसूचियों में दिखने वाले इन अंतरों के विवरण का पता लगाना था। हालाँकि, समाशोधन पद्धति से इन अंतरों और इसके कारणों के विवरण का पता लगाना संभव नहीं हो पाया। इसके स्थान पर, निवेश सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार किए गए और अनुसूचियों में दिखने वाले अंतरों के विवरण और कारणों का पता लगाए बिना उन्हें खारिज कर दिया गया।

विभाग ने उत्तर दिया है कि परिशोधन की गणना के लिए पिछले वर्षों के दौरान गलत डाटा के उपयोग के कारण पिछले वर्षों में दर्शाई गई "समायोजन के अंतर्गत राशि" सामने आई। त्रुटिपूर्ण डाटा में ऐसी प्रतिभूतियों का डाटा शामिल था जो पिछले वर्षों में पहले ही परिपक्व हो चुकी थीं, प्रतिभूतियों के संबंध में परिपक्वता की तारीख में त्रुटियाँ जहां कॉल/पुट विकल्प का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण पिछले वर्षों के दौरान परिशोधन की लागत की गलत गणना हुई।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने समाशोधन के दौरान पाई गई त्रुटियों की राशि का लेखों में दिखाई देने वाली अंतर की राशि के साथ मिलान करने का कोई प्रयास नहीं किया। अंतर राशि को बिना किसी समाशोधन के खारिज कर दिया गया।

इस वजह से समाशोधन के दौरान खारिज किए गए राशि के अंतरों की सटीकता और पारदर्शिता के बारे में लेखा परीक्षा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

ii) ऊपर वर्णित खारिज किए गए अंतरों के अलावा, निवेश की अनुसूचियों में परिशोधन की लागत/ समाशोधन की राशि शीर्ष के अंतर्गत कुछ अन्य राशियों को भी खारिज कर दिया गया।

विभाग ने वार्षिक लेखों में, निवेश की अनुसूचियों में खारिज की गई परिशोधन की लागत/ समाशोधन की राशि का निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करवाया है:

अनुसूची संख्या 18				
कर्मचारी भविष्य निधि -निवेश				
क्र. सं.	निवेश की प्रकृति	वर्ष के दौरान परिशोधन की लागत	समाशोधन के बाद समायोजित किया जाने वाला अंतर	अनुसूची में दर्शाई गई परिशोधन की लागत
	कुल	47,60,56,880.16	31,36,62,56,557.38	31,84,23,13,437.54
अनुसूची संख्या 20 कर्मचारी पेंशन निधि -निवेश				
	कुल	42,95,57,186.67	3,73,10,801.83	46,68,67,988.50
अनुसूची संख्या 22 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-निवेश				
	कुल	1,09,06,244.42	7,997.74	1,09,14,242.16
अनुसूची संख्या 26 कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ भविष्य निधि -निवेश				
	कुल	(8,39,682.84)	(0.00)	(8,39,682.84)
अनुसूची संख्या 27 कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ पेंशन सह ग्रेजुटी निधि -निवेश				
	कुल	1,43,31,324.48	3,30,00,000.00	4,73,31,324.48
	कुल योग	93,00,11,952.89	31,43,65,75,356.95	32,36,65,87,309.84

निवेश की अनुसूचियों में परिशोधन की लागत/ समाशोधन की राशि के रूप में खारिज किए गए कुल ₹32,36,65,87,309.84/- में से, विभाग ने केवल वर्ष के दौरान ₹93,00,11,952.89/- की परिशोधन की लागत की गणना का विस्तृत

ii) लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाए गए अंतर लंबे समय (10 से 15 वर्ष) में इकठ्ठे हुए थे। लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट किया जाता है और मानक लेखा नीति का पालन करते हुए मिलान के दौरान पाई गई त्रुटियों की मात्रा को राशियों में प्रदर्शित होने वाले अंतर की राशि के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली लेखा परीक्षा की शुरुआत में ही निवेश के सुरक्षा कोड के मूल विवरण को लेखा परीक्षा के साथ साझा किया जाए।

विवरण उपलब्ध कराया है। विभाग ने 'समाशोधन के बाद समायोजित किए जाने वाले अंतर' शीर्ष के अंतर्गत ₹31,43,65,75,356.95/- के लिए कोई विवरण और कारण उपलब्ध नहीं करवाए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए समाशोधन की वर्कशीट में यह राशियाँ दिखाई नहीं दे रही। अतः लेखापरीक्षा निवेशों में ₹31,43,65,75,356.95/- खारिज किए जाने के विवरण और कारणों का सत्यापन नहीं कर सकती।	विभाग ने उत्तर दिया कि उसने निवेश सॉफ्टवेयर के डाटा में त्रुटियों को ठीक कर दिया है और 31.03.2020 को परिशोधन लागत के सही मूल्य के अंतः शेष को सुधारने के लिए समाशोधन के बाद, वर्ष 2019-20 के दौरान 'परिशोधन की लागत' में समायोजन किया था।	यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने परिशोधन मूल्यों में अंतर के विवरण और कारणों को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। विभाग ने 'समाशोधन के बाद समायोजित किए जाने वाले अंतर' शीर्ष के अंतर्गत खारिज किए गए ₹31,43,65,75,356.95/- के संबंध में कोई विवरण और कारण प्रदान नहीं किया। यह राशियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये समाशोधन की वर्कशीट में प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। अतः लेखापरीक्षा, निवेशों में ₹31,43,65,75,356.95/- खारिज किए जाने के विवरण और कारणों का सत्यापन नहीं कर सकती।	iii) लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली लेखा परीक्षा की शुरुआत में ही निदेश के सुरक्षा कोड के मूल विवरण को लेखा परीक्षा के साथ साझा किया जाए।
--	--	---	---

परिस्थितियों में निवेश से संबंधित संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया को कमजोर कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में लेखापरीक्षा, कभनिस के लेखों में प्रदर्शित होने वाले निवेश की पारदर्शिता और मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

विभाग ने उत्तर दिया कि प्रारंभ में, 31.03.2020 तक, अलग-अलग निधि प्रबंधकों (अक्टूबर 2019 तक 4) द्वारा खरीद पीआर प्रविष्टि को सौंपे गए सुरक्षा कोड द्वारा प्रतिभूति की पहचान की गई और इसे एससीबी होल्डिंग स्टेटमेंट के साथ-साथ कभनिस द्वारा आंतरिक रूप से बनाई गई कभनि होल्डिंग स्टेटमेंट में भी दर्शाया गया था। पोर्टफोलियो प्रबंधन को पूर्व के 4 निधि प्रबंधकों से 2 नए निधि प्रबंधकों में बदले जाने के बाद, एससीबी में होल्डिंग को पूर्व के 4 निधि प्रबंधकों से वर्तमान 2 नए निधि प्रबंधकों के अंतर्गत फंड मिला दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान, सुरक्षा कोड को भी अंतिम आवंटित सुरक्षा कोड में मिला दिया गया। यह कार्य नवंबर 2019 में एससीबी के डाटाबेस में पूरा किया गया।

विभाग ने यह भी कहा कि संपूर्ण होल्डिंग डाटा वास्तव में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था। बाद में उपलब्ध कराई गई अलग आईएसआईएन शीट, को पहले से आवंटित कई सिक्कोरिटी कोड वाली सभी प्रतिभूतियों की आसान पहचान सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जिसे एससीबी के डाटाबेस में नवीनतम सुरक्षा कोड के अंतर्गत विलय करना पड़ा था। आईएसआईएन शीट तैयार करने कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सुरक्षा कोड की उचित पहचान के लिए डाटाबेस में उपलब्ध अलग निधि प्रबंधक-वार सुरक्षा कोड वाली सभी प्रतिभूतियों को आईएसआईएन के साथ अपडेट किया जा सके।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निवेश के सुरक्षा कोड के ऐसे बुनियादी विवरण को लेखापरीक्षा के प्रारंभ में ही लेखापरीक्षा के साथ साझा किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ऐसी सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा पारदर्शिता तथा कभनिस के खातों में निवेश की सही एवं निष्पक्ष स्थिति के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

iv) नमूना जांच से पता चला है कि कुछ मामलों में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) होल्टिंग प्रमाणपत्र में दिखने वाला सुरक्षा कोड आईएसआईएन शीट और समाशोधन शीट में नहीं दिख रहा था जैसा कि नीचे दिया गया है:

एससीबी संख्या 5 और 11 के अनुसार सुरक्षा कोड	आईएसआईएन शीट के अनुसार सुरक्षा कोड	समाशोधन शीट लेखा संख्या 5 और 11 के अनुसार सुरक्षा कोड	राशि
724532	-	-	5,49,95,69,349.16

विभाग ने उत्तर दिया कि सुरक्षा कोड 724532, 31.03.2020 को उपलब्ध टीआरईपीएस को दिया गया एक अस्थायी कोड था जिसे एससीबी द्वारा परिपक्वता तिथि 03.04.2020 दी गई थी। टीआरईपीएस को कोई आईएसआईएन आवंटित नहीं किया गया और इसलिए इस सुरक्षा कोड के लिए कोई आईएसआईएन मैपिंग नहीं थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने निवेश सॉफ्टवेयर में कोड 724532 से संबंधित सुरक्षा का विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया था।

इसे देखते हुए, लेखा परीक्षा लेखों में प्रदर्शित निवेश की राशि की शुद्धता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

v) निम्नलिखित नमूना जांच किए गए मामलों में समाशोधन शीट में प्रदर्शित सुरक्षा कोड आईएसआईएन शीट में नहीं दिखाई दे रहे थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

समाशोधन शीट के अनुसार सुरक्षा कोड लेखा संख्या 5 अनुलग्नक-एच	आईएसआईएन शीट के अनुसार संगत सुरक्षा कोड
775134	-

iv) लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिसके लिए आईएसआईएन उपलब्ध नहीं है, ऐसे टीआरईपीएस को अलग कोड देने का प्रावधान किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन टीआरईपीएस के आईएसआईएन नहीं हैं, उनका विशिष्ट विवरण भविष्य में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।

v) लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट किया जाता है। चूंकि टीआरईपीएस और एफडी में आईएसआईएन नहीं है, इसलिए भविष्य में उचित ट्रेकिंग और परीक्षित सुरक्षा के समाशोधन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों एवं टीआरईपीएस और एफडीआर जैसे निवेशों को सुरक्षा कोड के आबंटन की पद्धति का विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा को प्रदान करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी परिस्थितियों में, लेखापरीक्षा कम्पनिस के लेखों में दर्शाए गए निवेश की पारदर्शिता और मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

विभाग ने उत्तर दिया कि कोड 775134 ऐसी सुरक्षा के लिए है जिसे एक फंड मैनेजर द्वारा खरीदा गया था और उसी कोड के साथ मई 2019 में परिपक्व हुआ था। चूंकि सितंबर 2019 में सभी प्रतिभूतियों के लिए डाटा बेस को आईएसआईएन के साथ अपडेट किया गया था, इस सुरक्षा कोड के संबंध में यह मौजूद नहीं था। यह सूचित किया जाता है कि टीआईआईपीएस और एफडी को कोई आईएसआईएन आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए टीआईआईपीएस और सावधि जमा को छोड़कर, अन्य सभी सुरक्षा कोड आईएसआईएन के साथ अपडेट किए जाते हैं और आईएसआईएन शीट तैयार होने तक सितंबर 2019 तक खरीदी गई प्रतिभूतियों के संबंध में आईएसआईएन शीट में दिखाई दे रहे हैं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी प्रकार की प्रतिभूतियों को लगातार एक सुरक्षा कोड आवंटित किए जाने के अभाव में, लेखापरीक्षा नमूना जांच सुरक्षा से संबंधित लेनदेन को ट्रैक नहीं कर सका। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, लेखा परीक्षा प्रतिभूतियों की कोडिंग प्रणाली की सटीकता, पारदर्शिता और खातों में प्रदर्शित प्रतिभूतियों की राशि की सटीकता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

vi) इसके अतिरिक्त, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) होल्डिंग सर्टिफिकेट में कुल 6143 सुरक्षा कोड हैं, जिनमें से केवल 5898 सुरक्षा कोड आईएसआईएन शीट में दिखाए गए नवीनतम सुरक्षा कोड से मेल खाते हैं। इस प्रकार, एससीबी होल्डिंग सर्टिफिकेट में प्रदर्शित 242 कोड (अनुलग्नक I) आईएसआईएन शीट में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लेखापरीक्षा कम्पनिस के खातों में प्रदर्शित होने वाले निवेश की पारदर्शिता और मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

विभाग ने उत्तर दिया कि 242 कोड (अनुलग्नक-I में) जो आईएसआईएन शीट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनका सत्यापन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह देखा

vi) टिप्पणी को नोट किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में सुरक्षा की कोडिंग लेखा परीक्षा द्वारा सुसंगत, विश्वसनीय, पारदर्शी और आसानी से सत्यापन योग्य हो।

गया है कि पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत 107 प्रतिभूतियों के संबंध में, निधि प्रबंधक ने आईएसआईएन को अद्यतन नहीं किया था। इस मामले को मई, 2021 में एससीबी और निधि प्रबंधकों के साथ उठाया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी सुरक्षा कोड आईएसआईएन के साथ अद्यतन किए गए हैं और इसे सितंबर 2021 तक अद्यतित किया गया था। विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक को स्वीकार किया है और मामले को एससीबी के समक्ष उठाया है। तथापि, ऐसी परिस्थितियों में चूंकि प्रतिभूतियों की कोडिंग सुसंगत, विश्वसनीय और पारदर्शी नहीं है, लेखापरीक्षा विभाग के खातों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिभूतियों की राशि की सटीकता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।	ए.1.4 आय और व्यय लेख में परिशोधन की लागत - वर्ष के दौरान परिशोधन की लागत की मात्रा में निम्नलिखित अंतर देखा गया, जो निवेश की अनुसूची और आय और व्यय खाते की अनुसूची में दिखाया गया है।																																
(राशि रुपये में)																																	
<table><tr><th>लेखा संख्या</th><th>निवेश की अनुसूचियों में वर्ष के दौरान परिशोधन की लागत</th><th>आय और व्यय लेख की अनुसूचियों में समायोजित परिशोधन की लागत</th><th>अंतर</th></tr><tr><td></td><td>ख</td><td>क</td><td>(क-ख)</td></tr><tr><td>05</td><td>5,09,43,66,077</td><td>4,26,81,57,313</td><td>82,62,08,764</td></tr><tr><td>11</td><td>4,58,73,25,268</td><td>-23,44,04,802</td><td>4,82,17,30,070</td></tr><tr><td>25</td><td>88,45,58,435</td><td>-77,10,75,245</td><td>1,65,56,33,680</td></tr><tr><td>08</td><td>11,86,45,449</td><td>0</td><td>11,86,45,449</td></tr><tr><td>09</td><td>25,97,05,424</td><td>0</td><td>25,97,05,424</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">कुल योग</td><td>7681923387</td></tr></table>	लेखा संख्या	निवेश की अनुसूचियों में वर्ष के दौरान परिशोधन की लागत	आय और व्यय लेख की अनुसूचियों में समायोजित परिशोधन की लागत	अंतर		ख	क	(क-ख)	05	5,09,43,66,077	4,26,81,57,313	82,62,08,764	11	4,58,73,25,268	-23,44,04,802	4,82,17,30,070	25	88,45,58,435	-77,10,75,245	1,65,56,33,680	08	11,86,45,449	0	11,86,45,449	09	25,97,05,424	0	25,97,05,424		कुल योग		7681923387	ए.1.4 आय और व्यय खाते में परिशोधन की लागत - वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की अनुसूची और आय और व्यय खाते की अनुसूची में दिखाई गई परिशोधन की लागत समाशोधन की कार्यवाई के बाद की गई समायोजन प्रविष्टियां हैं। अब जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सलाह दी गई है, लेखों में दिखाई देने वाले समान राशि के अंतर को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा और परिशोधन की कम बताई गई लागत को तदनुसार सुधारा जाएगा।
लेखा संख्या	निवेश की अनुसूचियों में वर्ष के दौरान परिशोधन की लागत	आय और व्यय लेख की अनुसूचियों में समायोजित परिशोधन की लागत	अंतर																														
	ख	क	(क-ख)																														
05	5,09,43,66,077	4,26,81,57,313	82,62,08,764																														
11	4,58,73,25,268	-23,44,04,802	4,82,17,30,070																														
25	88,45,58,435	-77,10,75,245	1,65,56,33,680																														
08	11,86,45,449	0	11,86,45,449																														
09	25,97,05,424	0	25,97,05,424																														
	कुल योग		7681923387																														

विभाग ने ड्रटियों को स्वीकार किया है और कहा है कि 2020-21 के लेखों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा। इसलिए, वर्तमान में परिशोधन की लागत आय और व्यय लेख में ₹.7,68,19,23,387/- कम बताई गई है।	
ए.1.5 निवेश (अनुसूची 25, 29) विशेष जमा लेख में निवेश की राशि में अंतर था जैसा कि लेखों में दिखाया गया है और जैसा कि वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा नीचे विवरण में पुष्टि की गई है:	ए.1.5 निवेश (अनुसूची 25, 29) ए) 25 - कभनि प्रशासन निधि विशेष जमा लेख के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार रुपये 2,51,39,82,04,553.13 को ब्याज के रूप में दिखाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)। ख) 29-ईडीएलआई प्रशासन निधि विशेष जमा खाता (प्रति संलग्न) के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार रु. 32,71,09,54,913.80 को ब्याज के रूप में दिखाया गया है। अतः बैंकिंग अनुभाग के अनुसार रिकॉर्ड में कोई विसंगति नहीं है। उक्त बिन्दुओं के संबंध में प्राप्त दस्तावेज लेखापरीक्षा दल को उनके इस कार्यालय के अगले दौर के दौरान उपलब्ध कराये जायेंगे।

(राशि रुपये में)				
अनुसूची संख्या	लेखों में दिखाई गई राशि	वेतन कार्यालय द्वारा सूचित राशि	लेखा और लेखा संचित	अंतर
25 -कमनि प्रशासन विशेष जमा लेखा	2,51,32,19,67,395.25	2,51,39,82,04,553.13		-7,62,37,157.88
29 -ईडीएलआई प्रशासन निधि विशेष जमा लेखा	32,73,42,61,738.28	32,71,09,54,913.80		2,33,06,824.48

विभाग ने उत्तर दिया है कि शेष राशि में अंतर के समाशोधन के लिए मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है।

ए.1.6 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-24) i) अचल परिसंपत्तियों के आदि शेष में अंतर पहले से ही पूरी तरह से मूल्यहास हो चुकी परिसंपत्तियों को शामिल करने और परिसंपत्तियों के गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सकल संपत्ति के आदि शेष और पिछले वर्ष के अंतः शेष में अंतर है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि तुलन पत्र के "स्थायी परिसंपत्ति शीर्ष" में दिखाई गयी परिसंपत्तियों के मूल्यहास मूल्य के आदि शेष और अंतः शेष में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि तुलन पत्र में परिसंपत्तियों का कोई कम या अधिक मूल्यांकन नहीं है। तथापि, टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और तदनुसार उचित ध्यान दिया जाएगा।									
ए.1.6 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-24) i) अचल परिसंपत्तियों के आदि शेष में अंतर पिछले वर्ष के लेखों के अंतः शेष से अचल परिसंपत्तियों के आदि शेष के सत्यापन के दौरान, निम्नलिखित अंतर देखे गए थे :									
क्र. सं.	अचल संपत्ति	कुल संपत्तियाँ		अंतर	मूल्यहास		अंतर	अंतर	
		2018-19 का अंतः शेष (वर्ष के अंत में लागत/मूल्योक्त 31.03.19)	2019-20 का आदि शेष (लागत/मूल्योक्त वर्ष की शुरुआत में 01.04.20)		2018-19 का अंतः शेष (वर्ष 31.03.2019 के अंत में संचित मूल्यहास)	2019-20 का आदि शेष (2019-20 की शुरुआत में संचित मूल्यहास)		2018-19 का अंतर	2019-20 का अंतर
1	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	62,72,39,532	66,00,89,540	-3,28,50,008	0	0			
2	लीज होल्ड भूमि	26,13,70,818	22,85,20,810	3,28,50,008	0	0			
3	भवन-कार्यालय	2,26,59,40,041	2,27,71,25,924	-1,11,85,883	36,32,37,649	36,35,61,508	-3,23,859		
4	लीज होल्ड भवन कार्यालय	8,19,05,700	80,07,19,817	-71,88,14,117	21,00,18,301	20,96,94,442	3,23,859		
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	19,35,09,327	19,33,14,462	1,94,865	4,08,03,289	4,06,08,423	1,94,866		
6	कार्यालय उपकरण	6,98,55,863	6,98,09,042	46,821	2,29,73,418	2,29,26,597	46,821		
7	कंप्यूटर / सहायक उपकरण	72,53,05,176	72,45,31,620	7,73,556	41,36,85,467	41,27,83,712	9,01,755		
8	विद्युत	4,20,14,466	4,20,14,461	5	72,22,623	72,07,605	15,019		

स्थापना						
9 कंप्यूटर	1,30,05,598	1,28,50,075	1,55,523	11,20,428	11,08,118	12,310
सॉफ्टवेयर						

अंतर को समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।

ii) फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास

अचल परिसंपत्तियों और उस पर मूल्यह्रास के विवरण से संबंधित वार्षिक लेखों की अनुसूची 24 में फ्रीहोल्ड भूमि और उस पर मूल्यह्रास का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रुपये में)

विवरण	मूल्यह्रास			
	वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान घटाई गई अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास (बी)
भूमि				
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,83,752.00	2,25,658.00	-	4,09,410.00

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी अधिनियम या आयकर अधिनियम में फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास चार्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास लगाना अनियमित था।

विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया है और कहा है कि फ्रीहोल्ड भूमि पर गलत तरीके से लगाया गया मूल्यह्रास चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लौटाकर समायोजित किया जाएगा। लेखापरीक्षा भविष्य की लेखापरीक्षा के दौरान अनुपालन का सत्यापन कर सकती है।

ii) फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास

इसके लिए संबंधित कार्यालयों को पत्र जारी कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में इसे सही कर लिया जाएगा। इसके अनुसार पालन किया जाएगा।

ए.1.7 समाशोधन/निपटान हेतु बकाया राशि तुलन पत्र में समाशोधन /निपटान हेतु लंबित कई शेष दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पारगमन में राशि, एक लेख से हस्तांतरित राशि लेकिन दूसरे में राशि जमा नहीं की गई है और इसके विपरीत, लेखों में गलत डेबिट और क्रेडिट, पारगमन में प्रेषण आदि। इनमें से कुछ शेष राशि 1976-77 की अवधि से संबंधित हैं। कुल ₹. 832.03 करोड़ के इन शेषों का विवरण संलग्न अनुलग्नक-II में दिया गया है। विभाग ने उत्तर दिया कि टिप्पणियों को समाधान एवं सुधार के लिए नोट किया गया। लेखापरीक्षा अगले वर्ष के दौरान अनुपालन का सत्यापन कर सकती है।	ए 1.7.समाशोधन निपटान/ के लिए बकाया राशि बड़ी मात्रा में लेन-देन (प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़) के कारण बैंक खातों में कुछ गलत डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां होती हैं, जो पिछले वर्ष की अनुसूची प्रविष्टियों में देखी जा सकती हैं पुराने रिकॉर्ड की अनुपलब्धता और विभिन्न अन्य कारणों से अब भी समाशोधित नहीं की गई हैं।
बी .आय और व्यय लेखा बी.1 क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, चेन्नई के वार्षिक लेखों की जांच से पता चला कि लेखा संख्या 2 और 21 के अंतर्गत दिसंबर, 2019 तक ₹58.19 लाख की राशि का चेक 30 मार्च 2020 के अंत तक भुनाया नहीं गया था। चूंकि चेक की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसे लेखों में वापस लिखे जाने की जरूरत है और उसी के लिए उपयुक्त देयता बनाने की जरूरत है। चूंकि अन्य क्षेत्र/आंका में भी इसी तरह के समय-अवरुद्ध चेक थे, ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक उपयुक्त निर्देश दिया जाना चाहिए। लेखा संख्या 1 के संबंध में ₹.12.94 करोड़ रूपए का चेक नहीं भुनाया गया था और लेखा संख्या 10 के लिए 31.03.2020 को यह ₹.2.96 करोड़ था। खाता संख्या 1 और 10 के संबंध में नहीं भुनाए गए चेकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।	बी. आय और व्यय लेखा लेखापरीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट किया गया है। न भुनाए गए चेक का भुगतान न करने का प्रमाण पत्र बैंक से मांगा गया है, एक बार यह प्राप्त हो जाने के पश्चात, राशि को संबंधित खाते के शेष में वापस लिखा जाएगा।

सी. कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 32 के अनुसार, केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन उसके द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कराना आवश्यक है। यद्यपि 2015-16 और 2016-17 के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम और प्रभाव को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, लेकिन बीमांकिक कमी के ₹15,531.91 करोड़ के प्रभाव को लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया है। अतः बीमांकिक कमी के दायित्व के लिए अपेक्षित प्रावधान के अभाव में कर्मचारी पेंशन योजना (अनुसूची 7) की वर्तमान देनदारियों को ₹15,531.91 करोड़ कम बताया गया है। लेखा IV पर टिप्पणियों के अनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।	सी. कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 32 के अनुसार, केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन उसके द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कराना आवश्यक है। यद्यपि 2015-16 और 2016-17 के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम और प्रभाव को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, लेकिन बीमांकिक कमी के ₹15,531.91 करोड़ के प्रभाव को लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया है। अतः बीमांकिक कमी के दायित्व के लिए अपेक्षित प्रावधान के अभाव में कर्मचारी पेंशन योजना (अनुसूची 7) की वर्तमान देनदारियों को ₹15,531.91 करोड़ कम बताया गया है। लेखा IV पर टिप्पणियों के अनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।
लेखा बहियों में 2015 और 2016 के मूल्यांकन के प्रभाव के लेखांकन के अभाव में और कर्पेयों के समवर्ती मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा कर्पेयों की देनदारियों की शुद्धता को सत्यापित करने में असमर्थ है। विभाग ने उत्तर दिया कि योजना में बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर काल्पनिक लाभ या हानि की बुकिंग के लिए प्रावधान नहीं है और कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम और प्रभाव को तुलन पत्र की "लेखा टिप्पणियों" में प्रकट किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखांकन सिद्धांत में प्रावधान है कि सभी संभावित कमियों के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। बीमांकिक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी भी कमी को वैज्ञानिक रूप से मापना है। जब तक कमी के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, बीमांकिक मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।	लेखा बहियों में 2015 और 2016 के मूल्यांकन के प्रभाव के लेखांकन के अभाव में और कर्पेयों के समवर्ती मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा कर्पेयों की देनदारियों की शुद्धता को सत्यापित करने में असमर्थ है। विभाग ने उत्तर दिया कि योजना में बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर काल्पनिक लाभ या हानि की बुकिंग के लिए प्रावधान नहीं है और कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम और प्रभाव को तुलन पत्र की "लेखा टिप्पणियों" में प्रकट किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखांकन सिद्धांत में प्रावधान है कि सभी संभावित कमियों के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। बीमांकिक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी भी कमी को वैज्ञानिक रूप से मापना है। जब तक कमी के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, बीमांकिक मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 44) डी.1.1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 9.2 में कहा गया है कि अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा। यह लेखा नीति एस-15 के पैराग्राफ 127 का उल्लंघन करती है जिसमें यह प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए।	डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 44) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण का प्रावधान करने के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और स्वीकृत होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। उपर्युक्त एक नीतिगत मुद्दा है और भविष्य में सुधार के लिए तदनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।
ई. सहायता अनुदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मुख्य रूप से अंशदान से प्राप्तियों और प्रशासनिक शुल्कों की वसूली से वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान संगठन को भारत सरकार की ओर से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, केंद्र सरकार से कर्पेंसो, 1995 और पीएमआरपीवाई योजनाओं के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रूपए प्रति माह के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। पीएमआरपीवाई योजना के तहत वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। शीर्षवार प्राप्त अनुदान इस प्रकार है:	ई. सहायता अनुदान तथ्यात्मक होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं

(राशि करोड़ में)									
योजना का नाम	आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान प्राप्त न	वर्ष के दौरान मंत्रालय को वापस किया गया	वर्ष के दौरान अन्य प्राप्ति या	कुल	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत: शेष	
कर्पेंसो	-8,810.82	5,096.67							
पीएम	81.24	3,400.00	5.14	13.69	262.26	3,734.96	3,699.58	35.38	

आरपी वाई योजना									
पीएमपी आरपी वाई योजना	20.07	0.00	0.77	0.00	0.00	20.84	0.00	20.84	
एनए-यूसी कभनिस द्वारा प्रदान नहीं किया गया									

एफ. प्रबंधन पत्र ऐसी कमियाँ जिन्हें (महत्ता के आधार पर) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है को सुधारक / निवारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया गया है। v. पिछले पैरा में दी गई टिप्पणियों को देखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे लेखा पुस्तिका के अनुसार सही हैं।	एफ. प्रबंधन पत्र सीएजी द्वारा प्रकाश में लाई गई कमियों का संज्ञान लिया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई अलग से की जा रही है।
vi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अधीन और टिप्पणी संख्या ए.1.1, ए.1.2, ए.1.3 और ए.1.5 में चर्चा किए गए मामलों के महत्व के कारण हम वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं। क) जहां तक तुलनपत्र का संबंध है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2020 तक के क्रियाकलापों को दर्शाता है। ख) जहां तक आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है।	

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15-11-2021

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक)-टिप्पणियाँ	संगठन की टिप्पणियाँ
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता i) कभनिस के ऑडिट विंग द्वारा 2019-20 के दौरान कभनिस मुख्यालय सहित 130 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा योजना बनाई और संचालित की गई थी। ii) बकाया आपति पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी नहीं थी क्योंकि 31.03.2020 तक 19722 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।	1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता • तथ्यात्मक होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं । लंबित लेखापरीक्षा पैरा को समाप्त करने और आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा उठाई गई आपतियों के अनुपालन के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता। i) डिफिसिएंट इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर और उसका संचालन वर्ष के दौरान विभाग ने पिछले वर्षों में देखी गई त्रुटियों के लिए निवेश सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार किए हैं। रिकॉर्ड में निर्दिष्ट इन त्रुटियों का विवरण इस प्रकार है 'निवेश सॉफ्टवेयर में गलत रिपोर्टिंग, सीसीआईएल मॉडल को सॉफ्टवेयर में कैप्चर नहीं किया गया, गलत तरीके से दर्शाया गया और टीआई के रूप में जोड़ा गया, परिपक्वता तिथि पर सॉफ्टवेयर में एमओ + सीआर दोनों की राशि के लिए प्रविष्टि पास की गई, सॉफ्टवेयर में गलत राशि के साथ एमओ प्रविष्टि पास की गई, एमओ रिपोर्ट राशि गलत रूप से रु. 49,67,55,000 की सही राशि के बजाय रु.1 के रूप में दर्शाई गई है, सॉफ्टवेयर में एमओ के लिए दोहरी प्रविष्टि पास की गई, एफवी और सीपी के लिए दो प्रविष्टियां पास की गई, सॉफ्टवेयर में एक प्रतिभूति के लिए दो प्रविष्टियां पास की गई और एक डुप्लिकेट है, आदि । यह दर्शाता है कि निवेश सॉफ्टवेयर फुलपूफ नहीं है और इसमें अनिवार्य जांच और सत्यापन का अभाव है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के संचालन में मानवीय त्रुटियों को रोकने के लिए प्रणाली भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। ऐसी परिस्थितियों में लेखापरीक्षा दल आश्वस्त नहीं हो पाया है कि निवेशों के लेखाकरण के लिए	2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता। i) डिफिसिएंट इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर और उसका संचालन टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और सॉफ्टवेयर के संचालन में मानवीय त्रुटियों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में अनिवार्य जांच और सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और इस तरह की अनिवार्य जांच और सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए संशोधन के बारे में अगली लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल को सूचित किया जाएगा। (एक पूर्व आंतरिक लेखापरीक्षा और सीएसी प्रभाग है जिसकी निगरानी वास्तव में उच्चतम स्तर पर भी की जाती है)।

सॉफ्टवेयर प्रणाली विश्वसनीय, फुलप्रूफ, वैज्ञानिक और प्रामाणिक है। विभाग ने उत्तर दिया कि सॉफ्टवेयर में इसी तरह की त्रुटियों को रोकने के लिए आवश्यक जांच और सत्यापन शुरू किया गया है और समाशोधन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्नयन से संबंधित कोई विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया गया है। अगली लेखा परीक्षा के दौरान इस मुद्दे को और सत्यापित किया जा सकता है।

ii) निवेशों के नियमित समाशोधन के लिए प्रणाली स्थापित नहीं की गई

निवेशों में समाशोधित न किए गए भारी शेष के संबंध में बार-बार लेखापरीक्षा टिप्पणियों को देखते हुए, कभनिस ने 2019-20 के दौरान इन शेष राशियों का समाशोधन किया है। बार-बार समाशोधित न किए गए शेष के बावजूद, विभाग ने अभी तक निवेश के समाशोधन की एक रूटीन और नियमित प्रणाली स्थापित नहीं की है। चूंकि भविष्य में भी इसी तरह के समाशोधित शेष की पुनरावृत्ति की संभावना है, इसलिए निवेश के विभिन्न खंडों के तहत शेष राशि के नियमित समाशोधन के लिए, गवर्निंग कांऊंसिल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक उचित लेखा नीति की आवश्यकता है।

iii) कभनिस ने बुनियादी लेखा सिद्धांतों का पालन नहीं किया और एकल प्रविष्टि प्रणाली पर एमएस एक्सेल प्रोग्राम के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक लेखों में ऋणात्मक प्रविष्टियां हुईं।

iv) क.भ.नि.सं. मुख्यालय के साथ-साथ उनकी क्षेत्रीय इकाइयों में ट्रायल बैलेंस और शीर्षवार लेखा बही तैयार नहीं की जा रही थी।

ii) निवेशों के नियमित समाशोधन के लिए प्रणाली स्थापित नहीं की गई

असमायोजित शेष राशि का मामला लंबे समय से लंबित है और कभनिस ने वित्त वर्ष 2019-20 में इन शेष राशि के समाशोधन के लिए कार्रवाई की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया है कि किए गए समाशोधन की प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है। तदनुसार, एक बार फिर विस्तृत समाशोधन करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इसमें कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। भविष्य में होने वाली इसी तरह की असंगत शेष राशि की पुनरावृत्ति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उचित लेखा नीति पहले से ही मौजूद है और वर्तमान अवधि के लिए शेष राशि का नियमित मिलान किया जाता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पिछले समाशोधन न किए गए शेषों का समाशोधन भी किया जाएगा।

iii) कभनिस लेखांकन के सभी बुनियादी सिद्धांतों और सीएजी द्वारा स्वीकृत और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पालन करता है।

iv) कभनिस लेखांकन सॉफ्टवेयर के विकास की प्रक्रिया में है। कार्य योजना के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2023-24 में इसके लागू होने की संभावना है। इसकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और लेजर और ट्रायल बैलेंस आदि के संबंध में लेखा इकाइयों से संबंधित सभी मुद्दों का ठीक से रखरखाव किया जाएगा।

V) विविध नामे (अनुसूची 19) में 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अधिक भुगतान और अनियमित भुगतान का संचयी संतुलन क्रमशः ₹3.09 करोड़ और ₹7.69 करोड़ शामिल है। अनियमित भुगतान की राशि में एक वर्ष की अवधि में ₹0.32 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो प्रणाली की एक गंभीर चूक और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है।	v) अधिक भुगतान और अनियमित भुगतान की निगरानी आंचलिक कार्यालय स्तर पर एक अधिक भुगतान समिति और मुख्य कार्यालय के एक संबंधित अनुभाग द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त कई अन्य उपाय जैसे समवर्ती लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा/अंचल एवं क्षेत्र स्तर पर आंचलिक और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आदि सभी संदिग्ध भुगतानों की देखरेख करते हैं, और जैसा कि बताया गया है, ऐसे मामलों को कम करने के लिए परिणाम उन्मुख निगरानी/समीक्षा के साथ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित रूप से वसूली की जाती है और ऐसे मामलों में नियमित रूप से आवश्यक कानूनी और अनुपालन उपाय किए जाते हैं।
3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	कभनिसं मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय-तांवरम, क्षेत्रीय कार्यालय-मुंबई-1 के फर्नीचर और फिक्चर, कंप्यूटर सहायक उपकरण और वाहनों का भौतिक सत्यापन 2019-20 के दौरान आयोजित नहीं किया गया।
4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	कभनिसं क्षेत्रीय कार्यालय-तांवरम, आंचलिक कार्यालय-मुंबई-1 के संबंध में उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान आयोजित नहीं किया गया था।
5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता	खातों के अनुसार, 31.03.2019 को सांविधिक देय राशि के संबंध में छः महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

प्रबंधन पत्र परिशिष्ट

1 क.भ.नि. अंशदान निधि चलन खाता (अनुसूची 1)	1 क.भ.नि. अंशदान निधि चलन खाता (अनुसूची 1)
1.1 वर्ष के दौरान, निष्क्रिय खातों (अनुसूची-2) से माइनस अंक के रूप में घटाकर सक्रिय खातों (अनुसूची-1) में ₹(-) 5,29,19,79,90,114.45 का ऋणात्मक आंकड़ा जोड़ा गया है। इसी प्रकार, सक्रिय खातों (अनुसूची-1) से ₹(-)4,76,07,04,32,909.77 का ऋणात्मक आंकड़ा घटाया गया है और निष्क्रिय खातों (अनुसूची 2) में ऋणात्मक आंकड़े के रूप में जोड़ा गया है। विभाग ने उत्तर दिया है कि निष्क्रिय खातों की संशोधित परिभाषा के कारण, निष्क्रिय खातों की राशि के अंतर को लेखा वर्ष 2018-19 के दौरान सक्रिय खातों (तुलन पत्र की अनुसूची-1) में मुख्यालय स्तर पर अंतरित कर दिया गया है और इसे क्षेत्र.का./ आं.का. के खातों में संशोधित नहीं किया गया था। चूंकि इसे 2018-19 के दौरान समेकित वार्षिक खातों में पहले से ही समायोजित किया गया था, क.भ.नि.सं. ने कहा कि उन्हें पिछले वर्ष के दौरान किए गए समायोजन को पुनः बदलना पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि माइनस आंकड़ों के रूप में खातों में समायोजन उचित नहीं है क्योंकि ऐसे समायोजन प्रणाली को अस्पष्ट और कम पारदर्शी बनाते हैं। विभाग ने भविष्य के अनुपालन के लिए टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

2. निवेश अस्थिरता लेखा (अनुसूची 4) – ₹. 270.08 करोड़ 2.1 निवेश अस्थिरता लेखा के तहत ₹ 270.08 करोड़ की उपरोक्त राशि 2006-07 से संचालित नहीं की गई थी। इस गैर-परिचालन खाते को जारी रखने और इसके परिणामस्वरूप खातों में आवश्यक लेखांकन समायोजन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। पिछले साल की रिपोर्ट में भी इस ओर इंगित किया गया था लेकिन क.भ.नि.सं. ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने उत्तर दिया है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा 09-09-2020 को आयोजित 227वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, निवेश अस्थिरता निधि को बंद कर दिया गया है और इस शीर्ष के तहत पड़ी राशि को चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के दौरान निवेश से आय में अंतरित कर दिया गया है। विभाग ने भविष्य के अनुपालन के लिए टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है।	2. निवेश अस्थिरता लेखा (अनुसूची 4) – ₹ 270.08 करोड़ निवेश अस्थिरता निधि को बहुत पहले बंद कर दिया गया है और दिनांक 09-09-2020 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इस शीर्ष के तहत उपलब्ध राशि को चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के दौरान आय में संबंधित अनुसूची में अंतरित कर दिया जाएगा। क.भ.नि.सं. को किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ है।
3. भवन निर्माण निधि (अनुसूची-12) 3.1 अनुसूची-12, देयताओं में ₹887.25 करोड़ का भवन निर्माण निधि दर्शाया गया है। क.भ.नि.सं. ने बताया कि यह निधि कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए प्रावधान करने के लिए बनाया गया था और 2013-14 तक ₹887.25 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात, कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि निर्माण कार्य पर व्यय वार्षिक आधार पर प्रदान किए गए पूंजीगत बजट से पूरा किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि इस निधि का उपयोग अब निर्माण कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है, इसे खातों में वापस लिखा जा सकता है। विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और उचित प्रक्रिया के बाद शेष राशि को आय और व्यय खाते में अंतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।	3. भवन निर्माण निधि (अनुसूची-12) लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और संबंधित प्रभाग को उचित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात शेष राशि को आय और व्यय खाते में अंतरित करने की सलाह दी जा रही है।
4. आय एवं व्यय लेखा	4. आय और व्यय खाता

4.1 आय एवं व्यय खाता निम्नलिखित राशियों को विभिन्न अनुसूचियों के तहत एफडीआर पर अर्जित व्याज के रूप में निम्नप्रकार दिखाता है:

(राशि रुपये में)

अनुसूची 31 (क.भ.नि. आकस्मिक निधि)	खातों के अनुसार राशि	बैंक प्रमाणपत्रों के अनुसार राशि	अंतर (- अंडरस्टेड) (+ ओवर अंडरस्टेड)
एफडीआर पर अर्जित व्याज	7,85,07,933.00	79,184,893	-676,960
अनुसूची 34 (ईपीएस आकस्मिक निधि)			
एफडीआर पर अर्जित व्याज	8,19,79,854.00	30,497,920	51,481,934
अनुसूची 36 (ईडीएलआई आकस्मिक निधि)			
एफडीआर पर अर्जित व्याज	76,46,392.00	1,32,06,274	-55,59,882.00
अनुसूची 39 (क.भ.नि. प्रशासन निधि)			
एफडीआर पर अर्जित व्याज	6,76,960.00	नहीं दिया गया	

आय और व्यय खाता, विभिन्न अनुसूचियों के तहत निम्नलिखित राशियों को एफडीआर पर उपाजित व्याज के रूप में दर्शाता है जिनके विवरण निम्नानुसार हैं: -

अनुसूची 31 (परिशिष्ट-I)

जैसा कि प्रमाण पत्र में दिखाया गया, रु. 6,33,424.00 के एफडीआर संख्या 39240908270 और रु. 43,536.00 की एफडीआर संख्या 39242472447 क.भ.नि. प्रशासनिक खाता संख्या 4 से संबंधित हैं। अतः रुपये 6,76,960.00 की अंतर राशि (6,33,424.00 + 43,536.00 = 6,76,960.00) खाता संख्या 5 (क.भ.नि. आकस्मिक निधि) के बजाय खाता संख्या 4 (क.भ.नि. प्रशासन निधि) में दिखाया गया है। पीला रंग से हाईलाइट की गई बैंक प्रमाणपत्र की प्रति भी इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची 34 (परिशिष्ट-II)

प्रमाण पत्र में दर्शायी गई कुल राशि रुपये 30,497,920.00 त्रुटिपूर्ण रूप मुद्रित है, जबकि सही कुल राशि रु. 13,04,97,920.00 है। वास्तविक अंतर राशि रुपये 4,85,18,066.00 (13,04,97,920.00 - 8,19,79,854.00 = 4,85,18,066.00) होनी चाहिए।

चूंकि आरंभ में एफडीआर संख्या 38847123553 को एसबीआई के समक्ष रखा गया था, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र में रु. 0.00 अर्जित व्याज दिखाया गया है; अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपये 4,85,18,066.00 का अंतर खाते में नहीं लिया गया था। उसके पश्चात,

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एफडीआर के बैंक प्रमाण-पत्रों के अनुसार उपार्जित ब्याज की राशि को अनुसूची 31 में ₹ 6,76,960/- और अनुसूची 36 में ₹ 55,59,882/- से कम दर्शाई गई थी, जबकि अनुसूची 34 में इसे ₹ 51,481,934/- से अधिक दर्शाई गई थी । विभाग ने उत्तर दिया है कि बैंकिंग अनुभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केवल कुछ एफडीआर खाता संख्या और इन एफडीआर खाता संख्या से संबंधित राशि क.भ.नि.सं. से संबंधित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैंक प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि सभी एफडीआर क.भ.नि.सं. से संबंधित हैं।	उक्त एफडीआर को बंद कर दिया गया और एक नए एफडीआर सं. 39106540110 को उच्च ब्याज दर के साथ रखा गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के खातों में अर्जित ब्याज रु. 4,85,18,066.00 लिया गया है। अनुसूची 36 (परिशिष्ट-III) (i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपये 55,20,020.00 के अंतर खाते में नहीं लिया गया था क्योंकि शुरू में एफडीआर संख्या 38847128926 को एसबीआई के पास रखा गया था, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र में रु. 0.00 अर्जित ब्याज दिखाया गया है। बाद में, उस एफडीआर को बंद कर दिया गया और एक नए एफडीआर सं. 39106541181 को उच्च ब्याज दर के साथ रखा गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के खातों में उपार्जित ब्याज रु. 55,20,020.00 को लिया गया है। (ii) एफडीआर सं. 34728862579 में निहित रुपये 1,571.00, खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी. आकस्मिक निधि) से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह, क्षेत्रीय कार्यालय, बांद्रा (पार्किंग खाता) से संबंधित है । अतः अंतर राशि रु.1,571/-, क्षेत्रीय कार्यालय, बांद्रा (पार्किंग खाता) के खाता संख्या 2 से संबंधित है । बैंक प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट - IV) (iii) प्रस्तावित एफडीआर रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, पार्क स्ट्रीट से रुपये 38,291/- (6608+11363+20320) की राशि डेबिट कर दी गई थी। अतः अंतर राशि रु.38,291/- है, क्षेत्रीय कार्यालय पार्क स्ट्रीट के खाता संख्या 2 से संबंधित है। बैंक प्रमाणपत्र की प्रति इसके साथ संलग्न है (परिशिष्ट -V) ।
---	---

	(iv) कुल रुपये 55,59,882.00 (55,20,020.00+1571.00+38,291.00) का अंतर ऊपर दर्शाया गया है। अनुसूची 39 (परिशिष्ट-I) रु. 6,33,424.00 का एफडीआर सं. 39240908270 तथा रु. 43,536.00 का एफडीआर सं. 39242472447 क.भ.नि. प्रशासनिक खाता संख्या 4 से संबंधित है और कुल राशि रु. 6,76,960.00 (6,33,424.00 + 43,536.00 = 6,76,960.00) वाले ये एफडीआर, संलग्न प्रमाणपत्र में परिशिष्ट-I के रूप में दर्शाए गए हैं। तदनुसार, इंगित की गई विसंगति को उनके संदर्भ के लिए दिखाया जाएगा।
4.2 सदस्यों को व्याज भुगतान वर्ष के दौरान ₹61,054.31 करोड़ की राशि को आय एवं व्यय खाते में अनुसूची 42 में व्यय के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, अनुसूची-5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान) में ₹61,054.31 करोड़ की राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सदस्यों के भ.नि. खाते पर देय व्याज के प्रावधान के रूप में दर्शाया गया है। विभाग ने त्रुटि स्वीकार की है और उत्तर दिया है कि वर्ष 2018-19 टाइमोप्राफिक गलती के कारण लिखा गया है और इसे 2019-20 के रूप में सही किया गया है और इसे लेखापरीक्षा को प्रदान की गई तुलन पत्र की प्रति में कृपया सुधार किया जा सकता है।	4.2 सदस्यों को व्याज भुगतान इसमें सुधार कर लिया गया है और इसे ऑडिट को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. विभिन्न राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न कार्यालयों के प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई: 5.1 क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण और पश्चिम) 5.1.1 बैंक समाशोधन - खाता संख्या 1 के रोकड़ बही के अंतःशेष की गणना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निष्क्रिय खाते से भुगतान के समायोजन के बाद की गई है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक खाता संख्या - 1 से निष्क्रिय खाते के ₹ 2.03 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है। अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाते में इसका समायोजन और एक बही समायोजन के रूप में बैंक समाशोधन स्पष्ट नहीं है।	5. विभिन्न राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न कार्यालयों के प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई: 5.1 क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण और पश्चिम) क्षे.का., दिल्ली (पश्चिम और दक्षिण) ने सूचित किया है कि 2,03,43,274 रुपये की राशि एसपीएफ के भुगतान से संबंधित है और यह गलत तरीके से निष्क्रिय खाते में दर्ज थी। इसे चालू खाता वर्ष 2020-21 के दौरान समायोजित किया जाएगा।
5.1.2 लंबित शेष का निपटारा तुलन पत्र में निम्नलिखित शेष राशि, किसी समायोजन के बिना खातों के आदि एवं अंतः शेष में दिखाई दे रही है:	5.1.2 लंबित शेष का निपटारा क्षे.का. दिल्ली (दक्षिण और पश्चिम) को अनियमित भुगतान की राशि का समाशोधन/वसूली करने और चालू लेखा वर्ष में ही उचित खाते को समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।

(राशि रुपये में)			
विवरण	आदि शेष	अंतः शेष	
अनियमित भुगतान (परिसंपत्ति एवं देयताएं - दोनों पक्ष)	21,55,873	21,55,873	
उंचत खाता (परिसंपत्तियां)	50,93,254	50,93,254	
इन शेषों को समाशोधित करने और खातों में आवश्यक समायोजन करने की आवश्यकता है।			
5.1.3 क्षेत्र.का. (दक्षिण एवं पश्चिम) के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज परिसंपत्ति पक्ष में दिखाया गया है। चूंकि सदस्यों को देय ब्याज एक देयता है, अतः इसे परिसंपत्ति के पक्ष में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र.का. (दक्षिण और पश्चिम) ने कहा है कि यह मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार है। इस संबंध में क.भ.नि.सं., मुख्यालय ने उत्तर दिया है कि वर्तमान में क्षेत्र.का./आं.का. के वार्षिक खाते लेगोसी सिस्टम में तैयार किए जा रहे हैं. तथापि, एक बार क्षेत्र.का./आं.का. खातों को तैयार करने में सामान्य प्रारूप प्रणाली लागू हो जाने के पश्चात इसमें सुधार किया जाएगा।			
5.1.3 वर्तमान में क्षेत्र.का. / आं.का. के वार्षिक लेखे लेगोसी सिस्टम में तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, एक बार क्षेत्र.का./आं.का. खातों को तैयार करने में सामान्य प्रारूप प्रणाली लागू हो जाने के बाद इसमें सुधार किया जाएगा। लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट किया गया			

5.2 आंचलिक कार्यालय, चेन्नई 5.2.1 निष्क्रिय खातों में "अंतरित राशि" का लेखांकन।	5.2 आंचलिक कार्यालय, चेन्नई 5.2.1 निष्क्रिय खातों में "अंतरित राशि" का लेखांकन।
क.भ.नि. अंशदान खातों के तहत "निष्क्रिय खातों में अंतरण" के लिए रु (-) 1,157.73 करोड़ की राशि घटा दी गई है। हालांकि, उसी राशि को "अतिरिक्त के रूप में निष्क्रिय खाता" शीर्ष के तहत भी दर्शाया गया है। इस प्रकार अंतरित की गई राशि को क.भ.नि. अंशदान खातों से घटाया जाना है और एक समान राशि को तुलन पत्र के तहत निष्क्रिय खाते में जोड़ा जाना है, परंतु दोनों खातों में नकारात्मक आंकड़े दर्शाए गए हैं। तुलन पत्र में "निष्क्रिय खाते" के संबंध में उक्त राशि के गलत तरीके से दर्शाए जाने को ध्यान में लाया गया है। उत्तर में सूचित किया गया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार एमआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए अंतः शेष को बनाए रखने के लिए ऋणात्मक शेष दर्शाया गया था। तथापि, कोई अन्य समर्थित दस्तावेजों के अभाव में खातों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं किया जा सका।	क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 72(6) के तहत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में संशोधन किया गया, जो 11-11-2016 से प्रभावी है। वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक लेखों में वर्गीकृत एवं निष्क्रिय खातों के रूप में रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पूर्व की परिभाषा पर आधारित थी। संशोधित परिभाषा के अनुसार, निष्क्रिय खातों की अंतर राशि को लेखा वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यालय स्तर पर चालू खातों (तुलन पत्र की अनुसूची 1) में अंतरित कर दिया गया है और इसे क्षे.का. / आं.का. खातों में संशोधित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में सिस्टम जनित रिपोर्ट के आधार पर क्षे.का./आं.का. खातों में निष्क्रिय खातों के अंतःशेष को दिखाया गया था।
5.2.2 त्रुटिपूर्ण डेबिट/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट को सुधारा जाना है खाता संख्या 1,2,10,21, और 22 से संबंधित वार्षिक लेखों की जांच में पाया गया कि गलत डेबिट और गलत क्रेडिट संबंधी प्रविष्टियां हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:	5.2.2 त्रुटिपूर्ण डेबिट/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट को सुधारा जाना है सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सीएजी ऑडिट टीम के अगले दौर के समय त्रुटिपूर्ण डेबिट/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट का अलग विवरणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

(राशि रुपये में)					
लेखा संख्या	त्रुटिपूर्ण डेबिट	त्रुटिपूर्ण क्रेडिट			
1	84,44,545.00	3,73,47,523.00			
2	3,33,149.00	40,35,419.07			
10	-55,79,828.91	38,03,348.02			
21	6,74,694.78	20,13,805.31			
22	3,74,881.25	2,88,141.01			
त्रुटिपूर्ण डेबिट/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट लेखा परीक्षा के पृथक विवरणी के उपलब्ध न होने के कारण वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।					
5.3. क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, चेन्नई					
5.3.1 सभी पांच खातों में बड़ी मात्रा में लघु क्रेडिट को ठीक किया जाना है					
बैंक विवरणी के अंतः शेष बनने के पूर्व रोकड़ बही के अंतः शेष से भारी राशि की कटौती की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:					
(राशि रुपये में)					
खाता सं	1	2	10	21	22
रोकड़ बही के अनुसार अंतः शेष	-9,77,17,434	1,58,00,186	-1,75,82,317	-89,56,847	25,682

		5.3. क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, चेन्नई
		5.3.1 सभी पांच खातों में बड़ी मात्रा में लघु क्रेडिट को ठीक किया जाना है
		खाता संख्या 1, 2, 10, 21, 22 में दिखाए गए लघु क्रेडिट, बैंक द्वारा किया गया गलत क्रेडिट और गलत डेबिट के कारण हैं। इनका समाशोधन किया जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा।

						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 72(6) के तहत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में 11-11-2016 से संशोधन किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक लेखों में वर्गीकृत एवं निष्क्रिय खातों के रूप में रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पूर्व की परिभाषा पर आधारित थी। संशोधित परिभाषा के अनुसार, निष्क्रिय खातों की अंतर राशि को लेखा वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधान कार्यालय स्तर पर संचालित खातों (तुलन पत्र की अनुसूची 1) में अंतरित कर दिया गया है और इसे क्षेत्र. / आं.का. खातों में संशोधित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में सिस्टम जनित रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र.का./आं.का. खातों में निष्क्रिय खातों के
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और देय होने की तारीख से 36 महीने की अवधि के भीतर दावा नहीं की गई राशि को "निष्क्रिय खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा, जब कि उक्त शेष राशि के भुगतान के दावे के मामले में, राशि का भुगतान निष्क्रिय खाते में नामे करके किया जाएगा।
						5.3.2 निष्क्रिय खातों का गलत रख रखाव: क.भ.नि. योजना 1952 के नियम 72(6) में प्रावधान है कि, किसी सदस्य को देय और

अंतः शेष को दिखाया गया था।

(राशि रुपये में)

तुलनपत्र के अनुसार विवरण				
निष्क्रिय खाता	2017-18	2018-19	2019-20	
आदि शेष	-1,97,68,98,658	-3,66,19,23,476	-5,11,78,07,484	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	0	0	59,44,32,89,064	
कुल	-1,97,68,98,658	-3,66,19,23,476	82,54,81,580	
घटायें: वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	1,68,50,24,818	1,45,58,84,008	0	
अंतः शेष	-3,66,19,23,476	-5,11,78,07,484	82,54,81,580	

तुलन पत्र के देयता पक्ष के तहत निष्क्रिय खातों की परीक्षण जांच में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

क. उपरोक्त में पाया गया कि आदि शेष और अंतः शेष राशि को

ऋणात्मक शेष के रूप में दिखाया गया था जिसका अर्थ यह है कि वर्ष के दौरान इस खाते से भुगतान/निपटारा की गई राशि, खातों में उपलब्ध कुल शेष राशि से अधिक थी। जब निष्क्रिय में उपलब्ध शेष राशि से अधिक के निपटारे का कारण पूछा गया, तो उत्तर दिया गया कि ऋणात्मक शेष राशि नगद राशि के कारण थी और इसमें सुधार कर लिया जाएगा।

ख. इसी प्रकार, यह भी नोट किया गया कि, आदि शेष निष्क्रिय के रूप में जोड़े गए मामलों की संख्या, राशि सहित निपटाए गए मामलों की संख्या और अंतः शेष का विवरण तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नलिखित विवरण से मेल नहीं खा रहे थे:

(राशि रुपये में)

	2018-19		2019-20	
	आदि शेष	अंतः शेष	आदि शेष	अंतः शेष
तुलन पत्र के अनुसार	-3,66,19,23,476	-5,11,78,07,484	-5,11,78,07,484	82,54,81,580
निष्क्रिय खातों के सार के अनुसार	8,29,51,36,110	8,29,51,36,110	8,29,51,36,110	8,29,51,36,110

इकाई द्वारा सृजित तुलन पत्र और निष्क्रिय खाते के सारांश के बीच भिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

ग. यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान निष्क्रिय खाते हेतु भुगतान किया गया दावा, जैसा कि तुलन पत्र में दिखाया गया है, उस राशि से मेल नहीं खा रहा था जो निष्क्रिय खाता सारांश के अनुसार निपटारा हेतु थी।

(राशि रुपये में)

		2018-19		2019-20	
		निपटान किए गए मामलों की संख्या	निपटान राशि	निपटान किए गए मामलों की संख्या	निपटान राशि
तुलन पत्र के अनुसार	के उपलब्ध नहीं है	1,45,58,84,008	0	0	0
निष्क्रिय खातों के सार के अनुसार	2,14,799	14,54,41,79,158	2,24,786	16,40,87,89,365	

इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है और तुलन पत्र में सही आंकड़े दर्ज करने की जरूरत है।

5.4. क्षेत्रीय कार्यालय, अंबतुरु

5.4.1 त्रुटिपूर्ण डेबिट/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट में सुधार किया जाना है।

(राशि रुपये में)

2018-19	2019-20

5.4. क्षेत्रीय कार्यालय, अंबतुरु

5.4.1 त्रुटिपूर्ण डेबिट/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट में सुधार किया जाना है।

अवर्गीकृत प्राप्तियां और भुगतान जिन्हें खाता संख्या 10, 21 और 22 के संबंध में त्रुटिपूर्ण भुगतान और प्राप्तिओं के रूप में दर्शाया जाता था, को, मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार त्रुटिपूर्ण डेबिट/क्रेडिट के

<table><tr><th>लेखा संख्या</th><th>त्रुटिपूर्ण डेबिट</th><th>त्रुटिपूर्ण क्रेडिट</th><th>त्रुटिपूर्ण डेबिट</th><th>त्रुटिपूर्ण क्रेडिट</th></tr><tr><td>10</td><td>-10,81,512.44</td><td>34,37,796.22</td><td>-10,81,512.44</td><td>34,37,796.72</td></tr><tr><td>21</td><td>2,10,318.77</td><td>47,333.77</td><td>2,10,318.77</td><td>47,333.77</td></tr><tr><td>22</td><td>344.35</td><td>-48,822.26</td><td>303.65</td><td>-48,822.26</td></tr></table> त्रुटिपूर्ण डेबिट को समाशोधित करने और सुधारने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने उत्तर दिया कि त्रुटिपूर्ण डेबिट/क्रेडिट पिछले वित्तीय वर्षों से हुआ है। इस कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण डेबिट/क्रेडिट को उचित औचित्य के साथ समाशोधन करने के लिए भी बैंक से लगातार आग्रह किया जा रहा है।	लेखा संख्या	त्रुटिपूर्ण डेबिट	त्रुटिपूर्ण क्रेडिट	त्रुटिपूर्ण डेबिट	त्रुटिपूर्ण क्रेडिट	10	-10,81,512.44	34,37,796.22	-10,81,512.44	34,37,796.72	21	2,10,318.77	47,333.77	2,10,318.77	47,333.77	22	344.35	-48,822.26	303.65	-48,822.26	कौलम के तहत प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाया गया था। त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं त्रुटिपूर्ण प्राप्ति, जिन्हें बैंक द्वारा संबंधित क.म.नि. खातों में वर्षों से क्रेडिट और डेबिट किया गया था, को विवरण सहित प्राप्ति और भुगतानों के सही वर्गीकरण उपलब्ध कराने के लिए बैंक को सूचित किया गया है। सभी उचित खातों के लिए इन विवरणों को प्राप्त करने के लिए बैंक से लगातार संपर्क किया जा रहा है और सभी उचित खाते दोनों देयताएं और परिसंपत्तियों का समाशोधन यथाशीघ्र किया जाएगा।
लेखा संख्या	त्रुटिपूर्ण डेबिट	त्रुटिपूर्ण क्रेडिट	त्रुटिपूर्ण डेबिट	त्रुटिपूर्ण क्रेडिट																	
10	-10,81,512.44	34,37,796.22	-10,81,512.44	34,37,796.72																	
21	2,10,318.77	47,333.77	2,10,318.77	47,333.77																	
22	344.35	-48,822.26	303.65	-48,822.26																	
5.4.2 खातों में अंतः शेष एवं आदिशेष को त्रुटि पूर्ण दर्ज किया जाना 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का अंतः शेष निम्नलिखित शीर्षों में 01.4.2019 को आदि शेष के रूप में सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था:	5.4.2 खातों के अंतः शेष एवं आदिशेष को त्रुटि पूर्ण दर्ज किया जाना पहले से ही पूरी तरह से मूल्यहास हो चुकी परिसंपत्तियों को शामिल करने और परिसंपत्तियों के गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सकल परिसंपत्ति के आदि शेष को पिछले वर्ष के अंतः शेष से																				

(राशि रुपये में)

आंच लिक कार्याल य, चेन्नई	शीर्ष	31.03.2019 तक अंतः शेष	01.04.2019 तक आदि शेष	अंतर
	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	68,83,353.00	66,88,487.00	1,94,866.00
	कार्यालय उपकरण	18,18,701.00	17,71,880.00	46,821.00
	कंप्यूटर /पेरिफेरल्स	2,52,63,482.00	2,44,89,928.00	7,73,554.00
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	7,80,233.00	6,24,710.00	1,55,523.00

बदल दिया गया है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि तुलन पत्र के "अचल संपत्ति शीर्ष" में दिखाए गए परिसंपत्तियों के मूल्यदास मूल्य के आदि शेष और अंतः शेष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य है, कि तुलन पत्र में परिसंपत्तियों का कोई कम या अधिक मूल्यांकन नहीं है।

(राशि रुपये में)

क्षेत्रीय कार्याल य, चेन्नई	शीर्ष	31.03.2019 तक अंतः शेष	01.04.2019 तक आदि शेष	अंतर
	क.म.नि. अंशदान खाता	3,26,90,19,78,252	32,68,74,289,328	2,76,88,924
	क.म.नि. निवेश खाते	1,91,91,88,44,174	1,91,89,07,31,702	2,81,12,472
	क.म.नि. ब्याज खाता	1,29,96,02,69,709	1,29,96,06,93,257	-4,23,548

समाशोधन के लिए विसंगति को ध्यान में लाया जाता है

आंचलिक कार्यालय चेन्नई और पुडुचेरी ने उत्तर दिया कि आंचलिक कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालय के तुलन पत्रों के आधार पर तुलन पत्र को समेकित किया है। संबंधित क्षे.का. से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।	6. उंचंत खाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लेखा प्रक्रिया मैनुअल, भाग-1 सामान्य के पैरा 10.06 के तहत उप-पैरा II (VII) के अनुसार देयताओं और संपत्ति दोनों पक्षों में "भविष्य निधि उंचंत" के तहत दर्शाए गए 10 शेष का विवरण लेन-देन की तारीख, राशियों का संक्षिप्त विवरण इंगित करते हुए प्रत्येक वर्ष तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इस मद के तहत बकाया मदों का विश्लेषण करने और उनके निपटारे के लिए सघन अभियान चलाया जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया जाता है कि अवर्गीकृत उंचंत के अंतर्गत देयताओं और परिसंपत्तियों, दोनों पक्षों की शेष राशि को कम से कम रखा जाना चाहिए और उनके निपटारे के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। (राशि रुपये में) <table><tr><th>क्षे.का. चेन्नई</th><th>देयताएं</th><th>राशि</th><th>परिसंपत्तियां</th><th>राशि</th></tr><tr><td rowspan="2">उंचंत खाता (क.भ.नि.)</td><td>उंचंत खाता (क.भ.नि.)</td><td>-56,34,960.00</td><td>उंचंत खाता (क.भ.नि.)</td><td>28,19,328.00</td></tr><tr><td>उंचंत खाता (प्रशासन निधि)</td><td>8,29,94,285.00</td><td>उंचंत खाता (प्रशासन निधि)</td><td>13,50,144.00</td></tr></table>	क्षे.का. चेन्नई	देयताएं	राशि	परिसंपत्तियां	राशि	उंचंत खाता (क.भ.नि.)	उंचंत खाता (क.भ.नि.)	-56,34,960.00	उंचंत खाता (क.भ.नि.)	28,19,328.00	उंचंत खाता (प्रशासन निधि)	8,29,94,285.00	उंचंत खाता (प्रशासन निधि)	13,50,144.00
क्षे.का. चेन्नई	देयताएं	राशि	परिसंपत्तियां	राशि											
उंचंत खाता (क.भ.नि.)	उंचंत खाता (क.भ.नि.)	-56,34,960.00	उंचंत खाता (क.भ.नि.)	28,19,328.00											
	उंचंत खाता (प्रशासन निधि)	8,29,94,285.00	उंचंत खाता (प्रशासन निधि)	13,50,144.00											
	6. उंचंत खाते यह प्रस्तुत है कि क.भ.नि. देयताओं और परिसंपत्तियों के संबंध में तुलन पत्र में कॉलम उंचंत खाता में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्षों से ली गई राशि हैं। कार्रवाई की जाएगी, तथा वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों में त्रुटिपूर्ण डेबिट होने के कारण 1,01,055/- रुपये की राशि में संशोधन किया गया। शेष राशि के लिए, बैंक से रिवर्स संबंधी विवरण प्राप्त होते ही, आवश्यक सुधार किया जाएगा। टिप्पणी को नोट किया गया है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि क.भ.नि.सं. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को शीर्ष उंचंत खाते के तहत बकाया मदों का विश्लेषण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और उन्हें शेष राशि को आगामी वित्तीय वर्षों के दौरान उंचंत खाते में शून्य या अति न्यूनतम तक लाने के लिए विशेष प्रयास करने और त्वरित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। यह सुनिश्चित														

क्षे.का. अंबत्तूर	उचंत खाता (क.भ.नि.)	1,17,32,049.60	उचंत खाता (क.भ.नि.)	75,23,275.50	किया गया है कि इसके संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	36,65,989.91	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	82,188.00	
क्षे.का. तांबरम	उचंत खाता (क.भ.नि.)	3,30,21,054.00	उचंत खाता (क.भ.नि.)	-4,78,363.60	
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	9,83,130.95	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	-6,727.00	
आं.का. चेन्नई	उचंत खाता (क.भ.नि.)	6,18,08,621.89	उचंत खाता (क.भ.नि.)	2,32,32,446.91	
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	2,35,68,851.09	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	23,24,180.04	
आं.का. - पुणे	उचंत खाता (क.भ.नि.)	- 11,21,10,328.46	उचंत खाता (क.भ.नि.)	22,05,13,452.55	

उचंत खाता (प्रशासन निधि)	1,41,30,301.37	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	1,12,88,567.15
आं.का - मुम्बई -I	22,33,56,111.04	उचंत खाता (क.भ.नि.)	10,36,22,263.45
उचंत खाता (प्रशासन निधि)	1,10,43,340.02	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	15,160,477.86

(राशि रुपये में)

क.भ.नि.सं. के समेकित वार्षिक लेखे (सामान्य फॉर्मेट)			
देयता पक्ष	2019-20	2018-19	2017-18
उचंत खाता (क.भ.नि.)	70,91,86,903.85	-41,64,55,986.26	96,24,54,812.81
उचंत खाता (प्रशासन निधि)	29,06,48,036.78	26,57,65,643.18	20,57,71,343.07
परिसंपत्ति पक्ष	2019-20	2018-19	2017-18
उचंत खाता (क.भ.नि.)	1,12,33,54,668.95	1,07,30,98,402.14	87,76,07,376.04
उचंत खाता (प्रशासन निधि)	22,32,55,966.06	23,86,68,019.07	22,76,32,264.88

	आयुवार विवरण और प्रत्येक शेष राशि का विवरण लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया था । आंचलिक कार्यालय मुंबई-1 ने कहा कि यह मामला क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित है, लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई जानकारी, क्षे.का. को भेज दिया गया है और जैसे ही यह क्षे.का. से प्राप्त होगा, ऑडिट को उपलब्ध कराया जाएगा।
--	---



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्यालय : भविष्य निधि भवन
Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
14, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

Website: www.epfindia.com : www.epfindia.gov.in : www.epfindia.org